राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक- 3] दसवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का छठा दिवस [संख्या - 3

मंगलवार,

27 सितम्बर, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(**श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।**)

नियम - निलम्बन

नियम 31 का निलम्बन कर प्रश्न काल का स्थगन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पहले उपाध्यक्ष का चुनाव करवा लिया जाए। ... (व्यवधान) ... यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या करवा लिया जाय ?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): आप तो यह कहें, प्रश्न काल स्थगित किया जाए ? ... (व्यवधान). ... प्रश्नकाल स्थगित किया जाए और उपाध्यक्ष का चुनाव पहले कराया जाए । यह क्या होता है कि पहले उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाए ? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : पहले करा लिया जाए फिर क्वेश्चन आवर ...(व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : + + + छोड़िये, साफ मन से बात कीजिये।... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। सदन सहमत है ?

(स्वीकृत)

प्रश्न काल स्थगित किया गया ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री शांतिलाल चपलोत का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष का निर्वाचन। श्री जगन्नाथ प्रस्ताव करेंगे।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री शांतिलाल चपलोत सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर प्रस्ताव करेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No.2

(श्री कालूलाल गुर्जर)

श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल। (अनुपस्थित)

श्री कालीचरण सराफ ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैं , प्रस्ताव करता हूं कि श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरचन्द मिड्ढा समर्थन करेंगे।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं , प्रस्ताव करता हूं कि श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 167) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए ?

(स्वीकृत)

श्री शांतिलाल चपलोत निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

(तदनन्तर श्री भैंरोसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री व श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष ने श्री शांतिलाल चपलोत को उपाध्यक्ष का आसन ग्रहण कराया)

अनुपस्थिति - अनुमति

श्री एमादुद्दीन अहमद खां, सदस्य को दिनांक 22 दिसम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री एमादुद्दीन अहमद खां, सदस्य, विधान सभा ने व्यक्तिगत तथा अपरिहार्य कारणों की वजह से दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की इजाजत दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :- ...(व्यवधान)... (प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(1) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति गत 6 माह से अधिक बिगड़ने से

(श्री अध्यक्ष)

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। _ (व्यवधान)

(2) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की कथित अस्पष्ट- नीति के अभाव में ग्राम सेवा सहकारी-समितियों का कार्य मंद गति से चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

प्रक्रिया के नियम 295 के अर्न्तगत प्राप्त सूचनाऐं

(1) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेचुएटी की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम खादरा, तहसील नीमकाथाना में श्रीमती छोटी देवी की दहेज के कारण की गयी कथित हत्या की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के कृषि कुओं व घरेलु उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में अधिक यूनिट दर्ज कर बिल भेजने तथा उसकी जबरन वसूली से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील बौंली के ग्राम घारोला के काश्तकारों की भूमि मोरेल बांध के पेटे में आने के कारण काश्तकारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में ।

(5) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से बगरु में चरागाह की भूमि पर रीको द्वारा कब्जा कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

स्पेशल मेन्शन पढ़े हुए माने जायेंगे _ (व्यवधान) _

(नियम 295 के अर्न्तगत प्राप्त सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट -1 देखें ।)

मेरा निवेदन सुनिये आप। मेरा एक निवेदन है, माननीय सदस्य, आप प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करने के अधिकारी हैं। आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, यह अवसर आपको मिला है लेकिन जिस तरह से संसद में हुआ, विपक्ष ने दो दिन तक संसद की कार्यवाही रोकने के बाद वाकआउट किया, बायकाट किया, अपना विरोध जारी रखा लेकिन सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा नहीं की । माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि सरकारी कामकाज भी किया जाए और इसलिये मैं अपने उत्तरदायित्व का पालन करुंगा, उसमें किसी प्रकार की रुकावट डालना, यह प्रजातंत्र की परम्पराओं के विपरीत है। आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। (व्यवधान)

मांग

एम्फोर्ट एग्रो फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा कथित धोखाधड़ी की सी. बी. आई. से जांच

श्रीमती कमला (बैराठ) : सी. बी. आई. से जांच हो। सी. बी. आई. से जांच हो। _(व्यवधान)_

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : लेकिन मुझे अपना उत्तरदायित्व पूरा करना पड़ेगा इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं करें। मेहरबानी करके आप अपने अपने स्थान पर बैठें ...

श्रीमती कमला : सी . बी . आई. से जांच हो ,सी . बी . आई . से जांच हो ।

श्री अध्यक्ष : और सदन की कार्यवाही चलने दें ।·(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ।

श्रीमती कमला: सी. बी . आई . से जांच हो, सी. बी. आई. से जांच हो।

किसानों का पैसा लौटाओ। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (1992-93) (राजस्व प्राप्तियां) (सिविल) (वाणिज्यिक) एंव राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1992-93 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (राजस्व प्राप्तियां), (2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (वाणिज्यिक) , एवं (3) विनियोग व वित्त लेखे 1992=93 तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1992-93 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं । श्री अनंग कुमार जैन । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सी बी आई से जांच हो , सी बी आई से जांच हो ।

अधिसूचनाएं

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय ,मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं : -

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना क्रमांक प. 4(1) वित्त/ग्रुप -4/93 दिनांक 4 अप्रेल , 1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम , 1955 में संशोधन किया गया है ,

(2) अधिसूचना क्रमांक प. 17(1) वित्त/ग्रुप-4 /94-1 दिनांक 29 अप्रेल, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान बिलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर नियम, 1994 विरचित किया गया है ।

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (12) वित्त/ग्रुप -4 / 93-3 दिनांक 1 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं ,

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4(28) वित्त/ग्रुप् - 4/90-15 दिनांक 1 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम 1955 में संशोधित किये गये हैं

(5) अधिसूचना संख्या एफ 3(4)वित्त/ग्रुप 4/87 / II-20 दिनांक 8 सितम्बर, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, एवं

(6) अधिसूचना संख्या एफ 1(1)वित्त/ग्रुप

Page No.5

(राज्य मंत्री, वित्त)

4/90-6 दिनांक 15 सितम्बर, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प व्ययन नियम, 1962 में संशोधन किये गये हैं ।_(व्यवधान)_

श्रीमती कमला : सी. बी. आई. से जॉच हो, सी. बी. आई. से जॉच हो।

श्री अध्यक्ष : मुझे बाध्य मत करिये अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये।

मेहरबानी करके प्लीज डोंट डू दैट। आप यहां से चले जाइये, आप मेहरबानी करके यहां से चले जाइये। आप यहॉ से चले जाइये, प्लीज। प्लीज मैं माननीय नेता से निवेदन करूंगा, आप यहां से चले जाइये। मैं आपको चेतावनी देता हूं यहां से चले जाइये।_(व्यवधान)_

श्रीमती कमला : सी. बी. आई. से जांच हो, सी. बी. आई. से जांच हो । नौजवानों का पैसा लौटाओ।_(व्यवधान)_ किसानों का पैसा लौटाओ।

श्री अध्यक्ष : आप यहां से चले जाइये, प्लीज । आप यहां से चले जाइये। आप यहां से चले जाइये। यहां से हटिये आप, यहां से हटिये आप _(व्यवधान)_।

श्रीमती कमला : आप सरकार को आदेश दें कि वह सी. बी. आई. से जांच के आदेश करे _(व्यवधान)_।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा राम चौधरी। आप यहां से हटिये, यहां से हटिये आप।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सरकार को आदेश दे कि सी. बी. आई. से जांच कराये _(व्यवधान)_।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

राजस्व (ग्रुप - 6) विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प2(8) राज /भू.रा/90 दिनांक 22 मार्च, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं,

(2) अधिसूचना संख्या प2(8) राज/ भू.रा/90 दिनांक 4 अप्रेल, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू -राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं ,

(3) अधिसूचना संख्या प. 6(12) राज/4/ 76/5 दिनांक 5 मई, 1994 जिसके द्वारा राजस्व (ग्रुप- 6) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ, 6(12) राज/4/76/39 दिनांक 2.8.84 में अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं,

(4) अधिसूचना संख्या प10(2)राज/6/ 94/6 दिनांक 7 मई, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू -राजस्व (भू -अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं,

(5) अधिसूचना संख्या प6(25) राज/6/93/8 दिनांक 1 जून, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू -राजस्व (लवण क्षेत्र का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं,

(6) अधिसूचना संख्या प6(31) राज/6/92/9 दिनांक 8 जून, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू -राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधित किये गये हैं,

(7) अधिसूचना संख्या प. 6(12)

Page No.6

(राजस्व मंत्री)

राज/4/76/ 6/17 दिनांक 21 सितम्बर, 1994 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. (12) राज/ग्रुप -4/76/39 दिनांक 2.8.1984 में शुद्धि की गयी है ।

उपनिवेशन विभाग

मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(7) उप/91 दिनांक 3 फरवरी, 1994 जिसके द्वारा भाखरा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित मंडी विकास समिति की भूमि से सम्बन्धित कार्यों के लिये अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मन्त्री विकास समिति, बीकानेर, हनुमानगढ जंक्शन व जैसलमेर को अपनी-अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अर्न्तगत कलक्टर के सभी कृत्यों का पालन तथा उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या एफ 19(9)उप /93 दिनांक 19 मार्च, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन मध्यम और लघु क्षेत्र परियोजनाओं में अधिकारिता रखने वाले उप-खण्ड अधिकारियों को राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 के उपबन्धों के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने की कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने और पालन करने हेतु नियुक्त किया गया है,

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 4(4) रेब/कोल/पार्ट दिनांक 23 मार्च, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन भाखडा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय और आबंटन शर्तें, 1973 में संशोधन किया गया है,

(4) अधिसूचना क्रमांक प. 4(4) रेब/कोल/पार्ट दिनांक 23 मार्च, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं,

(5) अधिसूचना क्रमांक प. 4(5) रेब/कोल/81 दिनांक 24 मार्च, 1994 जिसके द्वारा विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4(5)रेब /कोल/81 दिनांक 20.8.1993 के हिन्दी अनुवाद में क्रम संख्या -2 में "उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (8)" के स्थान पर "उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (8) को प्रतिस्थापित किया गया है,

(6) अधिसूचना क्रमांक प. 4(17)राज /उप/84 दिनांक 23 अप्रेल, 1994 जिसके द्वारा सहायक कलक्टर अनूपगढ को उनकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों और उनके अन्तररातियों को सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1972 के अन्तर्गत नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (II) में प्रदत्त कलकटर के कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया गया है,

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ 4(3)रेब /कोल/80 पार्ट दिनांक 30 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा उपनिवेशन विभाग के समस्त नायब तहसीलादारों को राजस्थान उपिनवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 27 की धारा) 22 के अधीन, उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधकारिताओं के भीतर कलक्टर के समस्त कृत्यों का पालन और समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया गया है, एवं

(राजस्व मन्त्री)

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ 4(3)रेब /कोल/80 पार्ट दिनांक 30 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ जंक्शन क्षेत्र में पदस्थापित तहसीलदारों (राजस्व) को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिताओं अर्थात

नोहर, रावतसर, संगरिया, सादुलशहर, सूरतगढ, पीलीबंगा, घडसाना, अनुपगढ और हनुमानगढ जंक्शन के भीतर कलक्टर के समस्त कृत्यों का पालन और समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती कमला : सरकार को आदेश दें। (व्यवधान). सरकार को आदेश दें, सी. बी. आई. से जांच हो ।...(वयवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

खान (ग्रुप -2) विभाग

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय , मैं खान (ग्रुप -2) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(162)/खान/ग्रुप -॥/83 दिनांक 10 जून, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 (क) के अन्तर्गत ईंट बनाने के लिये उपयोग में लायी गयी ईंट मिटटी को खनिज रियायत देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को सदन की मेज पर रखता हूं ।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान)

श्रम विभाग

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.42श्रम/93 दिनांक 8 जून, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना नियम, 1951 मे संशोधन किये गये है, सदन की मेज पर रखता हूं ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री रमाकान्त शर्मा ।(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री जगदीप धनखड, सदस्य, विधान सभा के विरुद्व विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री रमाकान्त शर्मा (सभापति विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीप धनखड, सदस्य, विधान सभा के विरुद्व श्री शिवकिशोर सनाढय एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीप धनखड, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध श्री शिव किशोर सनाढय एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव पर प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

समय वृद्धि की गयी।

श्रीमती कमला : सी. बी. आई. से जांच कराओ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन _(व्यवधान) _

श्री अनंग कुमार जैन, (राज्य मन्त्री वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 (1994 का विधेयक संख्या-19) पर प्रवर समिति के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सी. बी. आई. से जांच कराओ।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन बिराजिये आप। प्लीज, प्लीज, यहां से प्लीज (व्यवधान)

प्लीज यहां मत आइये (व्यवधान) प्लीज डोंट टच इट (व्यवधान)

प्लीज डोंट टच इट ।

श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित) श्री कैलाश जोशी (अनुपस्थित) श्री महावीर भगोरा (अनुपस्थित)

श्रीमती कमला : सी. बी. आई. से जॉच कराओ । (व्यवधान)

सदनेत्तर समिति का प्रतिवेदन

पेयजल समस्या समाधान समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाडी, सदस्य, पेयजल समस्या समाधान समिति ।

श्री घनश्याम तिवाडी (सदस्य, पेयजल समस्या समाधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की पेयजल समस्या समाधान समिति (व्यवधान) का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जनलेखा समिति।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1994-95 के (प्रथम से पन्द्रह तक) प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति , जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मै, सभापति, जन लेखा समिति, 1994-95 समिति के निम्नांकित 15 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

(1) जन लेखा समिति, 1985-86 के प्रथम प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में क्रमशः मन्त्री मण्डल, राजस्व (जिला प्रशासन) लोक निर्माण ,आवासन, शिक्षा, लघु सिंचाई एवं भूमि सरंक्षण (सहायता एवं ग्रामीण विकास) , लेखन सामग्री, खनिज, लोक सेवा आयोग, जन सम्पर्क, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा वित्त विभागों से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 1985-86 के दूसरे प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट पुलिस, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आयोजना एवं वित्त विभागों से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति, 1976-77 के सोलहवें प्रतिवेदन (पाचंवी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति, 1978-79 के पांचवें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 1984-85, 1989-90 तथा 1990-91 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का पंचम प्रतिवेदन।

(6) जन लेखा समिति, 1978-79 के सातवें प्रतिवेदन छठी विधान सभा में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का छठा प्रतिवेदन

(7) वर्ष 1984-85 व 1987-88 तथा 1988-89 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वित्त राजकीय लाटरी विभाग एवं वर्ष 1988-89 के लिए भारत के नियन्त्रक - महालेखा परीक्षक कें प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(8) वर्ष 1984-85 व 1986-87 से 1989-90 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का आठवां प्रतिवेदन।

(9) वर्ष 1986-87 से 1989-90 के लिए भारत के नियन्त्रक - महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का नवां प्रतिवेदन ।

(10) वर्ष 1984 -85 से 1987-88 के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(11) वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक के लिए भारत के नियन्त्रक - महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(12) वर्ष 1977-78 से 1983-84 तक के लिए भारत के नियन्त्रक -महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का बारहवां प्रतिवेदन ।

(13) जन लेखा समिति, 1991-92 के60 वे प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

(14) जन लेखा समिति 1991-92 के उनतालीसवें (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित क्रियान्विति विषयक समिति का चौदहवां प्रतिवेदन, एवं

(15) जन लेखा समिति, 1986-87 के चौदहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में राजस्व विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नी लाल गरासिया (व्यवधान) मैं आपसे बार-बार निवेदन करता हूं। मेरा उत्तरदायित्व, मेहरबानी कर के (व्यवधान) प्लीज कोआपरेट (व्यवधान) प्लीज कोआपरेट, मेहरबानी करके कोआपरेट कीजिये (व्यवधान) आप मेहरबानी करके कोआपरेट कीजिये। आप अपना विरोध प्रकट कीजिये मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा उत्तरदायित्व मुझे निभाने दीजिये (व्यवधान) संविधान के अन्तर्गत जो मेरा उत्तरदायित्व है वह मुझे निभाना पडेगा (व्यवधान). इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं (व्यवधान) कि आप अपना विरोध प्रकट करने का और कोई (व्यवधान) प्रजातांत्रिक तरीका अपनाइये

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994-95 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री चुन्नी लाल गरासिया (सभापति , अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994-95 अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष :. (व्यवधान) प्रजातांत्रिक तरीका अपनाइये माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रजातांत्रिक पद्धति से आप अपना (व्यवधान).

पौने बारह बजे तक के लिये हाउस स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.13 बजे 11.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

पुनः समवेत होने पर

(समय 11.45)

(श्री हरिशंकर भाभडा, अध्यक्ष, पदासीन।)

मांग

एम्फोर्ट एग्रो फाइनेन्स लि.द्वारा कथित धोखाधडी की सी. बी. आई. से जांच

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे बाजी)

श्री अध्यक्ष : कृपया ...(व्यवधान)... मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)... आप टेबिल से दूर रहें ...(व्यवधान)... मुझे बाध्य न करें ...(व्यवधान)... सार्जेन्ट, टेबिलघेर लें। आप टेबिल से दूर रहें ...व्यवधान आप टेबिल से दूर रहें ...(व्यवधान)... प्लीज, टेबिल से दूर रहें ...(व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम्फोर्ट प्रकरण में जो करोड़ों रुपयों का इन्होंने घपला किया है राजस्थान को उस प्लेग से बचाइये। एमफोर्ट प्रकरण के करोड़ों रुपयों से दवाइयां खरीदिये और राजस्थान को प्लेग से बचाइये। राजस्थान में प्लेग की बीमारी फैल रही है ...(व्यवधान)... एमफोर्ट प्रकरण के करोड़ों रुपयों से प्लेग की बीमारी ...(व्यवधान)...

विधायी - कार्य

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित किये जाने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोघन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री भँवर लाल शर्मा । (व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या 3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण मीणा /श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे । (अनुपस्थित) श्री भँवर लाल शर्मा ।(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री भंवर लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 विचारार्थ लिया जाए ? ...(व्यवधान)...

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री भंवर लाल शर्मा ।(व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ? (व्यवधान).

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह जी, राजस्थान पंचायती राज (सशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे, (व्यवधान)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री नाथू सिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोघन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह जी । (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ,

(श्री नाथू सिंह)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या -2) तथा राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश - 4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित) श्री नाथू सिंह जी। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान) श्री नाथू सिंह जी। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचयती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 1994-95) (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत, (मुख्य मंत्री) अनुपूरक अनुदान की मागें वर्ष 1994-95 (प्रथम सकंलन) का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत, (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अनुपुरक अनुदान की मागें वर्ष 1994-95 प्रथम सकंलन को उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

अनुपूरक अनुदान की मांगों (1994-95) का पारण

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष, महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मागें वर्ष 1994-95 के प्रथम संकलन की अनुसूची में अनुपूरक अनुदान की मांगो के सम्बन्ध में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,79,79,70,000/- (दो अरब उन्यासी करोड़ उन्यासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष, 1994-95 के प्रथम संकलन की अनुसूची में अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

Page No.13

(श्री अध्यक्ष)

को रुपये 2,79,79,70,000/- (दो अरब उन्यासी करोड उन्यासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान कर दी जावे ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रथम संकलन वर्ष 1994-95 स्वीकार की गयी । (व्यवधान)

विधायी - कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)। (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग संख्या - 6 विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी । (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं । (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री भैरों सिंह शेखावत विचारार्थ के लिये प्रस्ताव करेंगे । (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक 1994 को विचारार्थ लिया जाए ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 विचारार्थ लिया गया ।

श्री भैरों सिंह शेखावत । (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री भैरों सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या -6) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या -6) विधेयक, 1994 पारित किया गया ।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री गंगा राम चौधरी (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

Page No.14

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करता हूँ

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री गंगाराम चौधरी अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरडक, श्री भीमसेन चौधरी ।

(बोलने के लिये खडे नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया (व्यवधान)

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड -2, श्री विष्णु मोदी, श्री शांति कुमार धारीवाल ।

(बोलने के लिये खडे नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि खण्ड -2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड -2 स्वीकार किया गया ।(व्यवधान)

खण्ड -1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि । कोई संशोधन नही ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये ।(व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी ।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

जन गण मन के लिये खडे हो जाऐं ।

जन गण मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता।

पजांब, सिंधु, गुजरात - मराठा

द्राविड उत्कल बंगा

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंगा

तब शुभ नामे जागे

तब शुभ आशिष मांगे

गाये तब जय गाथा

जन गण मंगलदायक जय हे

भारत भाग्य विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.53 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेचुएटी सुविधा

(श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर))

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों की सेवाओं की स्थिरता पेंशन,ग्रेचुएटी आदि के बारे में राज्य सरकार की अभी तक सुस्पष्ट नीति निर्देश नहीं है ।

राज्य सरकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों की सेवाओं की सुनिश्चतता तथा पेंशन ग्रेचुएटी आदि सुविधाओं के बारे में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें । ताकि कर्मचारियों में उत्पन्न रोष एवं निराशा समाप्त हो सके ।

श्रीमती छोटी देवी (नीमकाथाना) की कथित दहेज हत्या की जांच

(श्री गोपीराम जाट (आमेर))

श्री लाल चन्द सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति माली, निवासी सरुड तहसील कोटपूतली की पुत्री स्व. श्रीमती छोटी देवी की श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री मंगल चन्द सैनी, निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना के साथ दिनांक 6-5-93 को शादी हुई थी। शादी में दहेज कम देने के कारण श्रीमती छोटी देवी को ससुराल वाले नहीं ले गये। लोगों के समझाने पर दिनांक 6-7-94 को मृत्यु से 15-20 दिन पूर्व ससुराल वाले ले गये थे और दिनांक 6-7-94 को पुलिस को सूचना दिये बिना,पोस्टमार्टम कराये बिना और इसके पिता को सूचना दिये बिना ही उसे जला डाला। छोटी देवी के ससुराल वालों ने उसके पिता को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के बाद सूचना दी। घर वालों को संदेह होने पर थाना नीम का थाना में श्रीमती छोटी देवी के घर वालों ने दहेज के कारण मारने की रिपोर्ट दर्ज करायी। जॉच के समय उप पुलिस अधीक्षक, नीम का थाना को मौके पर मकान में खून बिखरे होने की बात बतायी थी। श्रीमती छोटी देवी के खून के सैम्पल लिये। एस . पी., सीकर को श्रीमती छोटी के पिता श्री हनुमान सैनी वगैरह ने उप पुलिस अधीक्षक, नीम का थाना की शिकायत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,सीकर को उक्त प्रकरण की जॉच में लगा दिया किन्तु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कोई जॉच नहीं की और इस प्रकरण को पुलिस दबाने में लगी हुई है। अतएव इस प्रकरण में गृह मंत्री महोदय का ध्यानआकर्षित करके आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में सरकार निष्पक्ष जॉच कराना चाहती है तो दोषियों में श्रीमती छोटी के पति श्री श्रवण कुमार श्वसुर श्री मंगल चन्द एवं सास श्रीमती प्रभाती के कृत्यों की उच्च स्तरीय जॉच करके दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान कराने का श्रम करें।

पचपदरा क्षेत्र में विद्युत बिलों में गडबडी

(श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) **)**

मान्यवर,

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि कुओं और घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर्स की रीडिंग नहीं लेकर बिल्स में अधिक यूनिट दर्ज कर अन्धाधुन्ध तरीके से राशि की वसूली की जा रही है जिससे जनता में भारी असन्तोष है । कम्पयूटर से गलत बिल्स हर दूसरे माह आते रहते है जिससे संशोधन के लिए सहायक अभियंता के कार्यालय में बहुत बडी लम्बी कतार लगी रहती है। एक बार बिल में संशोधन करने के बावजूद भी दूसरी बार फिर से गलत बिल्स आ जाते है जिनको फिर संशोधन करने में अधिकारियों व जनता का कीमती समय नष्ट होता है। इसी कारण से अधिकारी लोग को फील्ड में काम करने की फुरसत नहीं मिलती है।

सैकडों काश्तकारों ने इस क्षेत्र में अपने कुओं के कनेक्शन काटने, बिजली की लाइन हटाने और ट्रांन्सफॉर्मर ठीक नहीं करने के कारण गलत बिल्स के आधार पर लाखों रुपये का भुगतान बिजली विभाग को कर दिया है। इस क्षेत्र में मीटर रीडर, लाइन मेन और कनिष्ठ अभियन्ता और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सहायक अभियन्ता की कमी होने के कारण आये दिन गलत बिल उपभोक्ताओं को दिये जा रहे है। लाइनमेन कई बिलों में गॉव के गॉव को लॉक्ड दर्ज कर देते है। दो महीनें में चार दिन बिजली आने पर भी हजार और हजार से अधिक रुपये का घरेलू बिजली का भुगतान करना पडता है। घरेलू बिजली में ग्रामीण जनता एक-दो बल्ब ही जलाती है और महीने में अठाईस दिन लालटेन से ही अपना काम चलाती है। बिजली की अव्यवस्था के कारण व बिजली विभाग की स्टाफ की कमी के कारण 15 व 7 दिनों में एक ही बार पानी लोगों को मिल रहा है।

बिजली विभाग द्वारा दिनांक 20-5-94 को कृषि विद्युत के सम्बन्ध में प्रति हॉर्सपावर खम्बों की राशि निश्चित की गयी जिसके कारण भी काश्तकारों में भारी असन्तोष है। यदि समय रहते हुए इस राशि को माफ नहीं किया गया तो काश्तकारों पर बहुत अधिक आर्थिक भार होगा,गरीब काश्तकार अपने कुओं पर बिजली लेने से महरुम रह जाएगा। अत: श्रीमान् से निवेदन है कि शीघ्र ही बिजली की समस्या के समाधान के लिए सरकार को उचित निर्देश दिलावें।

मोरेल बांध के पेटे में भूमि आने से काश्तकारों को परेशानी

श्री हीरालाल मीणा (बाामनवास)

ग्राम थारोला, तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर के काश्तकारों की भूमि मोरेल बॉध के पेटे में आने के कारण सिंचाई चक कर दी गयी एवं उक्त भूमि का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया। ग्राम बारोला के काश्तकारों ने उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार लेने हेतु जिला कलक्टर को निवेदन किया। जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर खातेदारी अधिकार देने हेतु तहसीलदार, तहसील बॉली को आदेश दिया कि उक्त भूमि का काश्तकारों को मुआवजा दिया गया हो तो मुआवजा राशि जमा करवाते हुए खातेदारी अधिकार दिया जाए। उक्त प्रकरण को तहसील बॉली में 6 माह

हो चुके है। परन्तु सिचाई विभाग एवं रेवन्यु विभाग ने काश्तकारों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में लिखित में तहसीलदार बोली को नहीं दिया है। तहसीलदार बोली द्वारा ग्राम धारोला के काश्तकारों के 50 गुनी पैनल्टी एवं तीन - तीन माह का कारावास दिया जा रहा है। मुआवजा राशि देने नहीं देने की एन. ओ. सी. प्राप्त करने हेतु काश्तकार सिंचाई विभाग एवं जिला कलक्टर के दफतरों में धक्का खाते रहते है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है।

अतः सरकार ग्राम धारोला के काश्तकारों को न्याय दिलवाये और सरकार काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है तो मुआवजा राशि जमा करवाली जाए और काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलवाया जाए ताकि काश्तकार 50 गुनी पैनल्टी एवं तीन-तीन माह के कारावास की सजा से बच सकें।

बगरू में चरागाह की भूमि पर

रीको द्वारा कब्जा

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम (साँगानेर)

बगरू में चरागाहं की जमीन पर रीको ने कब्जा कर लिया है । वहाँ नगर एवं आसपास की दमडेयों की आबादी बीस-बाईस हजार है । उनके पशुओं को चराने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है । अतः बगरू के चरागाह को खाली करके नगर परिषद को सौपा जाय । इसी क्षेत्र में 70-75 परिवार अनुसूचित जाति के रह रहे है । इनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। राजस्व अभिकरण के तहत भी यह बात उठाई गयी थी और उस समय अफसरों ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। उसके बावजूद उनकी एवं कच्चे मकानों की रीको वाले हर दिन जा कर तोड़फोड़ करते रहते है।

अतः इन गरीब परिवारों के घरों की रक्षा की जानी चाहिए।

परिशिष्ट - 2

सदन में नही लिये जा सके तारांकित/ अतारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

अलवर की अनुदानित शिक्षण संस्थाएं

100. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर में किस-किस स्तर की अनुदान प्राप्त कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं और उनको कितना प्रतिशत वार्षिक अनुदान दिया जाता हैं ?

(2) वर्ष 1992 से मार्च, 1994 तक अनौपचारिक शिक्षा पर कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष खर्च की गई और इसमें गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

(3) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के क्या मानदण्ड है ? क्या उसकी अनुपालना के अन्तर्गत उनको अनुदान दिया जाता है ?

(4) क्या अलवर में हैप्पी स्कूल, आर्य कन्या माध्यमिक विद्यालय को सरकार अनुदान देती है। यदि हॉ, तो इनकी वास्तविक स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक स्तर की 8, उच्च प्राथमिक स्तर-9 व प्राथमिक स्तर -17 कुल 34 अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं है। इन संस्थाओं को देय अनुदान प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में अनौपचारिक शिक्षा पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :- (रु. लाखों में)

वर्ष	राज्यांश	केन्द्र द्वारा	योग
92-93	165.85	327.58	493.43
93-94	206.90	502.56	709.47

वर्ष 1992 से 1994 तक गैर सरकारी विद्यालयों/ संस्थाओं को अनैपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए कोई सहायता अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई ।

(3) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि नियम, 1993 के अध्याय -3 एवं परिशिष्ट -4 में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने व वित्तिय साधनों की सुलभता पर अनुदान अनुज्ञेय किया जा सकता है। संस्था को अन्य बातों के साथ -2 पंजीकरण, स्थाई मान्यता, अध्यापकों, प्रबन्ध समिति, शैक्षणिक/ अशैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय, कक्षावार छात्र संख्या, गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम, आय-व्यय, स्थायी कोष, संस्था की सम्पत्तियों आदि का विवरण प्रस्तुत करना होता है।

(4) अलवर के हैप्पी स्कूल व आर्य कन्या माध्यमिक विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

अलवर जिले में गैर सरकारी अनुदानित संस्थाएं

क्र.सं.	संस्था का नाम उ.मा.वि./मा.वि.	प्रतिशत
1.	सैनी उ. मा. वि., अलवर	80
2.	आर्य कन्या उ. मा. वि., अलवर	96
3.	खण्डेलवाल उ. मा. वि., अलवर	70
4.	जैन मा. वि., अलवर	70
5.	हैप्पी मा. वि., अलवर	60
6.	बाल शिक्षा समिति के कार्य., अलवर	90
7.	कला भारती, अलवर	80
8.	हैप्पी स्कूल, अलवर विशिष्ट	90
	उच्च प्राथमिक विद्यालय -	
1.	जैन उ. प्रा. वि., अलवर	60
2.	यादव उ. प्रा. वि., अलवर	60
3.	खण्डेलवाल उ. प्रा. वि., अलवर	80
4.	आदर्श उ. प्रा. वि. सिध्दिप्रदा, अलवर	50
5.	अग्रवाल उ. प्रा. वि., अलवर	50
6.	ब्रम्हचारी उ. प्रा. वि., अलवर	50
7.	सैनी उ. प्रा. वि., अलवर	50
8.	खण्डेलवाल उ. प्रा. वि., अलवर	50
9.	ओसवाल जैन उ. प्रा. वि. अलवर	50
	प्राथमिक विद्यालय -	
1.	मितल प्रा. वि., अलवर	60
2.	आर्य प्रा. वि., अलवर	80
3.	अग्रवाल प्रा. वि., अलवर	70
4.	ओसवाल जैन प्रा. वि., अलवर	70
5.	खण्डेलवाल प्रा. वि. राजगढ़, अलवर	60
6.	सैनी प्रा. वि. तिजारा, अलवर	60

क्र.सं.	संस्था का नाम उ.मा.वि./मा.वि.	प्रतिशत
7.	यादव प्रा. वि., अलवर	60
8.	जैन.प्रा. वि. तिजारा, अलवर	60
9.	ब्रम्हचारी प्रा. वि., अलवर	60
10.	सैनी प्रा. वि., अलवर	70
11.	महिला प्रा. वि. शिक्षा केन्द्र , अलवर	90
12.	गुप्ता प्रा. वि., अलवर	50
13.	गुरु नानक प्रा. वि., अलवर	50
14.	नेहरु प्रा. वि., अलवर	50
15.	सरोजनी प्रा. वि., खेडली अलवर	50
16.	आदर्श प्रा. वि., सिधिपुरा अलवर	50
17.	आर्य कन्या प्रा. वि., अलवर	90

क्र.सं.	नाम संस्था	अनुदान अनुज्ञेय किये जाने का वर्ष	प्रतिशत
1	हैप्पी उच्च प्राथमिक विधालय, अलवर	1942	70
2	हैप्पी सीनियर उच्च माध्यमिक विधालय, अलवर	1-4-1971	80
3	आर्य प्राथमिक विद्यालय, अलवर	1965	80
4.	आर्य बालिका प्राथमिक विद्यालय, अलवर	1965	90
5	आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर	1972	

बालेसर (जोधपुर) का मुंसिफ न्यायालय

101. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बालेसर, जिला जोधपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय कितने वर्षों से कार्यरत है? क्या मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कार्यालय व निवास तथा स्टाफ के लिए भवन बनाने की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो कार्यालय भवन, निवास व अन्य क्वाटर्स के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भविष्य में इस बारे में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) बालेसर जिला जोधपुर में मुंसिफ

(राज्य मंत्री, विधि)

मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन दिनांक 7-1-93 को हुआ । उक्त न्यायालय भवन हेतु 8.30 लाख एवं पीठासीन अधिकारी के आवास भवन के निर्माण हेतु 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है । स्टाफ क्वाटर्स के बनाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) सरकार की भविष्य की योजना धनोपल्लब्धि एवं आवश्यकता की प्राथमिकता पर ही निश्चित की जा सकती है ।

कालख बांध, जयपुर की भराव क्षमता

102. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दूदू (जयपुर) में कालख बॉध के पीछे सानोद के पास गत वर्षो में तालाब का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो किस वर्ष में एवं इस पर कितनी लागत आई ?

(2) क्या यह सही है कि सानोद एवं जमदेई तालाब के निर्माण से कालख बॉध में पानी की भराव क्षमता पूर्व की अपेक्षा कम हो गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) कालख बॉध की पूर्व भराव क्षमता क्या थी एवं वर्तमान भराव क्षमता क्या है ?

(4) क्या सरकार भराव क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जमदेई एवं सानोद तालाब को तुड़वाकर पुनः बॉध की आवक को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जमदेई लघु सिंचाई परियोजना वर्ष 87-88 में प्रारम्भ की गई थी, इस परियोजना पर माह अगस्त, 94 तक 82.16 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(2) जी नहीं ।

(3) जमदेई लघु सिंचाई योजना के निर्माण से कालख बॉध से पानी की भराव क्षमता पर विपरीत असर नहीं पड़ने से इसे तुड़वाना आवश्यक नहीं है।

(4) कालख बॉध की पूर्व में भराव क्षमता 5810 लाख घनफीट थी व अब इसकी भराव क्षमता 7300 लाख घनफीट की गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 103

(स्थगित)

पिंकी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, समदड़ी बालोतरा को स्वीकृत ऋण

104. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या समदड़ी रेल्वे स्टेशन पर "पिंकी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज" को वित्त निगम, बालोतरा द्वारा ऋण दिया गया था? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह इण्डस्ट्री चालू है ? यदि हां, तो क्या वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण की वसूली कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या इस इण्डस्ट्रीज को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है ?

(3) कब्जे में लेते समय इस इण्डस्ट्री में क्या-क्या सामान उपलब्ध था ?

(4) क्या यह सही है कि जिस गोदाम में इस इण्डस्ट्री का सामान पड़ा है, उसका 80/- रुपये प्रति माह किराया दिया जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने गोदाम मालिक को सारा किराया अदा कर दिया था ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वित्त निगम की बालोतरा शाखा द्वारा समदड़ी रेल्वे स्टेशन पर "पिंकी प्लास्टिक इण्डस्ट्री" को 25,000/- रु. का ऋण स्वीकृत किया गया था। उसमें से 21,000/- रु की राशि का वितरण किया गया।

(2) जी नहीं। वित्त निगम द्वारा अभी तक ऋण की वसूली नहीं की गयी है। निगम द्वारा इस इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण एस.एफ.सी. एक्ट -1951 की धारा 29 के अन्तर्गत कर लिया गया है।

(3) इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करते समय केवल मात्र खस्ता हालत में मशीनरी स्क्रेप मिली ।

(4) जी हां।

(5) मामला न्यायालय के अधीन होने के फलस्वरुप किराये का भुगतान नहीं किया गया है।

जिला झुन्झुनूं के पर्यटन स्थलों का विकास

105. **डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)** : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या झुन्झुनूं जिले के पर्यटन स्थल बाघोटगढ़, भोपालगढ़, स्वामी विवेकानन्द स्मारक एवं ऐतिहासिक तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या इसका सर्वे करवाया जा चुका है?

(2) क्या यह सही है कि खेतड़ी तहसील के तूंदा गॉव के पास हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष जमीन में दबे हुए हैं और यदा कदा गॉव वाले उन अवशेषों को निकालते रहते है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में झुन्झुनू जिले के बाघोटगढ़, भोपालगढ़, स्वामी विवेकानन्द स्मारक एवं ऐतिहासिक तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां । खेतड़ी के निकट तूंदा नामक गॉव के पास मध्यकालीन अवशेष जमीन में दबे हुए हैं । इन अवशेषों को खोदकर निकाले जाने की शिकायत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को नहीं मिली है।

जिला टौंक के अकाल राहत कार्य

106. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टौंक जिले में अकाल राहत के तहत कितने कार्य किस-किस तहसील में करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन कार्यों में गम्भीर अनियमितताएं हुई है?

उत्तर

(1) टौंक जिले में संवत् 2050 में निम्न प्रकार अकाल राहत कार्य करवाये है :

(2) टौंक जिले में सम्वत् 2050 में निम्न प्रकार अकाल राहत कार्यों में अनियमिततायें संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है :

क्र.सं.	नाम तहसील	प्राप्त शिकायतें
1.	टौंक	4
2.	निवाई	9

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

क्र.सं.	नाम तहसील	प्राप्त शिकायतें
1.	टौंक	132
2.	निवाई	217
3.	उनियारा	110
4.	देवली	143
5.	मालपुरा	187
6.	टोड़ारायसिंह	201
	योग -	990.

3.	उनियारा	1
4.	देवली	1
5.	मालपुरा	2
6.	टोडारायसिंह	1
	योग -	18

उन शिकायतों में से 6 शिकायतों की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं 12 शिकायतों की जांच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जा रही है ।

अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, गांधीनगर, जयपुर का भवन

107. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास गांधीनगर जयपुर में 55 छात्राओं के रहने की स्वीकृति है ? यदि हां, तो वर्तमान में वहां कितनी छात्रायें रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास का स्वयं का भवन है ? यदि हॉ, तो वहॉ कुल कितनी छात्राओं के रहने की व्यवस्था है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कन्या छात्रावास में अन्य संस्थाएं भी चलती हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सा ?

उत्तर

(1) जी हां। छात्रावास की स्वीकृत संख्या 55 हैं । वर्तमान में 31 छात्रा रह रही हैं।

(2) जी हां। उपलब्ध भवन में प्रवेशित छात्राओं के रहने की व्यवस्था है।

(3) जी हां। छात्रावास भवन में छात्रावास के अतिरिक्त बालिका गृह एवं शिशु गृह भी संचालित है।

पशुओं की चिकित्सा हेतु व्यय राशि

108. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशुपालन विभाग द्वारा रोगी पशुओं की चिकित्सा हेतु दवाइयों तथा उपकरणों पर गत दो वित्तीय वर्षो में कितनी -कितनी धनराशि व्यय की गई है और वह इस विभाग पर हो रहे कुल व्यय की कितनी प्रतिशत है ? इस वर्ष गत माह के अन्त तक दवाइयों व उपकरणों पर कितना व्यय हुआ ?

(2) दवाइयों हेतु उपलब्ध बजट का जिलेवार वितरण किस आधार पर किया जाता है ? विभाग द्वारा दवाइयों की खरीद हेतु क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

(3) कितने मूल्य की दवाइयॉ गत दो वर्षो में अवधि पार हुई है ?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग द्वारा रोगी पशुओं की चिकित्सा हेतु दवाइयॉ तथा उपकरणों पर गत दो वित्तीय वर्षो में निम्न राशि व्यय हुई है:-

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

	92-93	93-94
औषधियों पर		
लाखों में	141.50	142.93
उपकरणों पर		
लाखों में	173.46	57.34

इस विभाग पर हो रहे कुल व्यय का लगभग 3 प्रतिशत औषधि अकाल पर, एक प्रतिशत उपकरणों पर व्यय होता है। इस वर्ष अभी तक अकाल मद से रु. 40.00 लाख दवाईयों के लिए जिला पशु पालन अधिकारियों को आवंटित कर दिया है।

(2) दवाइयों हेतु उपलब्ध बजट का जिलेवार वितरण जिले में कार्यरत संस्थाओं के आधार पर किया जाता है।

तकनिकी समिति की अनुशंसा के आधार पर विभागीय क्रय समिति द्वारा दरों का अनुमोदन किया जाता है।

(3) गत दो वर्षो में कोई भी औषधी चिकित्सालयों में अवधि पार नहीं हुई है। परन्तु केवल कुम्हेर प्रजनन फार्म हेतु भरतपुर में रुपये 13459/- की दवाइयाँ अवधि पार हुई है। दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल-रोगी वाहन एवं चिकित्सा व्यवस्था

109. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 एवं विधान सभा क्षेत्र बस्सी पर आये दिन सड़क दुर्घटनायें होतो रहती हैं? यदि हां ,तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरन्त राहत पहुचाने के लिए चल रोगी वाहन एवं उसके साथ डॉक्टरों एवं कम्पाउण्डरों तथा आवशयक दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह की सुविधाएं अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कब से? क्या उपरोक्त सेवाएँ सरकार की तरफ से निःशुल्क संचालित की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में उपलब्ध रोगी वाहन गरीब एवं बेसहारा तथा बहुत ही आपातकालीन स्थिति में रोगी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है? यदि हॉ तो कब से? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन परिस्थियों में यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र बस्सी पर रोगी वाहन एवं स्टाफ आदि की सुविधा ठपलब्ध है ।

(2) जी हां। वर्ष 1992-93 से एक्सीडेंटल इमरजेंन्सी सेवाएँ बहरोड़, दूदू व ऋषभदेव में निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है ।

(3) रोगी वाहन की सुविधा निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान नहीं है परन्तु लावारिस रोगी या महामारी की स्थिति में रोगी वाहन निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

बाडोली भैंसरोडगढ़ मन्दिर की मूर्तिया

110. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेंगू) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में बाड़ोली के प्राचीन मन्दिरों की मूर्तियां पिछले दो सालों के दौरान खण्डित की गई? यदि हॉ, तो कितनी मूर्तियॉ कब खण्ड़ित की गई, तथा इस मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई एवं इसमें लोग कितने लोग पकड़े गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय धरोहर बाड़ोली मन्दिरों की कुछ मूर्तियां कहीं अन्यत्र रखी हुई हैं? यदि हॉ, तो कहॉ - कहॉ, कितनी - कितनी मूर्तियॉ ?

(3) क्या इन अलग रखी हुई मूर्तियों को बाहर से आने वाले पर्यटकों को दिखाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही हैं? यदि नहीं,तो क्यों?

(4) मेनाल और बाड़ोल मन्दिरों की सुरक्षा की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

(5) क्या सरकार मेनाल और बाड़ोली के मन्दिरों के विशेष विकास हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्या?

उत्तर

(1) बेंगू विधान सभा की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में बाड़ौली के प्राचीन मंदिरों का सम्बन्ध देवस्थान विभाग से नहीं हैं । फिर भी मांगी गयी सूचना संबंधित जिलाधीश महोदय से मॅगायी जा रही है।

(2) सभी संबन्धित से इसकी सूचना मॅगायी जा रही है।

(3) इसकी जानकारी की जा रही है।

(4) मेनाल और बाड़ोली मंदिरों की सुरक्षा हेतु दोनों ही स्थानों पर पुरातत्व विभाग की ओर से कर्मचारी तैनात है।

(5) इस विभाग का मुख्य दायित्व स्मारकों का परीक्षण/संरक्षण करना है। बाड़ोली के स्मारकों की हालत सन्तोषजनक है। तथा इनका रखरखाव भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। मेनाल के स्मारकों पर इस वर्ष वर्षा से कुछ क्षति हुई है जिसकी मरम्मत हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक पर्यटन के दृष्टिकोण से स्मारकों को विकसित करने की बात है तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से बाड़ोली स्मारकों पर पार्किंग,कियोस्क तथा पत्थर की बेंच इत्यादि लगाये जाने की योजना है।

लतारिया बांध, बून्दी का निर्माण

111. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में लतारिया बॉध गरड़दा को बनाने की योजना है? यदि हॉ, तो क्या लतारिया बॉध में आने वाली वन विभाग की भूमि के एवज में राजस्व की भूमि वन विभाग को दे दी गई है? यदि हॉ, तो कौन-कौन से खसरा नम्बरों की कितनी भूमि?

(2) क्या यह सही है कि लतारिया बॉध गरड़दा बनाने में सरकार के सामने अब कोई कठिनाई नहीं है? यदि हॉ, तो क्या इस बॉध का कार्य राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर कब प्रारम्भ करने जा रही है? यदि नहीं,तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि लतारिया बॉध बनने से लगभग 60,000 बीघा भूमि सिंचित होगी और 43 गॉवों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा? यदि हॉ, तो किसानों को इसका

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

पूरा लाभ मिलें एवं पानी बेकार न जावे, इस बाबत सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। गरडदा बाँध के डूब में आने वाली वन भूमि के बदले में राजस्व भूमि देने हेतू प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किये गये है, स्वीकृति अपेक्षित है भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अभी तक गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना की केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने तथा वित्तिय संसाधन उपलब्ध होने पर इस परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। किसानों को इसका पूरा लाभ मिलें एवं पानी बेकार न जाये इसके लिए भारत सरकार को इस परियोजना के शीघ्र अनुमोदन हेतु समय - समय पर निवेदन किया गया है।

परिशिष्ट - "अ"

ग्राम बहड़ावली तहसील के पाटन को राजस्व विभाग से वन विभाग में लिए जाने हेतु प्रस्तावित भूमि।

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	
		बीघा	बिस्वा
1.	183	1	00
2.	184	5	05
3.	185	4	05
4.	186	10	11
5.	213	9	10
6.	214	4	06
7.	216	4	13
8.	217	63	16
9.	219	6	00
10.	220	3	18
11.	222	2	03
12.	229	5	00
13.	225	2	05
14.	281	152	05

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	
		बीघा	बिस्वा
15.	291	31	06
16.	309	95	11
17.	465	25	11
18.	452	41	18
19.	459	34	16
20.	494	6	00
21.	495	11	04
22.	496	1	03
23.	500	3	02
	23	684	08
		109.46 हैक्टर	

खेड़ला-बोंल टोडाभीम सम्पर्क सड़क

112. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : - क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोड़ाभीम के पंचायत मुख्यालय ग्राम बोंल को खेडला से बोंल सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सन् 1987 में ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सम्पर्क सड़क आज भी अपूर्ण है ? यदि हाँ,तो क्या सरकार इस सड़क को गिट्टी की सड़क बनाकर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । खेड़ला से बौल सम्पर्क सड़क के निर्माण की जॉच करवाई गई थी तथा इस सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है,जिस पर शीघ्रताशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर बचे हुए भाग में ग्रेवल सड़क निर्माण का कार्य कार्यरत जवाहर रोजगार योजना-द्वितीय धारा में करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

समग्र विकास योजना

113. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

क्या राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार योजना आयोग से राज्य के लिए समग्र विकास योजना वार्षिक योजना के अलावा बनाने का विचार रखती है जैसा कि असम, बिहार व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अब

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

तक कोई रुपरेखा तैयार की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य की योजना राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ही बनायी जाती है। योजना आयोग से चर्चा करने के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। असम,पूर्वोत्तर राज्य तथा बिहार ने वार्षिक योजना के अलावा समग्र विकास योजना बनायी है, इसकी जानकारी राज्य को नहीं है।

विज्ञापन नीति

114. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) एवं **श्री रामनारायण मीणा** : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए विज्ञापन नीति निर्देश जारी किए हुए है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्देशों के तहत किस प्रकार के समाचार पत्रों को बाहर रखा गया है? समाचार पत्रों को बाहर रखने के कारण सहित समाचार पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा 1-4-1993 से 31-3-1994 तक विभिन्न अखबारों को विज्ञापनों के पेटे राशि भुगतान की गई है? यदि हॉ, तो किस प्रकार, किस किस अखबार को कितनी-कितनी? अब कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) उक्त नीतियों के तहत छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन एवं भुगतान में प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) सरकारी विज्ञापन राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 में दिये गयें प्रावधानों के अन्तर्गत दिये जाते है। नियमों की प्रति परिशिष्ठ "क" पर प्रस्तुत है।

(2) विज्ञापन नियमों के प्रावधानों की पूर्ति करने वाले समाचार पत्रों को वर्गीकृत विज्ञापन दिये जाते है और आवश्यकता होने पर किसी भी समाचार पत्र को सजावटी विज्ञापन देने की व्यवस्था है।

(3) जी हां। भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है। अखबारों को भुगतान ड्राफट और बिल एण्डोरसमेन्ट के माध्यम से किया गया है। भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट "ग" पर प्रस्तुत है।

(4) सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार विज्ञापन देने की व्यवस्था है। दिये गये विज्ञापनों के भुगतान भी समानरुप से किया जाता है।

(नियमों की प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अकाल राहत कार्यो की बकाया मजदूरी

115. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी देना शेष है? यदि हॉ, तो कितने मजदूरों को व

Page No.29

(श्री जगदीप धनखड़)

इनके मजदूरी की अदायगी कब तक हो जाएगी ?

(2) क्या सरकार देरी से मजदूरी अदायगी के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हॉं, तो क्या व कब तक ?

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहॉं-कहॉं व कितनी-कितनी मजदूरी की अदायगी शेष है ?

उत्तर

(1) जी हॉं। 57152 मजदूरों को आंशिक मजदूरी देना शेष है। जिले वाईज सुचना संलग्न है।

(2) देरी से मजदूरी अदायगी के लिए यदि कोई कर्मचारी /अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जॉंच करायी जाएगी ।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक कार्य पंचायत समिति की 10 दुकानों का माह जुलाई, 1994 में 20 श्रमिकों का भुगतान तादादी 5692.00 रुपये शेष है।

जिलेवार बकाया भुगतान वाले श्रमिकों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	मजदूरों की संख्या जिन्हे मजदूरी देना शेष है
1.	अजमेर	1909
2.	अलवर	निल
3.	बारां	निल
4.	बांसवाड़ा	निल
5.	बाड़मेर	7078
6.	भरतपुर	निल
7.	भीलवाड़ा	निल
8.	बीकानेर	1179
9.	बून्दी	34915
10.	चित्तौड़गढ़	निल
11.	चूरु	276
12.	दौसा	598
13.	धौलपुर	197
14.	डूगरपुर	निल

क्रम	नाम जिला	मजदूरों की संख्या जिन्हे मजदूरी देना शेष है
15.	गंगानगर	निल
16.	जयपुर	773
17.	जैसलमेर	निल
18.	जालौर	1283
19.	झालावाड़	निल
20.	झुंझुनूं	4887
21.	जोधपुर	2342
22.	कोटा	निल
23.	नागौर	निल
24.	पाली	निल
25.	राजसमन्द	निल
26.	सवाई माधोपुर	निल
27.	सीकर	निल
28.	सिरोही	143
29.	टौंक	1572
30.	उदयपुर	निल
31.	हनुमानगढ़	निल

इटावा पीपल्दा का छात्रावास भवन

116. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा ईटावा में विभाग का छात्रावास कार्यरत है?

(2) यदि हॉं, तो उक्त छात्रावास का भवन किस संस्था से कितनी राशि प्रतिमाह किराये पर ले रखा है?

(3) क्या यह भवन छात्रों के रहने व अध्ययन कार्य के योग्य है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवाने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में छात्रावास दादू धर्मशाला ग्राम पंचायत इटावा से 300/-रु . प्रतिमाह किराये पर ले रखा है।

(3) जी हां। संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्मण पर विचार किया जाना संम्भव हो सकेगा ।

बढ़ती आबादी पर रोक हेतु उपाय

117. **श्री रामस्वरूप** (टोड़ाभीम) : क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए पंचायतों के चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त समझा जावेगा जिनका परिवार सीमित है? यदि हां, तो क्या राज्य सेवा में भर्ती व पदोन्नति में भी इसी भावना के तहत नीति निर्धारित किये जाने का सरकार का विचार है?

यदि हां, तो क्या इसे कब से व किस प्रकार लागू किया जावेगा ?

(2) क्या भविष्य में सरकारी ऋण व सहायता प्राप्त करने के लिए भी सरकार ऐसी ही नीति निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या विधायक एवं मंत्रियों के लिए भी सरकार परिवार नियोजन अनिवार्य करने का विचार रखती है ?यदि हां, तो कब तक व नहीं,तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सेवा में भर्ती पदोन्नति के तहत नीति निर्धारण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) विधायकों व मन्त्रियों के विषय में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सैकण्डरी /सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्राचार्यों के रिक्त पद

118. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक /प्रिंसिपल के कितने पद रिक्त है? क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित सभी प्रतीक्षारत सैकण्डरी प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पद नियुक्ति हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्रदेश की सभी उच्च प्राथमिक /माध्यमिक/उच्च स्तर माध्यमिक शालाओं के सभी अध्यापकों के पद भर दिये गये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) ऐसी कितनी उच्च प्राथमिक शालाएँ सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में स्थित है जिनमें स्वीकृत अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उच्च प्राथमिक शाला बकाण,खाखरभाला (रायपुर) माकड़िया (सहाड़ा) में मात्र दो-दो अध्यापक कार्यरत है ?यदि हां, तो वहां समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के निम्न प्रकार से पद रिक्त है :-

(शिक्षा मंत्री)

(1) प्रधानाचार्य छात्रा 03

(2) प्रधानाध्यापक 90

जी, हां सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी, नहीं ।

वर्तमान में विभाग में अध्यापकों के निम्नानुसार पद रिक्त है :-

व्याख्याता	वरिष्ठ-अध्यापक	अध्यापक
2668	305	478

पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(3) सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में स्थित विद्यालय में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी ।

जी, नहीं । आवंटित पदों के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत है। किसी भी विद्यालय में 2-2 अध्यापक कार्यरत नहीं है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

नदी जल बंटवारा

119. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगा एवं देश की अन्य नदियों के बाढ़ के पानी के नियन्त्रण एवं राज्य के सूखे इलाकों की अकाल समस्या से निजात दिलाने हेतु उक्त नदियों के पानी के बंटवारे हेतु अब तक किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस हेतु भविष्य में और क्या प्रयास किए जाने प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई हेतु गंगा के अधिकाय बाढ़ जल के उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 1972 से प्रयास जारी हैं। इस हेतु किये गये प्रयास का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) गंगा बाढ़ जल का प्रकरण गंगा बाढ नियन्त्रण मण्डल की 13 वीं बैठक की कार्य सूची में सम्मलित है। इस बैठक में निर्णय कराने के प्रयास किये जायेंगे ।

गंगा के अधिकाय बाढ़ जल को उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण

राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई हेतु गंगा के अधिकाय बाढ जल उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 1972 से प्रयास जारी हैं।

यह प्रकरण गंगा बाढ़ नियन्त्रण मण्डल की बैठकों में, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री है, विचाराधीन है। मण्डल की 11 वीं बैठक में (14.1.88) अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को निर्देशित किया गया कि विषयान्तर्गत विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन मण्डल को दें। मण्डल की 12 वीं बैठक (12.4.90) में राजस्थान ने शीघ्र निर्णय करने हेतु आग्रह किया। तत्पश्चात् 11 वीं बैठक के निर्णय के अनुसरण में केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट राज्यों को प्रेषित की गई, जिस पर जून, 1990 में राज्य ने टिप्पणी प्रेषित कर दी। दिनांक 23.12.92 को होने वाली मण्डल की 13 वीं बैठक किसी कारणवश नहीं हो सकी और उसके स्थान पर अधिकारी स्तर की बैठक ही आयोजित हुई। इस बैठक में अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को इस प्रकरण पर विचार करके अपनी सिफारिश देने के लिए अनुरोध किया गया राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

सराड़ा (उदयपुर) में "जीवन धारा" एवं "इन्दिरा आवास योजना" अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

120. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सराड़ा, जिला उदयपुर में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में "जीवन धारा" एवं "इन्दिरा आवास योजना" के अन्तर्गत कितने कुएं एवं कितने मकान स्वीकृत हुए थे ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी कुएं एवं मकानों का कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि नहीं, तो अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी कुओं एवं मकानों के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं तो क्यों ? सरकार बकाया भुगतान कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पं.स. सराड़ा जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में "जीवनधारा " एवं "इंदिरा आवास योजना"अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

वर्ष	इन्दिरा आवास	जीवनधारा
1992-93	147	40
1993-94	505	69

नामजद सूची संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, लाभार्थियों द्वारा उनको स्वीकृत इन्दिरा आवास एवं नवकूप निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने के कारण अपूर्ण रहे। पूर्ण एवं अपूर्ण इन्दिरा आवास एवं कूप का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं। पूर्ण कार्यों में ही स्वीकृत राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है। शेष कार्यों में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट में अंकित है, जिनमें लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत कार्य पूर्ण करने पर ही बकाया भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला झालावाड़ में "रीको" हेतु आरक्षित भूमि

121. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में रीको के अधिकार में कहां-कहां पर कितनी-कितनी आरक्षित भूमि उपलब्ध है ?

(2) क्या विगत छः माह में अकलेरा मे रीको की आरक्षित भूमि का किसी को आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर आवेदनकर्ताओं व उनके द्वारा लगाये जाने वाले उद्योग के विकल्प का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या भूमि की रजिस्ट्री उसी नाम से की गयी है, जिस नाम से आवंटन व आवेदन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या आवंटित की गई भूमि की वाणिज्यिक कीमत है ? यदि हां, तो क्या इसको वाणिज्यिक दर पर बेचान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मैसर्स शालीमार सर्विस स्टेशन एण्ड बोडी रिपेयर्स को 1887.37 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 8.6.1994 को आवंटन किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों व उनके द्वारा लगाये जाने वाले उद्योगों का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) मैसर्स भारत सर्विस स्टेशन एण्ड बोडी रिपेयर्स के नाम से भूखण्ड आवंटन हेतु दि. 7.7.92 को आवेदन किया गया था। लेकिन भारत सरकार द्वारा दि. 10.8.93 के निर्देशों से देश, प्रान्त इत्यादि के नाम पर लघु ओद्योगिक इकाईयों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया उक्त प्रतिबंधों को उद्योग विभाग द्वारा 26.8.93 को पृष्ठांकन किया गया। अत: उक्त इकाई के भागीदारों द्वारा मैसर्स शालीमार सर्विस स्टेशन एण्ड बोडी रिपेयर्स के नाम नये नाम से दि. 2.6.1994 को पंजीयन करवाया गया तथा इसी नाम से भूमि का आवंटन दिनांक 8.6.94 को किया गया तथा लीजडीड का निष्पादन दि. 10.6.94 को किया गया है।

(5) जी हां। भूमि का आवंटन रीको की वाणिज्यिक दर पर ही किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल
1.	मामा भांजा (प्रथम व द्वितीय चरण)	0.70 एकड़
2.	मामा भांजा (तृतीय चरण)	1.15 एकड़
3.	भवानी मण्डी	1.57 एकड़
4.	झालरापाटन	1.33 एकड़
5.	अकलेतरा	0.70 एकड़

भाग संख्या 2 के सन्दर्भ में :-

क्र.सं.	आवेदन कर्ता का नाम	आवेदन की तिथि	उद्योग का प्रकार	प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही
1.	मैसर्स आर. के. आयल इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, अकलेरा	26.03.90	आयल मिल	जी-3/4 का आवंटन दिनांक 31.10.90
2.	मैसर्स सुशील हाथकर्घा उद्योग प्रो. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री देवी चन्द, अकलेरा	12.06.91	पाल चदद निर्माण	एच 1-24 का आवंटन दिनांक 2.3.94
3.	मैसर्स कन्हैयालाल फर्नीचर उद्योग प्रो. कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगीलाल, अकलेरा	16.07.91	फर्नीचर उद्योग	जी-16 का आवंटन दिनांक 4.1.92
4.	मैसर्स रमेश फर्नीचर उद्योग प्रो.श्री रमेश चन्द खाती पुत्र श्री भूली लाल, अकलेरा	10.09.91	फर्नीचर उद्योग	जी-15 का आवंटन दिनांक 25.8.92
5.	मैसर्स अहसान इन्जि. वर्क्स प्रो श्री सुल्तान मोहम्मद पुत्र श्री इस्माइल मोहम्मद, मो. रमजानपुरा, अकलेरा	24.03.92	स्टील फर्नीचर	स्वयं की इच्छा से वापस राशि मांगी गई (दिनांक 27.7.92 को राशि लौटाई गई)

क्र.सं.	आवेदन कर्ता का नाम	आवेदन की तिथि	उद्योग का प्रकार	प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही
6.	मैसर्स शालीमार सर्विस स्टेशन एण्ड बोड़ी रिपेयर्स पार्टनर (1) श्री अरुण कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ वर्मा (2)श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री रमेश चन्द वर्मा (3)श्री किफायती अली पुत्र श्री रोनक अली	07.07.92	सर्विस स्टेशन व बोडी रिपेयर्स	स्पेशल-1 का आवंटन दिनांक 8.6.94 (क्षेत्र 1887.37 वर्ग मीटर सर्विस एरिया)
7.	श्री रामगोपाल सोप फैक्ट्री प्रो. श्री रामगोपाल	30.09.93	सोप फैक्ट्री	भूखण्ड उपलब्ध न होने पर प्रार्थना पत्र लौटाया गया। उद्यमी द्वारा पुनः पुत्र श्री धूलीलाल मेधवाल, अकलेरा दिनांक 2.8.94 को राशि जमा कराकर आवेदन किया है तथा भूखण्ड संख्या 13-14 में आवंटन की मांग की है

निजी कृषि भूमि में अकाल राहत के अन्तर्गत सार्वजनिक कुएं का निर्माण

122. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अकाल राहत योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की निजी कृषि भूमि पर सार्वजनिक कुएं का निर्माण कराया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार की राशि से सार्वजनिक कुएं का निर्माण किन मानदण्डों के आधार पर कराया जाता है?

(2) क्या पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत सैथली के ग्राम मंगलेशपुर में अकाल राहत योजना वर्ष 1994 के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक कुएं का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ?

(3) उपरोक्त सार्वजनिक कुएं का निर्माण कार्य किस दिनांक को प्रारम्भ हुआ और इसका निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(4) क्या उपरोक्त कुएं के निर्माण के स्थान को लेकर ग्राम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने विभिन्न स्तर के अधिकारियों को शिकायतें की थी? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) उपरोक्त कुएं के निर्माण मे जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने लापरवाही एवं गैर कानूनी कार्य किया है, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर मंगलेशपुर (सैथल) में सार्वजनिक नवीन कूप निर्माण कार्य पर कलक्टर, अलवर ने 50,000/- की स्वीकृति दी थी। जिसकी संशोधित स्वीकृति 75,000/- रुपये की है।

(3) उक्त कूप निर्माण का कार्य दिनांक 12-5-94 को प्रारम्भ किया और 15-7-94 को बन्द हो गया। इस कार्य पर कुल 48,121/- रुपये की राशि व्यय हुई है।

(4) जी हां, ग्रामवासियों द्वारा जिला कलक्टर , अलवर को शिकायत की गई थी। जिस पर कार्य बंद करवाया जाकर, सहायक अभियन्ता से इसकी जांच करवाई, जांच के पश्चात् कार्य पुन: दिनांक 17-6-94 को प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये।

(5) इस मामले में उप खण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा जांच कराई जा रही है।

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम

123. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना कब हुई थी ?

(2) उक्त निगम के अध्यक्ष पद पर कौन कौन व्यक्ति कब कब कार्यरत रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत दिनांक 28-3-80 को हुई है।

(2) उक्त निगम में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे :-

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

नाम मय पद	कार्य अवधि
1. श्री जी0के0 भनोत , मुख्य सचिव	28-3-80 से 29-12-80
2. श्री एम0एम0के0वलि, मुख्य सचिव	29-12-80 से 21-12-83
3. श्री शिवचरण माथुर , मुख्य मंत्री	22-12-83 से 22-2-85
4. श्री हीरालाल देवपुरा , मुंख्य मंत्री	23-2-85 से 10-3-85
5. श्री हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री	10-3-85 से 27-11-85
6. श्री सुधीर वर्मा, सचिव समाज कल्याण	28-11-85 से 28-5-86
7. श्री आई0सी0 श्रीवास्तव, सचिव , समाज कल्याण	28-5-86 से 13-5-88
8. श्री शिवचरण माथुर , मुख्य मंत्री	13-5-88 से 4-12-89
9. श्री हरिदेव जोशी , मुख्य मंत्री	4-12-89 से 4-3-90
10. श्री भैरोंसिह शेखावत , मुख्य मंत्री	4-3-90 से 12-8-90
11. श्री सुधीर वर्मा , सचिव, समाज कल्याण	13-8-90 से 30-8-90
12. श्री हनुमान प्रसाद , सचिव, समाज कल्याण	30-8-90 से 30-1-91
13. श्री के0के0 सक्सैना, सचिव , समाज कल्याण	30-1-91 से 11-5-92
14. श्रीमती कुशल सिंह, सचिव , समाज कल्याण	11-5-92 से 20-6-94
15. श्रीमती अल्का काला, सचिव ,समाज कल्याण	20-6-94 से लगातार

बल्लभनगर (उदयपुर) के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

124 **श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (बल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग के मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर किस किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागीय मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों यथा मोड़ी , मेणार, रुण्डेडा एवं भटेवर तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर में पर्याप्त स्टाफ कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो किस किस श्रेणी के कौन कौन से पद कब कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने की विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों के पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जी नहीं। प्रा.स्वा.केन्द्र, मोडी, मैणार, रुडेडा एवं भटेवर तहसील बल्लभनगर में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी हां, सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(भाग - एक का विवरण)

		प्रसाविका	एक
चिकित्सा अधिकारी	एक	लेब0 टैक्नीशियन	एक
मेलनर्स श्रेणी 5 II	दो	वार्डब्याय/हरिजन	तीन

(भाग - दो का विवरण)

प्रा.स्वा.केन्द्र, मोडी, मेणर, रुण्डेड़ा, एवं भटेवर तहसील बल्लभनगर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण : -

प्रा.स्वा.केन्द्र का नाम	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	विवरण
प्रा.स्वा.केन्द्र,मोडी	चिकित्सा अधिकारी	1	-	1	1.9.92 से डा.अनीति कुमार गुप्ता के स्थानान्तरण से
	मेलनर्स श्रेणी-II	1	1	-	श्री महेन्द्रसिंह सारंग देवात
	प्रसाविका	1	1	-	राशेम्मा सेम्युअल
	लेब.टैक्नीशियन	1	1	-	रवि शंकर जोशी
	कनिष्ठ लिपिक	1	1	-	श्री रमणलाल पाटीदार
	वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3	-	श्री दलीचन्द सुन्दरबाई केशुलाल स्वीपर
प्रा.स्वा.केन्द्र,मेणार	चिकित्सा अधिकारी	1	-	1	28.2.94 से स्थानान्तरण होने से
	मेलनर्स श्रेणी-II	2	1	1	श्री अरुण कुमार रिक्त 1.12.89 से
	एल.एच.वी.	1	1	-	ओमना ओ.एस.
	प्रसाविका	1	1	-	सरोजनी शर्मा
	लैब.टैक्नीशियन	1	-	1	1.12.89 से
	वार्डब्वाय	1	1	-	श्री देवीलाल
	स्वीपर	1	1	-	श्री दिनेश कुमार
प्रा.स्वा.केन्द्र,रुडेडा	चिकित्सा अधिकारी	1	-	1	दि. 3.1.93 से डा.जगदीश चन्द मण्डोरा के अनुपस्थित रहने से ।
	मेलनर्स श्रेणी-II	1	1	-	महेन्द्र पुसारी

प्रा.स्वा.केन्द्र का नाम	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	विवरण
	एल.एच.वी.	1	1	-	पोडीअम्मा
	प्रसाविका	1	1	-	लीला एम. के.
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	-	1	16.2.89 से
	वरिष्ठ लिपिक	1	-	1	16.2.89 से
	वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3	-	1. गंगाराम
					2. हजारीलाल
					3. रमेश
प्रा.स्वा.केन्द्र,भटेवर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	डा. विनित कुमार सिंहल
	मेलनर्स श्रेणी-II	2	2	-	भवानी शंकर वीरवान
					दिनेश कुमार जैन
	प्रसाविका	1	1	-	भंवर कुंवर
	लैब.टैक्नीशियन	1	-	1	1.8.94 के स्थानांतरण से
	वार्डब्वाय	1	1	-	श्री छोटे खां

सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर की "डे स्कोलर" प्रणाली

125. **श्री मोहनलाल बारुपाल** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर की मूल योजना के स्थान पर "डे स्कोलर" प्रणाली लागू करके सरकार इस स्कूल की मूल योजना को बन्द करना चाहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इससे पूर्व वर्ष 1974-75 से 1978 तक स्पोर्ट्स स्कूल विंग को सार्दुल पब्लिक स्कूल के साथ साथ चलाकर परीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या डे स्कोलर के 80% अंक प्राप्त विद्यार्थी व 36% अंक प्राप्त खिलाड़ी दोनों का एक साथ सामंजस्य बैठ सकता है ? यदि हाँ, तो क्या " डे स्कोलर " प्रणाली से अच्छे खेल परिणाम मिलेंगे ?

(4) वर्ष 1993-94 में कक्षा 12 का उक्त स्पोर्ट्स स्कूल का कितने प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा ? यह बीकानेर की अन्य स्कूलों की तुलना में कितना कम या ज्यादा रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी, हां। पब्लिक स्कूल में तत्कालिन छात्रों के लिए खेल विषय में प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वह अल्प समय के लिए भी तथा प्रयोगात्मक थी। चूंकि यह व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं चली इसलिए तुलनात्मक परीक्षण नहीं किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी, हां। सामंजस्य बैठ सकता है, क्योंकि खेल प्रशिक्षण एवं अध्यापन का समय अलग अलग है। अतः "डे स्कोलर" को उपस्थित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को प्रभावित नहीं करती है।

(4) वर्ष 1993-94 का सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल एवं बीकानेर के अन्य विद्यालयों का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :-

नाम विद्यालय	कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में		
	विज्ञान	वाणिज्य	कला
1 एम.एम.सी.सै.वि.	40	37.70	62.20
2 सी.सै.वि. चौपड़ा	50	62	64
3 सी.सै.वि. सार्दुल	30	42	62
4 सी.सै.वि.फ़ोर्ट	43	56.70	66.20
5 सी.सै. विसिटी	-	43	36
6 सी.सै.वि. स्पोर्ट्स	100	100	86.7

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांध/ एनीकट

126. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में वर्ष 1990 की अतिवृष्टि में कुल कितने बांध/एनीकट टूटे या क्षतिग्रस्त हुये ? बांध / एनीकट के नामों की सूची मय गांव के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 1990 में कुल कितने बांध / एनीकट क्षतिग्रस्त हुये तथा उनके पुनर्निर्माण या मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) सिरोही जिले के शिवगंज तहसील का सुकड़ी इननडेशन बांध का कार्य कबसे बन्द है ? इस अधूरे कार्य को पूरा कराने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में अतिवृष्टि से कुल 86 बांध टूटे थे एवं 443 बांध क्षतिग्रस्त हुऐ थे। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1990 में सिरोही जिले के 51 बांध /एनीकट टूटे/ क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनमें से 14 की मरम्मत की जा चुकी है। शेष कार्यों पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) यह कार्य वर्ष 1992-93 से बन्द है तथा इसके पि-अप-वीयर की डिजाइन की जा रही है। तत्पश्चात् ही बाकी का काम करवाना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

विधान सभा क्षेत्र नैनवां में निर्माण कार्य

127. **श्री राम नारायण मीणा** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र

(श्री रामनारायण मीणा)

नैनवां में कार्य करवाये जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को दिनांक 24-5-1994 को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया था? यदि हां तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त कार्यों बाबत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उक्त संदर्भित पत्र में उप खण्ड श्री अधिकारी नैनवां द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी को खानपुरा तालाब को भरने के लिए एनीकट व फीडर बनाने तथा नैनवां के छोटे तालाब को भरने के लिए भावपुरा फीडर का कार्य करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया था। उपरोक्त कार्यों को करवाये जाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी द्वारा सिंचाई विभाग को तकमीना भिजवाये जाने हेतु दिनांक 6-7-94 को लिख दिया गया है। सिंचाई विभाग को तकमीना शीघ्र भिजवाने हेतु पुनः स्मरण करवाया गया है।

(3) सिंचाई विभाग से तकमीना प्राप्त होने उपरान्त सम्बन्धित कार्यक्रम तहत अभिकरण स्तर पर राशि की उपलब्धता के आधार पर ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

राजस्थान-सरकार

शरद चन्द्र माथुर

उपखण्ड अधिकारी — नैनवां, दिनांक 24 मई 1994

अर्द्ध शा0 पत्र क्रमांक /स्था/94/735-36

विषय :- सिंचाई विभाग का कार्य इस क्षेत्र में कराये जाने के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ :- आपके ग्राम खानपुरा के दौरे के दौरान दिये गये निर्देश।

आदरणीया शर्मा साहिबा,

आपके निर्देशानुसार मेरे द्वारा ग्राम खानुपरा के तालाब को भरने हेतु बनाने वाले एनीकट व फटर का मौका देखा गया। यह कार्य नैनवां से जजावर जाने वाले रोड़ पर खानपुरा से मिलने वाले लिंक रोड़ तिराहे से रोड़ के सहारे सहारे जजावर की तरफ .075 कि. मी. लम्बी तथा 10 फीट गहरी व 10 फीट चौड़ी नहर बनाया जाना आवश्यक है, तथा जहां से यह नहर प्रारम्भ होगी वहां पर एक छोटा सा गाईड एनिकट बनाया जाना आवश्यक होगा। इसके बनने से तालाब में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी तथा दूर दूर तक के कुओं में पानी का स्तर ऊंचा उठेगा व भविष्य में पेयजल की भी समस्या नहीं रहेगी।

यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर इसी गर्मी में कराये जाने का मेरा अनुरोध है।

इसी प्रकार नैनवां के छोटे तालाब को भरने के लिये पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा भावपुरा फीडर का कार्य किया गया था। किन्तु उस कार्य के अधूरा रहने व ढंग से नहीं कराने के कारण तालाब में पानी की आवक कम है। जिस कारण यह तालाब अक्सर सूखा रहता है एवं इस वज़ह से आस पास के कुओं का जल स्तर गिरने से कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है। इस सम्बन्ध में कनिष्ठ

अभियन्ता सिंचाई विभाग, नैनवां ने बताया कि भावपुरा फीडर का सर्वे आदि करके तकमीना खण्डीय कार्यालय बून्दी में स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ होगा। अतः मेरा अनुरोध है, कि इस कार्य को भी वर्षा से पूर्व इसी गर्मी में कराया जाना उचित रहेगा।

इस तहसील क्षेत्र में अकाल नहीं होने के कारण अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं ऐसे में यदि सिंचाई विभाग इन कार्यों को विभागीय तौर पर तत्काल प्रारम्भ कर दें तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा इन दोनों तालाबों में पानी की आवक ठीक हो जायेगी जिससे आस पास के कुओं का जल स्तर भी उठेगा व नैनवां कस्बा के लिये यह काफी उचित रहेगा।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है , कि दि0 27 या 28 मई, 94 को सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को नैनवां भिजवाये जाने हेतु निर्देशित फरमावे ताकि मेरे साथ में , मैं उनको कार्य दिखा सकूं।

श्रीमती उषा शर्मा साहिबा, आई.ए.एस.

जिला कलक्टर महोदय, बून्दी उप खण्ड

भवन्निष्ठ,

शरद चन्द्र माथुर

बांसवाड़ा मुख्यालय पर निर्मित सर्किट हाउस

128. **श्री पूंजा लाल** (बागीडोरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सर्किट हाउस मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, साईकिल सवार एवं रसोइया की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) हां। प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रबन्ध की शक्तियां जिला सांख्यिकी अधिकारी, बांसवाड़ा को दी हुई है। हाऊसकीपर के पद पर कर्मचारियों को पदस्थापित कर दिया गया है।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्त से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। साईकिल सवार का पद स्वीकृत नहीं है। रसोईया की नियुक्ति हेतु जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा चयन समिति का गठन कर श्री सत्यनारायण माली की नियुक्ति की अभिशंषा की गई है। लेकिन जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा चयन सम्बन्धित विवरण का ब्यौरा न भेजे जाने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। ब्यौरा प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आदेश प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

129. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत हुये, कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अधूरे हैं? कार्यों की सूची मदवार तहसीलवार, पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) कुल कितने मानव दिवस कार्य हुआ है तथा कुल कितने मजदूर कार्यों पर लगे?. कार्यवार मजदूरों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मजदूरों की समस्त मजदूरी तथा काम के सामान आदि के व्यय का समय पर चुकारा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने व मैटिरियल कम्पोनेन्ट की राशि चुकाये जाने तथा मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाये जाने में सरकार का क्या विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची मदवार, तहसीलवार, पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।**(परिशिष्ट "क")**

(2) जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत 16,96,914 मानव दिवस कार्य हुआ तथा माह जून में कुल 28,341 श्रमिकों ने औसतन प्रतिदिन कार्य किया। कार्यवार मजदूरों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(3) जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों में नियोजित मजदूरों की मजदूरी के भुगतान हेतु समस्त देय राशि संबंधित तहसीलदारों को उपलब्ध करा दी गई है तथा काम के सामान के व्यय राशि का भुगतान करने हेतु मात्र 10 प्रतिशत राशि रोक कर शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित अभिकरणों को उपलब्ध करा दी गई है।

(4) अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देश दे दिये गये हैं कि यदि कोई कार्य अधूरा रह जायेगा तो उसके पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। मैटिरियल कम्पोनेन्ट की 10 प्रतिशत राशि केवल प्रशासनिक कारण से रोकी गई है जिसे जिले के राहत कार्यों की टेस्ट चैकिंग के उपरान्त संबंधित अभिकरणों को यह राशि उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अन्य पिछड़ा वर्ग की संशोधित सूची का प्रकाशन

130. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की सूची जो राजस्थान राज पत्र विशेषांक दिनांक 1-9-1993 को प्रकाशित की गई को संशोधित कर, अन्तिम रुप देकर, प्रकाशित कर दिया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रकाशित संशोधित सूची के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है? यदि हां, तो प्रथम नियुक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No.45

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(3) क्या उक्त सूची केन्द्र सरकार द्वारा भी राज पत्र में प्रकाशित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ शैक्षिक संस्थाओं तथा डाक्टरी इन्जीनियरिंग आदि में प्रवेश पर भी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

(2) संशोधित सूची के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण हेतु संशोधित आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। प्रथम नियुक्तियों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(3) भारत सरकार से सूचना अपेक्षित है। पिछड़े वर्गों की सूची भारत सरकार को राजपत्र में प्रकाशनार्थ पत्र संख्या 58784 दिनांक 26-11-93, 4728 दिनांक 24-1-94, 5430

दिनांक 28-1-94, 75 दिनांक 22-2-94 36110 दिनांक 6-5-94 एवं 38673 दिनांक 22.06.94 के द्वारा निवेदन किया गया था। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा संशोधित सूची प्रकाशित होने पर पत्र संख्या 55357 दिनांक 27-8-94 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं।

(4) यह एक नीतिगत प्रकरण जिस पर विचार कर निर्णय कर लिया जाए संभव हो सकेगा।

राजस्थान राज पत्र

विशेषांक

अधिकार प्रकाशित

श्रावण 17, सोमवार, शाके, 1916 अगस्त 8, 1994

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 6, 1994

संख्या एफ.11 (125)/आर एण्ड पी/सकवि/52307 :- राज्य सरकार, राजस्थान राज्य पिछ वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत उसकी प्रथम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार करने पश्चात राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1(ख) दिनांक 1-9-93 में प्रकाशित अधिसूचना संख एफ.11(125)/आर एण्ड पी/सकवि/46631, दिनांक 27-8-93 को इसके द्वारा विखण्डित करती और राजस्थान मे पिछड़े वर्गों की सूची सभी प्रयोजनार्थ निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है. तुरन्त प्रवृत्त होगी :-

Page No.46

राजस्थान में पिछड़े वर्गों की सूची

क्र.स.	पिछड़े वर्गों के नाम	क्र.स.	पिछड़े वर्गों के नाम
1.	अहीर(यादव)	26.	कलाल (टाक)
2.	बढ़वा, जाचक, भाट, जागा, राव	27	कन्डेंरा, पिंजारा
3.	चारण	28.	कनबी
4.	बागरिया	29.	खारोल
5.	बंजारा, बालदिया, लबाना	30.	किरार(किराड़)
6.	बढ़ई, जॉंगिड़, खाती, सुथार, तरखान	31.	कुम्हार(प्रजापति), कुमावत
7.	भडभूजा	32.	लखेरा(लखारा)
8.	छीपा(छीपी), भावसार, नामा	33.	लोधी (लोधा)
9.	डाकोत, देशांतरी	34.	लोहार, पॉंचाल
10.	दमामी, नगारची	35.	महा-ब्राहम्ण (अचारज)
11.	दरोगा, रावणा-राजपूत, हजूरी, वजीर	36.	माली, सैनी, बागवान
12.	दर्जी	37.	मेर (मेहरात-काठात, मेहरात-घोड़ात ,चीता)
13.	धाकड		
14.	धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी-माली, कीर, मेहरा, मल्लाह	38.	मिरासी, ढाडी
		39.	मोगिया (मोग्या)
15.	गडरिया(गाडरी), घोसी(ग्वाला)	40.	नाई,सैन
16.	गाडिया-लोहार, गाडोलिया	41.	न्यारिया
17.	घाची	42.	ओड
18.	तेली	43.	पटवा(फदाल)
19.	गिरी, गोसाई(गुशांई)	44.	राईका, रैबारी (देवासी)
20.	गूजर, गुर्जर	45.	रावत
21.	हेला	46.	साद,स्वामी,बैरागी
22.	जणवा	47.	सांतिया-सिंधी
23.	जुलाहा	48.	सिकलीगर
24.	जोगी, नाथ	49.	सिरकीवाल
25.	काछी	50.	स्वर्णकार, सुनार, सोनी

Page No.47

क्र.स.	पिछड़े वर्गो के नाम
51.	ठठेरा, कन्सारा
52.	तमोली(तम्बोली)

आज्ञा से,

अलका काला,

शासन सचिव ।

परि. ख

राजस्थान राज पत्र

विशेषांक

(प्रकाशित)

भाद्र 9, बुधवार, शाके, 1916

अगस्त 31, 1994

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

शुद्धि - पत्र

राजस्थान राज - पत्र विशांक भाग 1(ख) दिनांक 8, अगस्त, 1994 में पृष्ठ संख्या 275 पर प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 11 (125) आर एण्ड पी/ सकवि/ 52307 दिनांक 6-8-94 में पिछड़े वर्गो की सूची में क्रम संख्या 2 पर बढ़वा के स्थान पर बड़वा, क्रम संख्या 17 पर धाची के स्थान पर धांची क्रम संख्या 38 पर ढाडी के स्थान पर ढाड़ी एवं क्रम संख्या 44 पर देवासी के स्थान पर देबासी शुद्ध पढ़ा जावे ।

सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में रिक्त पद

131. **श्री नाथू राम अहारी** (डूंगरपुर) : - क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर स्थित जनरल हास्पिटल में डाक्टर्स के कितने पद है? क्या वहां सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जनरल हास्पीटल में चिकित्सकों के अतिरिक्त अन्य पद कितने स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद खाली हैं ? इन पदों में अनुसूचित जाति /जनजाति के कितने कर्मचारी हैं? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई पद आरक्षित हैं ? यदि हां, तो आरक्षित पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि न्यू कालोनी डिस्पेन्सरी को पुराने अस्पताल (शहर) में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो उसमें पदस्थापित कुल डाक्टरों, स्टाफ नर्सों, नर्सों एवं अन्य वरिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ लिपिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर स्थित जनरल अस्पताल में डाक्टर के कुल 34 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 पद रिक्त हैं। इनमें एक पद उप नियंत्रक का, चार पद विशेषज्ञों के, चार पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के विभागीय पदोन्नति नहीं होने के कारण रिक्त है, दन्त चिकित्सक स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में चिकित्सकों के अतिरिक्त, अन्य संवर्गों के स्वीकृत पद, रिक्त पद तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

अनुसूचित जाति / जनजाति के आरक्षित पद चिकित्सा संस्थानुसार न होकर राज्य में कुल रिक्त स्वीकृत पदों के आधार पर आरक्षित होते हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(3) जी हां, यह सही है कि न्यू कालोनी डिस्पेन्सरी को पुराने अस्पताल (शहर) में भवन रिक्त होने से स्थानान्तरित किया गया है। डिस्पेन्सरी में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में विभिन्न श्रेणी वार(चिकित्सकों के अतिरिक्त) पदों एवं उन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में कार्यरत, आरक्षित पद एवं बैकलाग की सूचना : -

क्र.सं.	केडर	स्वीकृत	रिक्त	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत
1	नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी (प्रथम)	1	-		-	-
2.	नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी (द्वितीय)	2	-		-	-
3.	मेलनर्स श्रेणी-प्रथम	10	4		1	-
4.	सिस्टर	5	2		1	-
5.	मेलनर्स श्रेणी-द्वितीय (मेलनर्स एवं स्टाफनर्स)	56	-		32	2
6.	केयर टेकर	2	-		-	-
7.	प्रसाविका	5	-		1	-
8.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-		-	-
9.	वरिष्ठ लेब. टैक्नीशियन	1	1		-	-
10.	लेब. टैक्नीशियन	1	-		-	-
11.	दन्त तकनिशियन	2	-		-	-
12.	रेडियोग्राफर	1	-		1	-
13.	सहायक रेडियोग्राफर	2	1		1	-
14.	रेफ्रेनिस्ट	1	1		-	-
15.	स्वास्थ्य शिक्षक	1	-		-	-
16.	फिजियोथरापिस्ट	1	1		-	-
17.	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	-		-	-
18.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1		-	-

क्र.सं.	केडर	स्वीकृत	रिक्त	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत
19.	कार्यालय सहायक	1	-		-	-
20.	वरिष्ठ लिपिक	3	1		-	-
21.	कनिष्ठ लिपिक	1	-		-	-
22.	वाहन चालक	4	2		-	-
23.	इलेक्ट्रीशियन	2	-		-	-
24.	मेकेनिक	1	-		-	-
25.	टेलर	2	-		-	-
26.	जमादार	8	-		4	-
27.	धोबी	4	1		3	3
28.	कुक	4	1		1	-
29.	पलीनर	2	1		-	-
30.	वार्ड सर्वेन्ट	44	-		19	3
31.	हरीजन	16	-		16	-

"न्यू कालोनी डिस्पेंसरी, डूंगरपुर के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण "

क्र.सं.	केडर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पद
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2.	मेलनर्स ग्रेड-II	2	2	-
3.	प्रसाविका	1	1	-
4.	वार्ड सर्वेन्ट	3	3	-
5.	हरीजन	1	1	-

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नयी उद्योग नीति

128. **श्री गोपीचन्द (नगर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो नयी औद्योगिक नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् उद्योगपतियों द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव मिले हैं ?

(श्री गोपीचन्द)

यदि हां, तो किस उद्योग समूह का किस प्रकार का उद्योग लगाने का प्रस्ताव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नयी औद्योगिक नीति घोषित होने के पश्चात् किन उद्योगों को स्थापित करने की स्वीकृतियां दी गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)जी हां, नयी औद्योगिक नीति , 1994 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) नयी औद्योगिक नीति घोषित होने के पश्चात 6 वृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र स्वीकृत किये गये हैं एवं रीको द्वारा 10 औद्योगिक इकाइयों को 856.75 लाख रुपये का सावधी ऋण एवं 44.50 लाख रुपये अंश पूंजी स्वीकृत की गयी है। सूची "ब" व "स" सदन के पटल पर रख दी गयी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है 615 लघु एवं आर्टिजन इकाइयों का स्थाई पंजीयन किया गया है जिनमें 38.46 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

आर. ए. एस. अधिकारियों की पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली

129. **श्री मोती लाल** (रूपवास) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पिछली डी. पी. सी. में तहसीलदारों से आर. ए. एस. में पदोन्नति दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उसमें अनुसूचित जाति के कितने तहसीलदारों को पदोन्नति दी गयी है ?

(2) क्या उक्त पदोन्नितियों में रोस्टर प्रणाली का पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस संबंध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के तीन तहसीलदारों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति देने हेतु विचार किया गया। तीनों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होने के कारण उनकी पदोन्नति के आदेश सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

(2) जी हां। रोस्टर प्रणाली का पालन हो रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

130. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में कितने और किन किन शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण स्वीकृत किया गया? शेष को ऋण नहीं दिये जाने के कारण सिहत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत शुदा ऋण अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार

(उद्योग मंत्री)

वर्षों में (1990-91 से 1993-94 तक) शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार योजनान्तर्गत 85 युवकों का चयन कर ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये। इनमें से 49 युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

शेष 36 अभ्यर्थियों को ऋण स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण सहित सूची (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत शुदा आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण नहीं होने के कारण केवल बैंकों की अकर्मण्यता ही नहीं है अपितु इसके अन्य प्रमुख कारणों में अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना के बारे जानकारी न होना, परियोजना की व्यवहारिता (फिजीबिलिटी) नहीं होना, अभ्यार्थी द्वारा बैंकों की वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करना, अभ्यार्थी द्वारा योजनान्तर्गत ऋण लेने में रुचि नहीं रखना, अभ्यार्थी का नौकरी लग जाना, अन्य किसी योजना में बैंकों से पूर्व में ऋण लिया जाना तथा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक से सम्पर्क नहीं करना आदि है।

भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 से स्वरोजगार योजना को समाप्त कर प्रधान मंत्री की रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

नसीराबाद में उपलब्ध खनिज पदार्थों के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रेषित योजना

131. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा नसीराबाद के आस पास उपलब्ध क्वराट्ज व फलोसफार खनिज पदार्थों की बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए खुरजा की भांति सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सेरेमिक उद्योग हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रेषित की है? यदि हां, तो कब व अब तक इसमें क्या प्रगति हुई?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना की मंजूरी के लिए क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये?

उत्तर

(1) जी हां। सेरेमिक कोम्पलेक्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2-7-91 को विकास आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। निदेशक, ग्लास एवं सेरेमिक विकास आयुक्त, कार्यालय नई दिल्ली, भारत सरकार ने दिनांक 1-4-92 को राज्य सरकार को सूचित किया था, कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप दिया जा चुका है। अतः इस परियोजना पर विचार करना सम्भव नहीं है। अतः राज्य सरकार ने इसे नवीं योजना में शामिल करने का अनुरोध भारत सरकार को किया है।

(2) राज्य सरकार ने इस योजना के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भिजवाने के पश्चात पत्र दिनांक 7-8-91, 2-11-91, 7-1-92 तथा अ0शा0 पत्र क्रमांक एफ 1(14) खण्ड/2/92 दिनांक 11.3.92 द्वारा इस योजना का शीघ्र अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के अनुमोदन को आठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रुप दिये जाने के कारण स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु मई,

Page No.52

(उद्योग मंत्री)

1994 में पुनः विकास आयुक्त (लघु उद्योग) भारत सरकार से अनुरोध किया है। परियोजना की रिवाइज्ड रिर्पोट तैयार कराई जा रही है।

समन्वय समितियों का गठन

132. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) :

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर, सम्भागीय स्तर एवं जिला स्तर पर योजना समन्वय समितियां गठित की गयी हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक समन्वय समितियां गठित कर दी जायेंगी?

उत्तर

जी हां राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समितियां का गठन 13 जनवरी, 1955 को किया गया था। जिनका समय- समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया गया है। नवीनतम 26.6.92 को पुनर्गठित समितियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

संभागीय स्तर पर आयोजना एवं समन्वय समितियों का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग विभाग (अनुभाग - 3) के ओदश क्रमांक प. 6(7)प्र.सु/अनु. 3/94 दिनांक 7.3.94 के द्वारा किया गया है। प्रतिलिपि परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जिला स्तर पर योजना समन्वय समितयों का गठन राजस्थान, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के तहत पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त प्रस्तावित किया जायेगा।

Government of Rajasthan

Planning (Gr.II) Department

No. F. 6(I)/Plan/Gr.II/86 Jaipur,dt.26.6.1992

All Secretaries to Government,

All Heads of Department,

Concerned with Plan.

Sub : Reorganization of the state level planning and Development Coordination Committees - Amendment thereof.

Sir,

I am directed to inform you that it has been decided to reorganize the State Level Planning and Development Coordination Committees, in supersession of this Department's letter No. F.6(I) Plan/ Gr.II/85, dated 29.4-1996. The reorganized committees would be as follows :-

1. Agriculture Production, Marketing, Co-operation, Warehousing and Soil Conservation .

2. Animal Husbandry, Dairy Development, Sheep and Wool and Fisheries Departments.

3. Rural Development and Panchayati Raj, DPAP, DDP, IDRP, JRY, NABARD and other programmes/Schemes of SS & IRD Department.

4. Irrigation Department, Public Health, Engineering Department and Ground Water Departments.

5. Indira Gandhi Canal Project and CAD (IGNP, Chambal and mahi) and colonisation.

6. Social Welfare and Component Plan, UNICEF/CARE Programmes, Woman and Child Development and Tribal Area Development Departments.

7. Industry, State Enterprises, Energy and Mines.

8. Buildings, Roads, Housing, Town Planning, NRY and National Capital Region.

9. Education (including Technical Education), Labour, Employment and Science & Technology.

10. Toursim, Transport, Publicity, Forest and Environment Departments.

11. Medical & health, Family Welfare and Ayurved Department.

Apart from the concerned Secretaries and Heads of Departments the Standing Members would be as follows :-

1. Secretary Policy Planning	]	
2. Secretary Finance	]	
3. Secretary Twenty Point Programme	]	
4. Secretary Planning	]	All Committees
5. Development Commissioner	]	Committees at Sl.No. 3,4,6,9 and 11.
6. Agriculture Producation Secretary	]	Committees at Sl.No. 3,4 and 5.
7. Secretary Cooperation	]	Committees at Sl.No. 2,3 and 6.
8. Secretary SS & IRD	]	Committees at Sl.No. 1,2 and 6.

9. Secretary Revenue	]	Committees at Sl.No. 1,5,7 and 8.
10. Secretary Food	]	Committees at Sl.No.6.
11. Secretary PHED	]	Committees at Sl.No. 6,7 and 8.
12. Chairman, RSEB	]	Committees at Sl.No. 3,4,6,7 and 8.

Yours faithfully,
(Rajeeva Swarup)
Dy. Secretary to Government

Copy to :
PS to Chief Secretary.

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

(अनुभाग - 3)

क्रमांक : प0 6(7) प्र.सु.1 अनु.3164 जयपुर, दिनांक 7.3.1994

आज्ञा

राजस्व (ग्रुप 2) विभाग के आदेश क्रमांक : प.6 (56)राज 41691 पार्ट -II दिनांक 2.2.87 द्वारा सम्भागीय आयुक्तों के कर्तव्य एवं कार्य निर्धारित किये गये हैं। इस आदेश के परिशिष्ट 3 के बिन्दु संख्या 7 में यह भी प्रावधान है कि सम्भागीय आयुक्त, सम्भागीय आयोजना एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा। यह समिति स्थायी होगी। अतः सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय आयोजना एवं समन्वय समिति का निम्नानुसार गठन किए जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सम्भागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2. समस्त जिला कलक्टर	सदस्य
3. सभी जिला प्रमुख	सदस्य
4. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक	सदस्य
5. नाबार्ड का मनोनीत अधिकारी	सदस्य
6. सभी जिलों के लीड बैंक आफिसर्स	सदस्य

7. कृषि, उद्योग, पी. डब्ल्यू. डी., पी. एच. ई. डी., आर. एस. ई. बी., ऐज्युकेशन, मेडीकल एण्ड हैल्थ, सिंचाई, वन, खान, पशु पालन, मत्स्य पालन, भेड़ एवं ऊन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सांख्यिकी, मूल्यांकन विभागों के संभागीय स्तर के अधिकारीगण — सदस्य

8. आयोजना विभाग का मनोनीत अधिकारी — सदस्य

9. अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त — सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व (ग्रुप - 2) विभाग होगा।

(टी.आर.वर्मा)

शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल। मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सदस्य (प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली। (प.6 (56) राज- 4169 पार्ट -III)

शासन उप सचिव

फर्नीचर की दरों का निर्धारण

133. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्त विभाग के सी. एस. पी. ओ. द्वारा फर्नीचर की दर, लागू करने क्या नियम हैं?

(2) सी. एस. पी. ओ. द्वारा फर्नीचर की दर संविदा को किन कारणों से दो वर्षों के लिए 1990-91 से 1991-92 तक लागू किया गया, जबकि नियमानुसार फर्नीचर की दर संविदा एक वर्ष के लिए ही लागू की जाती है।

(3) सी. एस. पी. ओ. द्वारा फर्नीचर की दरें का निर्धारण किन नियमों के तहत किया जात है?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 के फर्नीचर के खोले गये टेण्डर में न्यूनतम द मैसर्स कोहिनूर स्टील वर्क्स, नागौर की थी परन्तु सरकार न्यूनतम दर संविदा को लागू न कर 40 प्रतिशत अधिक दरों वाली फर्मों की द लागू करने जा रही है?

(5) क्या यह भी सही है कि जिन फर्मों के विरुद्ध अलमारियों में वजन बढ़ाये जाने के लिये ईंटें रखने की शिकायतें मिली थीं उ

(श्री विष्णु मोदी)

फर्मों के विरुद्ध सी. एस. पी. ओ. द्वारा कानूनी कार्यवाही न कर सरकार उनकी दर संविदा लागू करने जा रही है ?

(6) क्या यह सही है कि कुछ फर्मों की ही पिछले 10 साल से फर्नीचर की दर संविदा लागू की जाती रही है जबकि उनके विरुद्ध कई शिकायतें है ? यदि नहीं, तो ऐसी फर्मों के विरुद्ध सी. एस. पी. ओ. द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है की सी. एस. पी. ओ. द्वारा जिन फर्मों की बाल्टी सप्लाई हेतु दर संविदा लागू की गई है उन फर्मों में से एक ने भी इसका कोई भी प्लांट नहीं लगा रखा है जबकि उद्योग विभाग के नियमानुसार प्लान्ट लगाना जरुरी है ?

(8) जिन फर्मों की उद्योग विभाग द्वारा मान्यता समाप्त कर दी गई थी उन फर्मों ने सी. एस. पी. ओ. के नाम पर लाखों रुपये का फर्नीचर विभागों को बिना जांच कराये सप्लाई कर दिया, ऐसी फर्मों के विरुद्ध सी. एस. पी. ओ. ने क्या कोई कानूनी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संबंधित नियम सी. एस. पी. ओ. मैन्युअल में वर्णित हैं।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। वर्ष 1990 में दिनांक 31.3.91 तक के लिए फर्नीचर की दर संविदा की गई थी। तत्पश्चात् सी. एस. पी. सी. के द्वारा इस अवधि को नियमानुसार दिनांक 30.9.91 तक के लिए बढाया गया।

वर्ष 1991 में प्रथम दर संविदा दिनांक 26.12.91 से दिनांक 31.3.93 तक के लिए की गई थी। दर संविदा एक वर्ष के लिए ही लागू करने का कोई नियम नहीं है।

(3) सी. एस. पी. ओ. मैनयुअल में उल्लेखित नियमों के अनुसार किया जाता है।

(4) जी, हां। मै. कोहिनूर स्टील वर्क्स, नागौर की दरें आठ आइटम में न्यूनतम हैं। दर संविदा की दरों के बाबत अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(5) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

एक फर्म की ऐसी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी। उक्त फर्म के विरुद्ध सी. एस. पी. ओ. द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

1. फर्म की दर संविदा निलंबित की गई ।

2. फर्म की अमानत राशि 10,000/- जब्त की गई ।

3. फर्म के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के लिए निर्देश दिये गये ।

4. उक्त आलमारियों की तकनीकी जॉंच के लिए उद्योग विभाग को निर्देश दिये गये।

सरकार उक्त फर्म के साथ दर संविदा करने का अभी निर्णय नहीं लिया है।

(6) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

पिछले दस वर्षों से कोई भी फर्म दर संविदा पर लगातार नहीं रही है। कतिपय फर्में एकाधिक वर्षों के अंतराल से लगातार दर संविदा पर रही हैं, जिनके विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का निराकरण समय- समय पर किया जाने पर ही दर संविदा की गई है।

(7) जी, नहीं। वर्तमान में बाल्टी की कोई, दर संविदा लागू नहीं है।

(8) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

उद्योग विभाग द्वारा मान्यता समाप्त करने के पूर्व प्रदायक ने यदि जॉंच कराये बिना फर्नीचर सप्लाई किया है तो उनके विरुद्ध वित्त

(वित्त मंत्री)

(सी. एस. पी. ओ.) विभाग द्वारा संबंधित कार्यालयों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए है।

1. पुलिस में एफ.आई.आर.दर्ज करवाना

2. उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करवाना

3. उद्योग विभाग को मान्यता समाप्त करने हेतु लिखना।

वेतन श्रृंखला 3 तथा 5 में विसंगति

134. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वेतन श्रृंखला -3 में कौन- कौन से पद स्वीकृत हैं ?

(2) वेतन श्रृंखला -3 में कार्यरत कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान कौनसी वेतन श्रृंखला में देय हैं एवं 9, 18 व 27 वर्ष की सेवाओं पर कौन कौनसा वेतनमान देय है ?

(3) मशीनमैन वेतन श्रृंखला -3 एवं मशीन आपरेटर डुप्लीकेटिंग वेतन श्रृंखला 5 का कार्य समान होते हुए भी इनके वेतनमान में विसंगति क्यों है? क्या सरकार इनके वेतनमान में विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं , तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वेतन श्रृंखला -3 के पदनाम संलग्न सूची में अंकित हैं।

(2) वेतन श्रृंखला -3 में कार्यरत कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा पर 1-1-85 से 31-8-88 तक चयनित वेतन मान वेतन श्रृंखला - 4 में देय है। 1-9-88 से 24-1-92 तक ऐसे कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान उनके नियमित पदोन्नति के पद के वेतनमान / उनके समकक्ष वेतनमान में स्वीकार किया गया है ।

(3) 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवाओं पर चयनित वेतनमान उनकी नियमित पदोन्नति के पद के वेतनमान में स्वीकार हैं। जिन पदों के लिए संबंधित भर्ती नियमों में पदोन्नति के प्रावधान नहीं है उनके मामलों में 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर निम्नांकित चयनित वेतनमान देय हैं :-

वर्तमान वेतनमान		चयनित वेतनमान
800-1250	9 वर्ष की सेवा पर	825-1350 (4)
	18 वर्ष की सेवा पर	950-1680 (6)
	27 वर्ष की सेवा पर	1200-2050 (9)

इस विसंगति के प्रश्न को दूर करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । जिस पर एक माह में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

SCALE NO. 3

पद नाम की सूची

800-15-950-20-1250

S.NO.	Name of Post	Department	No. of Employees
1.	Duplicating Machineman		15,421
2.	Ferromen	Agriculture	
		PWD	
		Irrigation	
		PHED	
		Forest	
		GWD	
		Town planning	
3.	Fish Fieldman	Animal Husbandry	
4.	Manuscripts Attendent	Arbi and Pharsi	
		Oriental Reserch Institute	
5.	Pottery Assistant	Archives	
6.	Binder	Insurance	
7.	Head Mat	Ayurved	
8.	Attendent	Ayurved	
9.	Packer	Ayurved	
10.	Junior Machineman	Ayurved	
11.	Head Waiter	Circuit House	
12.	Indian Cook	Circuit House	
13.	English Cook Grade II	Circuit House	
14.	Guard	Commercial Taxes	
15.	Stage Setter Grade I	Co-operative	
16.	Tractor Assistant	PWD	
17.	Road Jamadar Nigranidar	PWD	
18.	Security Constable	Irrigation	

S.NO.	Name of Post	Department	No. of Employees
19.	Muduler Grade III	P H E D	
20.	Forester	Forest	
21.	Tractor Guard	Forest	
22.	Trakker	Forest	
23.	Desent Guard	Forest	
24.	Head Care Taker	Forest	
25.	Game Watcher	Forest	
26.	Assistant Black Simth	G.W.D.	
27.	Assistant Carpenter	G.W.D.	
28.	Book Binder	Secretariat	
29.	Security Gaurd	Secretariat	
30.	Washerman	Governor Sectt.	
31.	Deshi Cook Gaurd II	Governor Sectt	
32.	Cook	H C M RIPA	
33.	Manual Assistant	Industries	
34.	Insect Collector	Medical	
35.	Literate Attendent	Medical	
36.	Head Cook	Medical	
37.	Tailor	Medical	
38.	Book Binder	Medical	
39.	Basic Health Worker	Medical	
40.	Special Cholera Workers	Medical	
41.	Cook	Medical	
42.	Field Worker	Medical	
43.	Vaccinator	Medical	
44.	Rock Drill Operator	Mines	
45.	Gunman	Mines	
46.	Nakedar	Mines	
47.	Binder	Printing Presses	

S.NO.	Name of Post	Department	No. of Employees
48.	Master Shearer	Sheep and wool	
49.	Bal Sahayak	Social Welfare	
50.	Mat	Social Welfare	
51.	Skilled Helper	Social Welfare	
52.	Weighman	State Enterprises	
53.	Helper Attached to technical posts		
54.	Mistry	Non-Engineering Department	
55.	Upholster		
56.	Ferroman	Science and Technology	

राज्य में नियोजित राशि

135. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी क्या थी तथा अब मार्च 1994 में प्रति व्यक्ति आमदनी क्या आंकलित की गई ?

(2) राजस्थान में प्रथम योजना से अब तक कुल कितनी राशि नियोजित की गई ?

(3) आठवीं व नवीं योजनाओं में कितना नियोजन अनुमानित है ?

उत्तर

(1) राज्य आय अनुमान तैयार करने का कार्य अधिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 1954-55 में प्रारम्भ किया गया था । वर्ष 1954-55 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 233/- रुपये अनुमानित की गयीं थी एवं वर्ष 1993-94 में प्रचलित कीमतों पर 5000/- रुपये अनुमानित की गई है ।

(2) राजस्थान में राज्य योजनान्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुलाई 94 तक 13021.70 करोड़ रुपये की धन राशि व्यय की गयी है ।

(3) राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना का कुल प्रावधान रुपये 11500 करोड़ है । नवीं योजना के लिये अभी योजना आयोग भारत सरकार से कोई मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है ।

रामगढ़ एवं किशनगढ़वास (अलवर) के समीप बांध निर्माण

136. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग

Page No.61

(श्री जुबेर खान)

के अन्तर्गत जिला अलवर की तहसील रामगढ़ एवं किशनगढ़वास की सीमा (ग्राम जेरोली, ओदाका, घोडाथान) के पास कोई बाँध का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो यह निर्माण किस योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है ?

(2) इस बांध के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) इस बांध के अन्दर किन- किन ग्रामों को कितनी-कितनी भूमि कैचमेण्ट एरिया में आयेगा एवं किस-किस ग्राम की भूमि को इसकी नहरों से सिंचित किये जाने का प्रावधान हैं ?

(4) अब तक कितनी नहरों का निर्माण किया जा चुका है एवं इन नहरों में पानी कब तक छोड़ा जायेगा ?

(5) इस बाँध के निर्माण के लिए कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जी हाँ। अलवर जिले की रामगढ़ व किशनगढ़ वास तहसील की सीमा के पास खानपुर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जर्मन सहयोग से एफ. आर. जी. के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

(2) इस बाँध पर कुल रुपये 378.79 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस पर कुल 228.62 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जिन-जिन ग्रामों की जितनी- जितनी भूमि डूब (में आवेगी उसका विवरण परिशिष्ट "अ" तथा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।)

(4) इस बाँध की 10.5 कि.मी.लम्बी नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सिंचाई के लिए नहरों में पानी वर्ष 95-96 तक छोड़ना प्रस्तावित है।

(5) इस बाँध के निर्माण हेतु अलग से कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है। यह कार्य अन्य कार्यों के साथ- साथ सिंचाई उपखण्ड, तिजारा में कार्यरत सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा करवाया जा रहा है।

खानपुर बाँध के डूब में आने वाली भूमि का ब्यौरा

क्र.सं.	गाँव का नाम जिसकी भूमि डूबमें आ रही है।	75% भराव पर डूब में आने वाली भूमि का रकबा (एकड़ में)
1.	आचोरा	24
2.	लालपुरी	129
3.	रालका	80
4.	बिदारका	201
5.	ओडा	11
	योग :-	445

Page No.62

खानपुर परियोजना से सिंचाई होने वाले गाँवों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	सी.सी.ए.(एकड़ में)
1.	ओडावा	64.96
2.	बलराम पुर	36.46
3.	पाटन्यान	173.47
4.	रघुनाथ गढ़	22.57
5.	कलतावरा	31.66
6.	रुपवास	21.08
7.	पटटा	368.00
8.	काला घाटा	86.44
9.	मंगली मुबारकपुर	25.76
10.	पाना धोरा	89.60
	योग :-	**920.00**

जिलेदार के पद हेतु जारी विज्ञप्ति

137. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल):- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने जिलेदार के पद हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 30-5-1993 को परीक्षा ली थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस परीक्षा का परीणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हाँ,तो इसके क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार अब परीक्षा परिणाम घोषित कर अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ?यदि हाँ,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) परीक्षा परिणाम में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या विलम्ब से परिणाम घोषित करने के कारण बेरोजगारों को हुई असुविधा के लिए सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ। नियमों में संशोधन विचाराधीन होने से परीक्षाएँ निरस्त कर दी गयी हैं ।

(3) जी हाँ। नियमों में संशोधन विचाराधीन होने से परीक्षाएँ निरस्त कर दी गयी हैं, अतः नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

(4) परीक्षा निरस्त कर दी गयी है। अतः परीक्षा परिणाम में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं है और न ही अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है।

पचपदरा तहसील में लूनी नदी की तटबन्दी

138. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : - क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास पचपदरा तहसील के ग्राम कानाना, सराणा और गोल-सोढ़ा को बाढ़ से बचाने के लिए लूनी नदी की तटबन्दी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

(2) क्या यह सही है कि लूनी नदी की तटबन्दी नहीं होने से 4 फीट पानी बहने पर किनारे कटने शुरु हो जाते हैं जिससे किसानों की कीमती कृषि योग्य भूमि नदी में परिवर्तित हो जाती है ?

उत्तर

(1) कानाना बाढ़ बचाव कार्य प्रगति पर है सराणा के बाद बचाव के प्रस्ताव विचाराधीन है एवं गोलसोढा गांव के बाद बचाव कार्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन प्रस्ताव की स्वीकृति पर धन की उपलब्धता होने पर विचार किया जाएगा।

(2) जी नहीं। अतिवृष्टि की स्थिति इन मैदानी नदियों के किनारों का कटाव एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है।

कानोता सिंचाई परियोजना

139. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के सिंचाई परियोजना, कानोता पर वर्ष 1993-94 में कुल कितनी धन राशि स्वीकृत की गई थी ? अब तक सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन कि मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1993-94 में इस परियोजना पर पी. बी. सी. पाइप एवं स्टील पाइप की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी राशि की एवं कितनी निविदाएँ प्राप्त हुई ? सामान किस फर्म से क्रय किया गया ? क्रय किये गये माल की मात्रा एवं कीमत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना पर कार्य को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके क्या कारण रहे ? कार्य को बंद करने के बावजूद माल क्रय किये जाने की क्या आवश्यकता थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कार्य को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कानोता सिंचाई परियोजना हेतु वर्ष 1993-94 के लिए वित्तीय स्वीकृति रुपये 45.00 लाख थी। अगस्त, 94 तक इस परियोजना पर रुपये 282.378 लाख खर्च किये गये हैं।

(2) पी.वी.सी. पाइप की आपूर्ति हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। स्टील पाइप बाबत कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी थीं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं ।

(4) वर्षा ऋतु के कारण अस्थायी रुप से कार्य रुक गया था। वर्षा समाप्त होने के पश्चात् कार्य पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट "अ"

आपूर्ति किये गये सामान की सूची

क्र.सं.	आपूर्ति की गयी वस्तु का नाम	निम्नतम निविदा की राशि	प्राप्त निविदाओं की संख्या	विक्रेता फर्म का नाम	क्रय किये गये माल की मात्रा	आपूर्ति किये गये माल की कीमत
1.	पी.वी.सी.पाइप 4"डाया	8750	तीन	मै.वेज कन्स्ट्र.कं. बी.42, श्याम नगर अजमेर रोड़, जयपुर।	250 फिट 35/-प्र.फिट	8750
2.	पी.वी.सी.पाइप 4"डाया	8750	तीन	उपरोक्त	250 फिट 35/-प्र.फिट की दर से	8750
3.	पी.वी.सी.पाइप 1"डाया	9625	तीन	मै.लक्ष्मी डिस्ट्रीब्युटर्स, 14-सिंधी कालोनी, बनीपार्क जयपुर	275 मी. (902.23 फीट) 10.67 प्र.फीट	9625
4.	पी.वी.सी.पाइप 3"डाया (हस्ति)	9640	तीन	मै.कल्पतरु ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता,जयपुर।	80 फीट 120.50 प्र.फीट	9640
					योग	36765

सिचाई उप-खण्ड गढ़ी (बांसवाड़ा) में रिक्त पद

140. **श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के सिंचाई उपखण्ड गढ़ी में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं मिस्त्री के कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन कि मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों अर्थात वर्ष 1992-93 से अब तक जे. आर. वाई., रिलीफ ई. ए. एस. एवं विभागीय मद से कौन-कौन से कार्य, किस-किस स्थान पर, कितनी लागत के कराये गये? स्वीकृत राशि सहित मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत वर्ष के रिलीफ, जे. आर. वाई एवं आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य का कितना-कितना भुगतान उक्त योजनाओं में बकाया है? अब तक भुगतान बकाया रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। तीन कार्यों भवरियॉं,गागड एवं रोहलिया तालाब के कार्यों की मजदूरी क्रमशः 1,74,230,7,704 रुपये एवं 5500 रुपये बकाया हैं क्योंकि इन कार्यों पर श्रमिकों की नियुक्ति संदेहास्पद होने के कारण जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर भुगतान संबंधी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

बांधों की भराव क्षमता

141. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष समूचे राजस्थान में पर्याप्त वर्षा हुई है? यदि हां, तो प्रदेश में स्थित बांधों की भराव क्षमता का कितना-कितना प्रतिशत पानी आया है? बांधवार 1000 एम. सी .एफ. टी. से अधिक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिवृष्टि से बांधों को क्षति पहुंची है? यदि हां, तो कहां- कहां? बॉंधों के पुनर्निमाण के संबंध में सरकार का क्या विचार है? विवरण सदन कि मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अब तक प्राप्त सूचनानुसार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

अभियन्ताओं/अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचार प्रकरण

142. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) एवं **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सहित सूची सदन कि मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990 से अब तक ऐसे कितने प्रकरणों में जांच पूरी होने के पश्चात् भी दोषी

(श्री हीरालाल सहरिया)

को दण्डित नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों/अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा, किस स्तर पर जॉच कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जांच पूरी होने के पश्चात् किसी दोषी अधिकारी/अभियन्ता को दण्डित करने का कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

(3) जी हां। जॉच कार्मिक विभाग द्वारा तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह एक अर्ध न्यायिक (Quasi judicial) प्रक्रिया है जिसके पूरे होने की निश्चित अवधि बताया जाना कठिन है।

भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्त अभियंताओं/अधिकारियों की सूची (नियम 16 एवं 17के अन्तर्गत)

क्र.सं.	अभियन्ता/अधिकारी का नाम	पद	जांच का कारण
1.	श्री बी. के. गोयल	सहायक अभियन्ता	गलत लेखों को प्रस्तुत
	श्री एस. डी. शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	करने बाबत।
2.	श्री बनवारी लाल गुप्ता	सहायक अभियन्ता	अनियमितताओं बाबत
3.	श्री रघुनाथ बसंल	सहायक अभियन्ता	ठेकेदार से वसूली न करने
	श्री एन. के. मित्तल	कनिष्ठ अभियन्ता	बाबत
4.	श्री लाल सिंह	सहायक अभि.	अनियमितताओं बाबत
5.	श्री टी. एल. गुप्ता	सहायक अभियन्ता	1248 बेग सीमेन्ट की कमी
6.	श्री के. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता	अधिक भुगतान बाबत
7.	श्री एम. एल. सिडाना	सहायक अभियन्ता	राजकीय राशि के
	श्री बलवन्त सिंह	क. अ.	गबन बाबत
	श्री एस. सी. शर्मा	क. अ.	
	श्री भागीरथ	क. अ	
8.	श्री बहादुर सिंह	सहायक अभियन्ता	फर्जी मस्ट्रोल बनाने बाबत।
9.	श्री राम सहाय शर्मा	अधि.अभियन्ता (सेवा निवृत)	खरीद में अनियमितताएँ
10.	श्री के. एल. रावत से नि.	अधि. अभि.	ठेकेदार को अनियमित
	श्री डी.डी.प्रयासी	सहायक अभियन्ता	भुगतान
11.	श्री जे. डी. अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	सीमेन्ट का अनियमित उपयोग

क्र.सं.	अभियन्ता/ अधिकारी का नाम	पद	जांच का कारण
12.	श्री आर. के. गोयल	सहायक अभियन्ता	सीमेन्ट का अनियमित उपयोग
13.	श्री आनन्दी लाल गोयल	सहायक अभियन्ता	फर्जी मस्ट्रोल बनाने बाबत
	श्री के. एल. त्यागी	क. अ.	"
	श्री एस. पी. गर्ग	सहायक अभियन्ता	"
	श्री डी. डी. चतुर्वेदी	क. अ.	"
	श्री ओ. पी. गुप्ता	क. अ.	"
14.	श्री के. एल. रावत, से नि.	अति. मु. अ.	फाटकों की खरीद में
	श्री एम. आर. पुरोहित	अधि. अभि.	अनियमितताएँ
	श्री कपूर चन्द	सहायक अभि.	"
	श्री श्याम लाल	क. अ.	"
	श्री डी.एन.शर्मा	क. अ.	"
	श्री एस.पी.गर्ग	क. अ.	"
15.	श्री के. एल. रावत, सै नि.	अति. मु. अ.	अनियमित व अस्वीकार्य
	श्री राम सहाय शर्मा	अधि. अभि.	खर्चा-डूगरीबांध।
	श्री विजय मेहता	सहायक अभि.	
15ए.	श्री ओ. पी. सक्सैना	अधि. अभि.	अधिक भुगतान
	सेवा निवृत		बाबत
	श्री आर. एस. चतुर्वेदी	सहायक अभियन्ता	
	श्री सी. के. जैन,	क. अ.	
	श्री एस. पी. जैन	क. अ.	
	श्री अमर सिंह	क. अ.	
16.	श्री एच. एल. विल	सहायक अभियन्ता	
	सेवा निवृत		
17.	श्री एम. सी. गुप्ता	सहायक अभियन्ता	फर्जी भुगतान
	श्री ओ. पी. कथुरिया	क. अ.	बाबत
	श्री सांवर लाल व. लि.		

क्र.सं.	अभियन्ता/अधिकारी	पद का नाम	जांच का कारण
18.	श्री गोपाराम	सहायक अभियन्ता	राजकीय कोष का
	श्री शम्भू सिंह सेनि.	सहायक अभि.	गलत उपयोग
	श्री बृजराज शरण	खण्डीय लेखा	बाबत
	श्री सुरेश तमोली	क. लि.	"
	श्री पुरुषोत्तम बिस्सा	क लि.	"
19.	श्री सोमदत्त व्यास (से. नि)	अधि. अभि.	"
20.	श्री मगन राज पुरोहित (से. नि.)	अधि. अभि.	अकाल राहत कार्यो
	श्री आर. सी. खराड़ी	क. अ.	में अनियमितताएँ
	श्री के. के. जी नय्यर	क. अ.	"
	श्री आनन्द शारती	क. अ.	"
	श्री रमन लाल भट्ट	क. अ.	"
	श्री सुरजीत सिंह	क. अ.	"
	श्री मनोहर लाल शर्मा	क. अ.	"
21.	श्री गोपा राम चौधरी	सहा. अभि.	फर्जी भुगतान
	श्री प्रहलाद सिंह	क. अ.	बाबत
22.	श्री गोपाल लाल शर्मा	सहायक अभि.	कार्य में अनियमितताएँ वावत
23.	श्री टी. एन. सक्सैना	अधी. अभि.	ठेकेदारो को अनियनित
	श्री आर. एस. गुप्ता	सहायक अभियन्ता	भुगतान बाबत।
24.	श्री एम. आई. खिलजी	सहा. अभि.	
	श्री सुख लाल शर्मा	क. अ.	
	श्री अरुण कुमार माथुर	क. अ.	
	श्री एस. बी. गर्ग	क. अ.	
	श्री पी. एल. अबोल	क. अ.	
25.	श्री रतन लाल सिंघल	अधि. अभि.	अकाल राहत कार्यों में अनियमिताएं
26.	श्री आर. सी. खरे	सहा. अभि.	
27.	श्री ऐ. एन. छाबड़ा	अधि. अभि.	ठेकेदार को फर्जी भुगतान

क्र.सं.	अभियन्ता/अधिकारी	पद का नाम	जांच का कारण
	श्री आर.के. जौहरी	सहा. अभि.	ठेकेदार को फर्जी भुगतान
	श्री आर.के. शर्मा	क.अ.	करने बाबत
29.	श्री बी.पी. माथुर	अधि. अभियन्ता	खरीद में अनियमितताएं
	श्री वी.के. चतुर्वेदी	सहा. अभि.	बाबत
	श्री आर.के. अग्रवाल	सहा. अभि.	
30.	श्री के.एस. चण्डक से नि.	अधि. अभि.	ठेकेदार को अनियमित भुगतान बाबत।
31.	श्री पी.डी. यादव से नि.	अधि. अभि.	ठेकेदार को फर्जी भुगतान बाबत
	श्री एन.के.गुप्ता	सहा.अभि.	"
	श्री डी.के. गुप्ता	क.अ.	"
32.	श्री टी.आर. सिंघवी	सहा. अभि.	ठेकेदार को फर्जी भुगतान
	श्री एल.एन. शर्मा	क.अ.	बाबत
33.	श्री के.एल. न्याती से नि.	मु.अ.	अनियमित भुगतान स्वीकृत
	श्री बी.एस. राजवंशी से. नि.	अ.मु.अ.	बाबत
34.	श्री एच.के. हिंगोरानी	अधी. अभियन्ता	ठेकेदार को अधिक भुगतान
35.	श्री श्योपत राम	अधि. अभि.	करने बाबत
	श्री शंकर सुखानी	अधि. अभि.	"
	श्री एस.पी. गुप्ता	सहा. अभि.	"
	श्री मनी राम	सहा. अभि.	"
	श्री गोपाल अग्रवाल	क.अ.	"
	श्री महेन्द्र सिंह	क.अ.	"
36.	श्री वाई.पी भाटिया	अ.मु.अ.	अनियमित नियुक्ति बाबत
37.	श्री डी.सी. सूद से नि.	अधि. अभि.	बिलास परियोजना के निर्माण में भ्रष्टाचार।

क्र.सं.	अभियन्ता/अधिकारी का नाम	पद	जांच का कारण
	श्री जे. एल. वेदी	अधि. अभि.	
	श्री एस. एम. गुप्ता	सहा. अभि.	
	श्री आर. एस. टॉक	सहा. अभि.	
	श्री जी. एस. वालिया	सहा. अभि.	
38.	श्री जी. एस. चारण	अधि. अभि.	वित्तिय अनियमितताओं
	श्री आर. सी. गुप्ता	सहायक अभियन्ता	बाबत
	श्री जयन्ती लाल माथुर	क. अं.	
39.	श्री पी. डी. यादव	अधि. अभि.	ठेकेदार को वितीय लाभ देने बाबत
40.	श्री आर. सी. लाल	अधि. अभि.	फर्जी भुगतान बाबत
	श्री पी. ड़ी. यादव	सहायक अभियन्ता	
	श्री निरंजन सिंह	क. अ.	
41.	श्री एन. एल. शर्मा से. नि.	अधि. अभि.	खरीद में अनियमितताएं।
42.	श्री आर. के. गुप्ता	अधी. अभि.	खरीद में अनियमितताएं।
43.	श्री आर. एस. खण्डेलवाल	अधी. अभि.	अनियमित खरीद बाबत।

राज्य में स्वीकृत नवीन विधालय

143. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालय कहां -कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्कूले क्रमोन्नत करने में सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाये गये है ?

(3) ग्राम पंचायत नेतडवास पंचायत समिति, धोद (सीकर) में कौन - कौन से उच्च प्राथमिक विधालय है ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सत्र 1994-95 में निम्नानुसार विधालय खोले गये है :-

1. उच्च प्राथमिक विधालय 1120
2. उच्च माध्यमिक विधालय 147
3. सीनियर माध्यमिक विधालय 165

(2) उक्त विधालयो की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उपरोक्त विधालय क्षेत्र की मागं, गावं की जनसख्यां, विधालय की कुल एवं अन्तिम छात्र सख्यां फिडर विधालयों की सख्यां, उपलब्ध भवन व्यवस्था, निकटतम उपलब्ध शिक्षण सुविधाएं आदि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये गये है।

ग्राम पंचायत नेतडवास पं. स. घोद (सीकर) में उच्च प्राथमिक विधालय की सुविधा नही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या -144

(स्थगित)

जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र) नागौर द्वारा किये गये स्थानान्तरण

145. **श्री हजारी राम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), नागौर द्वारा चालू सत्र में कौन -कौन से अध्यापकों के तवादले किये गये? तबादलों के आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त आदेशों की अनुपालना पर रोक लगाई थी? यदि हां, तो क्यों तथा उनकी जांच किस प्रकार से किसके द्वारा की गई ?

(3) क्या उक्त तबादले सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी जारी किये गये निर्देशों के अनुरुप हुए है ?

(4) क्या उक्त तबादलो के सम्बन्ध में सरकार या विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जि. शि. अ. कार्यालय द्वारा चालू शिक्षा सत्र में जून जूलाई में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 134 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 22 तबादले किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सरकार ने आदेशों की अनुपालना पर दिनांक 27.6.94 को रोक लगाई थी। उप निदेशक (पुरुष), शिक्षा विभाग, अजमेर द्वारा जांच की गई। सरकार द्वारा दिनांक 5.7.94 के आदेश से रोक हटा ली गई ।

(3) जी हां। तबादले राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के निदेशानुसार किये गये हैं ।

(4) शिकायतें प्राप्त नही हुई। स्थानान्तरण संबंधी जारी दिशा- निर्देशों के दिये गये प्रावधान के अनुरुप कुल 46 शिक्षकों की परिवेदनाएं जिला शिक्षा अधिकारी तथा मण्डल कार्यालय को प्राप्त हुई है जिनमें से अधिकांश परिवेदनाएं न्यून परीक्षा परिणाम के कारण हटाये गये शिक्षकों की थी। उप निदेशक (पुरुष) अजमेर की अध्यक्षता में गठित परिवेदना समिति ने जांच के उपरान्त 29 परिवेदनाओं को खारिज कर दिया तथा 17 परिवेदनाओं पर पद रिक्त होने के कारण, बजट आवंटन हो जाने के कारण तथा विषय मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार पूर्ति हेतु निरस्त तथा स्थान परिवर्तन के संशोधन आदेश जारी किये गये। स्थानान्तरण के संबंध में शिक्षकों की ही परिवेदनाएं प्राप्त हुई थी जिनका निस्तारण परिवेदन समिति द्वारा किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गयी।)

झुंझुनूं जिले के नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय

146. **श्री शिव नाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले की नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शालाओं में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं? इनमें से कितने -कितने शिक्षा विभाग के हैं तथा कितने-कितने पंचायत समितियों के हैं?

(2) इन शालाओं में नियुक्त पंचायत समितियों के अध्यापकों पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रधानाध्यापक का कोई नियंत्रण पंचायत समिति के अध्यापक नहीं मानते हैं, और इस कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ?

(4) सरकार इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विद्यालयवार कार्यरत अध्यापकों (शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग) की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत समिति के विकास अधिकारी का रहता है।

(3) जी नहीं। विभाग के पास इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(4) वर्तमान व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार के पास परिवर्तन करने का विचार विचाराधीन नहीं है।

क्र.सं.	नवक्रमोन्नत विद्यालय का नाम	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	
		शिक्षा विभाग	पंचायत समिति
1.	रा. बा. उ. प्रा. वि., अजाड़ी कलां	01	02
2.	रा. बा. उ. प्रा. वि., पावड़ा	-	02
3.	रा. बा. उ. प्रा. वि., नवलडी	01	08
4.	रा. बा. उ. प्रा. वि., सिगनोर	01	03
5.	रा. बा. उ. प्रा. वि., भड़ोदा कलां	01	04
6.	रा. बा. उ. प्रा. वि., ककनाना	01	03
7.	रा. बा. उ. प्रा. वि., जसरापुर	01	04
8.	रा. बा. उ. प्रा. वि., जीणी	01	04
9.	रा. बा. उ. प्रा. वि., हरिपुरा	-	01
10.	रा. उ. प्रा. वि., कालेरा का बास	01	04
11.	रा. उ. प्रा. वि., नयाबॉस	01	04
12.	रा. उ. प्रा. वि., वृदांवन	01	05
13.	रा. उ. प्रा. वि., ओलागढ़वालो की ढाणी	01	05

क्र.सं.	नवक्रमोन्नत विद्यालय का नाम	कार्यरत अध्यापकों की संख्या शिक्षा विभाग	पंचायत समिति
14.	रा. उ. प्रा. वि., हरिपुरा	01	01
15.	रा. उ. प्रा. वि., गिरावडी	01	01
16.	रा. उ. प्रा. वि., कालाभाटा की ढाणी	01	01
17.	रा. उ. प्रा. वि., खिराटीयों वालो की कोरख	01	01
18.	रा. उ. प्रा. वि., भैसलानी जोडी	01	02
19.	रा. उ. प्रा. वि., कुहाडू	01	05
20.	रा. उ. प्रा. वि., परतापुरा	01	03
21.	रा. उ. प्रा. वि., छितरसर	01	05
22.	रा. उ. प्रा. वि., फूसखानी	01	03
23.	रा. उ. प्रा. वि., बगोरियों की ढाणी	01	02
24.	रा. उ. प्रा. वि., मुनास	01	04
25.	रा. उ. प्रा. वि., पूनियों की ढाणी	01	02
26.	रा. उ. प्रा. वि., किरोडीलोहरा	01	02
27.	रा. उ. प्रा. वि., नोहब्बतसर	01	02
28.	रा. उ. प्रा. वि., निवाराखुर्द	01	03
29.	रा. उ. प्रा. वि., सेवादास की ढाणी	01	05
30.	रा. उ. प्रा. वि., चोटाणी	01	03
31.	रा. उ. प्रा. वि., चौबदारों की ढाणी	01	05
32.	रा. उ. प्रा. वि., पिथोला गांव	01	02
33.	रा. उ. प्रा. वि., सिरसिला	01	02
34.	रा. उ. प्रा. वि., दोबडा	01	04
35.	रा. उ. प्रा. वि., केरपुरा खुर्द	01	05
36.	रा. उ. प्रा. वि., वाडवाडा	01	07
37.	रा. उ. प्रा. वि., लालोड़ा	01	01
38.	रा. उ. प्रा. वि., गणेशपुरा	01	05

जिला नागौर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

147. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितनी माध्यमिक शालायें एवं उच्च माध्यमिक शालायें कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शालाओं में द्वितीय श्रेणी के अध्यापक एवं व्याख्याताओं के कुल कितने पद अभी तक रिक्त पडे है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील डेगाना (नागौर) में वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितनी प्राथमिक पाठशालाऐं खोली जानी प्रस्तावित है ? इनको कब से शुरु कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में कार्यरत छात्र/छात्राओं के माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

छात्र	उ. मा. वि.	मा. वि.	योग
छात्र	33	124	157
छात्रा	09	18	27

(2) सूची सदन में मेज पर रख दी गयी है।

(3) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

	उमावि	मावि	
	द्वि.वे.श्र.	व्या.	द्वि.वे.श्र.
छात्र	02	90	-
छात्रा	-	32	-

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

वर्ष 1994-95 के लक्ष्य की पूर्ति कर दी गयी है। नगरपालिका क्षेत्र में विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गयी।)

जिला नागौर के संस्कृत विद्यालय

148. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितनी संस्कृत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालायें कार्यरत हैं ?

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संस्कृत उच्च प्राथमिक पाठशाला, मोगास तहसील डेगाना, जिला नागौर को निकट भविष्य में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार संस्कृत पाठशालायें खोलने को प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 में नागौर जिले में कितनी संस्कृत प्राथमिक पाठशालायें खोली जायेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में निम्न संस्कृत विद्यालय संचालित है। सूची सदन के पटल पर रख दी है :-

1.	संस्कृत प्राथमिक विद्यालय	21
2.	संस्कृत उ.प्राथमिक विद्यालय	2
3.	प्रवेशिका विद्यालय	1

(2) बजट उपलब्ध होने पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पोगास तहसील डेगाना को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। वर्ष 1994-95 में संस्कृत विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। क्षेत्र की मांग एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य प्रस्तावों के साथ नागौर जिले में गुणावगुण के आधार पर संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

नागौर जिले में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक (प्रवेशिका) कक्षाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम व स्थान
1.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चूटीशरा की कांकण में पूनियों की ढ़ीणी
2.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करणीया जी की झोंपडी
3.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, तातवास सोननगर
4.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पीहक्तावर पुरा
5.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लाडनूं
6.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बाजवास
7.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भिंडसरों की ढाणी, जिम्बी जोधा
8.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रभुनाथ जी की मण्डी, रेण
9.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, देऊ अहीर की ढाणी
10.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पाणुपुरा मालियों की ढाणी
11.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मंगलपुरा पो. खारडिया
12.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, नूरी यास छाजौली
13.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भंवरपुरा आनन्दपुरा
14.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, समरियों की ढाणी, जालसूखुर्द
15.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कायाखानियों की ढाणी, गोरडी चाचा
16.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, आचीना
17.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सेरानी ढाणी बोहडी
18.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जसनगर हरिजन बस्ती
19.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सैंसडा
20.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जिल्जीया
21.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हाबणा
1.	राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोगास
2.	राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, इन्द्रा कॉलोनी, डीडवाना
1.	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सैसडा।

राजीव गांधी फाउण्डेशन द्वारा वाचनालयों हेतु स्वीकृत राशि

149. श्री जगदीप धनखड़ (किशन गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजीव गांधी फाउण्डेशन द्वारा वाचनालय खोलने के लिए कितनी राशि राजस्थान राज्य को दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस राशि से कहां-कहां वाचनालय खोले जाने हैं? क्या सरकार किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वाचनालय खोलने की कोई योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजीव गांधी फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार को कोई राशि नहीं दी गयी है ।

(2) स्वयं फाउण्डेशन ने अजमेर जिले की आठों पंचायत समितियों में कुल 25 स्थानों पर वाचनालय खोले है (सूची संलग्न है) इनमें किशनगढ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सिलोरा में 3 केन्द्र तथा अराई पंचायत समिति में 2 केन्द्र निम्नानुसार खोले हैं :-

पंचायत समिति सिलोरा

1. बीती
2. रुपनगढ़
3. खण्डाच

पंचायत समिति अराई

1. चौसाला
2. कटसूरा

राजीव गांधी संस्थापन के सौजन्य से जन जागरण (वाचनालय) /क्रेन्द्र प्रारम्भ तिथि

क्र.सं.	दिनांक	पंचायत समिति	जन जागरण केन्द्र
1.	02.06.93	सिलोरा	बीती
2.	09.08.93	सिलठेंरा	खण्डाय
3.	09.08.93	सिलोरा	रुपनगढ़
4.	09.08.93	जवाजा	टाटगढ़
5.	09.08.93	जवाजा	ब्यावरखारा
6.	09.08.93	जवाजा	राजियावास
7.	10.08.93	मसूदा	जापोला
8.	10.08.93	मसूदा	शिवनगर
9.	10.08.93	मसूदा	सतावड़िया

क्र.सं.	दिनांक	पंचायत समिति	जन जागरण केन्द्र
10.	10.08.93	केकड़ी	भराई
11.	10.08.93	केकड़ी	सदारा
12.	28.12.93	पीसांगन	गोविन्दगढ़
13.	28.12.93	पीसांगन	कालेसरा
14.	29.12.93	पीसांगन	बाघसूरी
15.	29.12.93	पीसांगन	बिक्रचियावास
16.	18.01.94	पीसांगन	पीसांगन
17.	19.01.94	श्रीनगर	बीर
18.	19.01.94	श्रीनगर	रामसर
19.	19.01.94	श्रीनगर	जिलावडा
20.	06.03.94	श्रीनगर	हाथीखेड़ा
21.	06.03.94	अरांई	चौसला
22.	06.03.94	अरांई	कटसूरा
23.	07.03.94	भिनाय	बान्दनवाडा
24.	07.03.94	भिनाय	राताकोट
25.	07.03.94	भिनाय	नागोला

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

150. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में नये सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी होगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1993-94 तक नादोती, टोडाभीम तहसील में कितने सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) चालू वर्ष 1994-95 में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, टोडाभीम को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है। आगामी वर्षों में बजट उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(2) क्षेत्र की मांग, विघालय की छात्र सख्यां, फिडर विद्यालय की सख्यां, उपलब्ध भवन व्यवस्था गांव की जन सख्यां आदि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(3) नादोती, टोडाभीम तहसील में वर्ष 1993-94 तक निम्नानुसार सैकण्डरी /हायर सैकण्डरी स्कूल निम्नानुसार थे :-

तहसील टोडाभीम

माध्यमिक		सीनियर माध्यमिक विद्यालय	
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
17	1	1	-
तहसील नादोती			
9	1	2	-

वर्ष 1994-95 में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, टोडाभीम को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय बडोदिया (बांसवाडा) का क्रमोन्नयन

151. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडोदिया, जिला बांसवाडा को बालिका सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें.।

उत्तर

आगामी वर्षों में बजट उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्तावों के साथ राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बडोदिया जिला बांसवाडा को निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में माध्यमिक /सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय

152. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ, जिला झुंझुनूं मे सन 1993-94 व 1994-95 में कोई सैकण्डरी/सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो सरकार उक्त क्षेत्र में कब तक विद्यालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। वर्ष 1994-95 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आखोद को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है।

जिला कोटा के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

153. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल इटावा, खातोली, जिला कोटा तथा मांगरोल जिला बारां में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों व व्याख्याताओं के कितने-कितने पद कब -कब से रिक्त हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

Page No.79

उत्तर

(1) सीनियर सैकेण्डरी स्कूल इटावा, खातोली एवं मांगरोल में अध्यापकों के रिक्त पद निम्नानुसार है :-

विद्यालय का नाम	रिक्त पद कब से		
	व्या.	व.अ.	तृ.वे.श्र.
1- रा.सी.मा.वि (4) इटावा		शून्य	शून्य
1. वाणिज्य	-	-	20.7.94
2. इतिहास	-	-	5.7.94
3. हिन्दी	-	-	10.7.93
4. ना.शा.	-	-	1-12-92

नागरिक शास्त्र श्री मोहन लाल शर्मा, व. अ., जुलाई, 93 से पढ़ा रहे हैं।

2- रा.सी.मा.वि (3) खातोली			
1. इतिहास	-	-	20.12.93
2. अंग्रेजी	-	-	20.12.93
3. हिन्दी	-	-	20.12.93
4. ना.शा.	-	-	-

श्री हरीशंकर शर्मा व.अ. ना.शास्त्र एवं श्रीमती वन्दना अंग्रेजी 8/93 से पढ़ा रहे है।

3- रा.सी.मा.वि. (2) मांगरोल		शून्य	शून्य
1- अंग्रेजी	-	-	20.7.94

(2) द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पद रिक्त नहीं है। व्याख्याता के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से एवं डी. पी. सी. से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

जयपुर जिले के विद्यालयों में चित्रकला एवं संस्कृत विषय के अध्यापक

154. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्रकला एवं संस्कृत विषय के जयपुर जिले के किस- किस विद्यालय में कौन-कौन अध्यापक कब-कब से नियुक्त हैं ? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को कोई पदोन्नति दी जाती है? यदि हां, तो किस पद पर तथा विगत पांच वर्षों में जिला जयपुर में किस -किस अध्यापक को कब-कब पदोन्नति दी गई ? यदि पदोन्नति नहीं दी जाती है तो इसके क्या कारण है? इस संबंध में कोई नियम हो तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक विद्यालय में कला विषय, कला विषय के अध्यापक द्वारा अध्यापन नही करवा कर सामान्य या अन्य विषय के अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य सम्पन्न करवाये जाते है? यदि हां, तो क्यों? क्या इससे कला विषय के अध्यापकों के पदोन्नति अवसर समाप्त हो जाते है ?यदि हां, तो क्या सरकार इस परिपाटी को समाप्त कर माध्यमिक विद्यालय में कला शिक्षा, कला विषय के अध्यापकों द्वारा ही अध्यापन करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। तृतीय वेतन श्रृंखला में विषयवार पद सृजित नहीं होते, अत: संस्कृत अध्यापकों की विषयवार नियुक्ति नहीं की

(शिक्षा मंत्री)

जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से लागू होने से ऐच्छिक विषयों का प्रावधान 10वीं कक्षा तक नहीं है।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला में चित्रकला, संस्कृत विषय के पद रिक्त नहीं होने से गत पांच वर्षों मे पदोन्नति नहीं दी जा सकी है। पदोन्नति पद रिक्त होने पर ही दी जाती है।

(3) माध्यमिक कक्षाओं में कला शिक्षा विषय में चित्रकला, नाट्यकला, संगीतकला, आदि विषयों का समावेश है। इस विषय हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं एस. आई. ई. आर. टी., द्वारा प्रशिक्षण आयोजित कर अध्यापकों को प्रशिक्षित कर अध्यापन की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लागू होने से ऐच्छिक विषयों का प्रावधान 10वीं कक्षा तक नहीं हैं।

चित्रकला अध्यापकों की नियुक्ति की सूचना

क्र.सं.	नाम अध्यापक मय पदस्थापन स्थान	नियुक्ति तिथि
1.	श्री अनुपमा भारद्वाज, रा. मा. वि., मोजसवास	08-6-87
2.	विनिता शेखर, रा. उ. प्रा. वि. बासडिखुर्द	13-3-87
3.	मोतीलाल शर्मा, रा. उ. प्रा. वि., करेड़ा खुर्द	11-3-87
4.	स्तफलिता आचार्य, रा. उ. प्रा. वि., जोबनेर	-
5.	शांति कुमारी सैनी, रा. उ. प्रा. वि., छान्देल	14-3-87

आरक्षण के आधार पर विधवा/परित्यक्ता शिक्षकों की नियुक्ति

155. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आरक्षण के आधार पर विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) शैक्षणिक सत्र 1987-88 से 1992-93 के दौरान, द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में जयपुर जिले में कौन-कौन शिक्षक इस कोटे के तहत नियुक्त किये गये ? नियुक्त किये गये शिक्षकों के इस कोटे में पात्रता रखने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज

(3) उक्त कोटे के तहत नियुक्त शिक्षकों का वर्तमान में पदस्थापन किस-किस स्कूल में है ? नाम मय शिक्षक पदस्थापन स्कूल के सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस कोटे में नियुक्ति प्राप्त करने के उपरान्त सेवा में रहते पुनर्विवाह करना नियम विरुद्ध है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें वे आवेदक जिन्होंने आवेदन के समय स्वयं को विधवा/परित्यक्ता होना घोषित किया था और नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के उपरान्त पद का कार्यभार संभालने के समय वास्तव में वह विधवा/परित्यक्ता नहीं पाए गए तथा अधिकारियों द्वारा संरक्षण मिल जाने के कारण ऐसे प्रकरण बना दिये गये ?

(श्री रघुवीर सिंह)

(6) इस आरक्षण के दुरुपयोग की संभावनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से क्या सरकार इस कोटे में कार्यरत उन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में इस आशय की प्रमाणित ? घोषणा आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु नियमों में प्रावधान करने का विचार रखती है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया जावे कि वे अब भी विधवा/परित्यक्ता कोटे का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

उत्तर

(1) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को II -ग्रेड़ अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कोई आरक्षण नहीं है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29-7-89 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। पात्रता सम्बन्धि प्रमाण- पत्र 87 से 93 तक के संकलित किये जा रहे हैं। संकलित होते ही प्रेषित कर दिये जायेंगे।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी, ऐसा कोई नियम नहीं है।

(5) विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(6) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्र.सं.	नाम अध्यापिका	पदस्थापित स्थान
1.	श्रीमती कमोद शर्मा (विधवा)	रा. बा. मा. वि., लालसोट
2.	श्रीमती लीला भारद्वाज (विधवा)	रा. बा. मा. वि., भानुपुर कला
3.	श्रीमती गायत्री अजमेरा (विधवा)	रा. बा. मा. वि., सांभरलेक
4.	श्रीमती सुनिता जैन (विधवा)	रा. बा. मा. वि., पावटा
5.	श्रीमती सुरभी बिरमानी (विधवा)	रा. बा. मा. वि., मनोहरपुर
6.	श्रीमती चचंद खेमका (विधवा)	रा. बा. मा. वि., भोजमाबाद
7.	श्रीमती शशि प्रभास्वामी (विधवा)	रा. बा. मा. वि., लवाण
8.	श्रीमती रजनी गुप्ता (विवि.)	रा. बा. मा. वि., जोबनेर
9.	श्रीमती जयश्री भार्गव (विवि.)	रा. बा. मा. वि., मैड
10.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा (विवि.)	रा. बा. मा. वि., मैड़
11.	श्रीमती ललिता	रा. बा. मा. वि., मनोहरपुर
12.	श्रीमती स्नेहलता वर्मा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., सांगटेडा
13.	श्रीमती अख़्तर परवीन (विधवा)	रा. बा. मा. वि., भाभरु
14.	श्रीमती शोभा शर्मा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., चाकसू
15.	श्रीमती मंजू धूलिया (विधवा)	रा. बा. उ.प्रा. वि., सांगानेर

क्र.सं.	नाम अध्यापिका	पदस्थापित स्थान
16.	श्रीमती बीना शर्मा (विवि)	रा. बा. मा. वि., माधोराजपुरा
17.	श्रीमती मुन्नी यादव(विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., नारायणा
18.	श्रीमती जरीना मेमन ``	रा. बा. उ. मा., वि. दौसा
19.	श्रीमती मंजू जोशी (विधवा)	रा. बा. उ. मा. वि., चोमूं
20.	श्रीमती पुष्पा जोशी (विधवा)	रा. बा. मा. वि., चाकसू
21.	श्रीमती गायत्री महेश्वरी	रा. बा. उ. मा. वि., चोमूं
22.	श्रीमती कमलेश पावा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., जाहोता
23.	श्रीमती अनुपमा हवेला (विवि)	रा. बा. मा. वि., फुलेरा
24.	श्रीमती त्रिशला जैन (विवि)	रा. बा. मा. वि., बांसा
25.	श्रीमती हेमलता शर्मा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., भाभरु
26.	श्रीमती रीता गुप्ता (विवि)	रा. बा. मा. वि., दूधी आमलोदा
27.	श्रीमती अजन्ता कोठारी (विधवा)	रा. बा. उ. मा. वि., नोरंगपुरा
28.	श्रीमती इकबाल कौर गेगल (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., मानपुर माचेड़ी
29.	श्रीमती विजय भारद्वाज (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., रुण्डल
30.	श्रीमती नौशावा परवीन	रा. बा. उ. प्रा. वि., गोनेड़ा
31.	श्रीमती इन्द्रा शर्मा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., बागांवास अहि.
32.	श्रीमती किरण निगम (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., साथून
33.	श्रीमती उषा कुमारी (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., साइवाड़
34.	श्रीमती गुलाब कुमारी (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., खोरालांडखानी
35.	श्रीमती अल्का मिश्रा (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., छारसा
36.	श्रीमती मधु जैन (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., फुलेरा
37.	श्रीमती नूतन गुप्ता (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., बागावास अहि.
38.	श्रीमती सुनिता (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., गठवाड़ी
39.	श्रीमती अक्सर बानो (विवि)	रा. बा. उ. प्रा. वि., दूधी आमलोदा
40.	श्रीमती पुष्पा दिवूलवाल (विधवा)	रा. बा. उ. मा. वि., कोटपूतली
41.	श्रीमती भंवर गौड़ (विधवा)	रा. बा. उ. मा. वि., मौजमाबाद
42.	श्रीमती रीटा वधवा (विधवा)	रा. बा. उ. प्रा. वि., मैड़

क्र.सं.	नाम अध्यापिका	पदस्थापित स्थान
43.	श्रीमती मनोहरमा जैन (विधवा)	रा. बा. मा. वि., मोजमाबाद
44.	श्रीमती शशि शर्मा (विधवा)	रा. उ. मा. वि., आर्दश नगर, जयपुर
45.	श्रीमती भगदन्ती दलानी (परित्यक्ता)	रा. मा. वि., नामेड़ा
46.	रईसा अगवानी (विधवा)	रा. मा. वि., चोरु
47.	श्रीमती वृजलता शर्मा (विधवा)	रा. मा. वि., नारखेड़ा
48.	श्रीमती वन्दना शर्मा (परित्यक्ता)	रा. मा. वि, भैसावा

संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्त अध्यापक

156. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियुक्ति देने से पूर्व अध्यापनानुभव प्रमाण-पत्रों की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बोर्ड/विश्वविद्यालयों से योग्यता अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों की जांच कराई गई ?

(4) क्या यह सही है कि सामान्यतया शिक्षा विभाग में अध्यापनानुभव प्रमाण-पत्रों एवं बोर्ड, विश्वविद्यालयों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों की सम्बन्धित अधिकारी/बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से जांच कराने के बाद ही नियुक्ति दी जाती है ? क्या संस्कृत शिक्षा विभाग में भी वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 में जांच बाद नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार/विभाग अब जांच करा कर फर्जी अध्यापनानुभव प्रमाण-पत्रों एवं बोर्ड /विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व जांच नहीं कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1989-90 में तृतीय वेतन श्रृंखला में 510 व द्वितीय वेतन श्रृंखला में 17 वर्ष 1990-91 में तृतीय वेतन श्रृंखला में 375 द्वितीय वेतन श्रृंखला में 191 एवं 1991-92 में तृतीय वेतन श्रृंखला में 365 द्वितीय वेतन श्रृंखला में 64 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। सूची परिशिष्ट (1) पर संलग्न है।

(2) उक्त तीनों सत्रों में नियुक्ति देने से पूर्व अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं करायी गई है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन नियुक्ति के मानदण्डों में ऐसे कोई निर्देश विहित नहीं थे।

(3) जी नहीं।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(4)(ए) संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्यतः अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्रों, बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अधिकारियों से सत्र 1992-93 से पूर्व बिना सत्यापन के ही नियुक्ति दी जाती थी।

बी : जी, नहीं।

(5) राज्य सरकार/विभाग को फर्जी प्रमाण पत्र सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्रों एवं बोर्ड/विश्वविद्यालय प्रमाण पत्रों की जांच करायी जा सकती है तथा फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार नियुक्ति निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।

(6) नियुक्ति मानदण्डों में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के निर्देश नहीं थे। अतः नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो सकता।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानान्तरण

157. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में 3 वर्ष से 10 वर्ष के ठहराव वाले कितने अध्यापकों के प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण हेतु प्राप्त हुए ?

(2) क्या विभाग/सरकार द्वारा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के ठहराव वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण उनकी प्रार्थना के अनुसार किए गये है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नही, तो क्यों ?

(3) एक संभाग से दूसरे संभाग में व एक जिले से दूसरे जिले में ऐसे कितने स्थानान्तरण किये गये है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) स्थानान्तरण में क्या शहरी/ग्रामीण ठहराव को ध्यान में रखा गया है ? यदि हां, तो 3 से 10 वर्ष तक के ठहराव वाले ग्रामीण अध्यापकों में से कितनों के स्थानान्तरण शहर में किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में 3 वर्ष से 10 वर्ष के ठहराव वाले 538 अध्यापकों के प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण हेतु प्राप्त हुए हैं।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के ठहराव वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण उनकी प्रार्थना के अनुसार ही किये गये है सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्ति व स्थानान्तरण के अधिकार केवल निदेशक को ही हैं। अतः अध्यापकों की मांग व प्रशासनिक दृष्टि से निदेशालय स्तर पर एक संभाग से दूसरे संभाग व एक जिले से दूसरे जिले में किये गये स्थानान्तरण की सूची परिशिष्ट -2 संलग्न है।

(4) शिक्षकों के स्थानान्तरण करने में शहरी/ग्रामीण ठहराव को ध्यान में रखा गया है। परिशिष्ट 1 पर सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

संस्कृत निदेशालय द्वारा सामान की खरीद

158. **श्री कन्हैया लाल मीणा**(बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत निदेशालय द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 में राजकीय संस्कृत संस्थाओं के लिए साज सामान और फर्नीचर एवं विज्ञान के सामान की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि का क्या-क्या सामान किन-किन फर्मों से खरीदा गया ?सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संस्कृत कॉलेजेज के प्राचार्य और अन्य कार्यालयाध्यक्ष अपनी-अपनी संस्थाओं का सामान खरीदने हेतु अधिकृत नहीं थे ? यदि हां, तो फिर केन्द्रित (इकजाई) खरीद के क्या कारण रहे और उसके लिए क्या कोई राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई ?

(3) क्या गठित कमेटी ने ऊंची दरों पर सामान खरीदने का निर्णय लिया, सिफारिश की और उस सिफारिश का अमल करने से पूर्व वित्तीय नियमों की पालना की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में सरकार द्वारा गहन जांच हेतु शासकीय स्तर पर कमेटी गठित की गई ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने घटिया किस्म का सामान होने या नहीं होने की जांच सामान का भौतिक निरीक्षण कर पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हॉं। संस्कृत निदेशालय द्वारा वर्ष 89-90 में विद्यालयों व निदेशालय के लिए रु. 27.60 लाख और 90-91 में 11.25 लाख रुपये की राशि का राजकीय नवीन संस्कृत विद्यालयों के लिए सांज सामान और फर्नीचर एवं विज्ञान का सामान खरीदा गया था। सूची परिशिष्ट (1) व (2) पर संलग्न है।

(2) संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्य व अन्य कार्यालय अध्यक्ष जी. एफ. एण्ड. आर. के नियमानुसार अपनी अपनी संस्थाओं का सामान खरीदने हेतु अधिकृत थे किन्तु पैरा 1 में उल्लेखित साज सामान व फर्नीचर तथा विज्ञान विषय के उपकरणों का किया गया क्रय नवीन विद्यालयों एवं निदेशालय के लिये किया गया था नवीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जी.एफ.एण्ड.आर के प्रावधानों के अन्तर्गत सामान खरीदने हेतु सक्षम नहीं होने से निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद व्यवस्था की गई थी। यह सामान निदेशालय स्तर पर क्रय समिति गठित कर क्रय किया गया था।

(3) उक्त खरीद के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। खरीद का समस्त रिकॉर्ड राज्य सरकार को विभागीय पत्र 356-57 दिनांक 17.3.92 के द्वारा प्रेषित किया हुआ है। जॉच का निर्णय होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा शासकीय स्तर पर जॉच हेतु कमेटी गठित की हुई है।

(5) समिति सरकार के स्तर पर गठित करके जांच कर रही है जिसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

वर्ष 1989-90 में क्रय किया गया सामान एवं राशि का विवरण

क्र.सं.	क्रय किया गया सामान	राशि
1.	दरी पटटीयां	2,55,440/-
2.	डस्टर	6,090/-
3.	पाठ्य पुस्तकें	18,411/-
4.	स्टेशनरी	18,126/-
5.	चॉक	9,494/-
6.	स्टील आलमारी (पटवारी)	4,27,863/-
7.	नेस्टिंग चेयर	1,34.072/-
8.	लोहे के सन्दूक	74,813/-
9.	टेबिल (फोल्डिग)	2,17,840/-
10.	बाल्टियॉ	20,625/-
11.	आयरन शेफ	1,00,864/-
12.	ऑफिस टेबिल	72,669/-
13.	स्टील आलमारी बड़ी	1,13,978/-
14.	ऑफिस चेयर	2,419/-
15.	लाईब्रेरी शैल्वज	20,374/-
16.	ताले हरीसन	30,240/-
17.	मेथोटिक्स फिट	48,438/-
18.	टूल फिट	36,270/-
19.	नक्शे/चार्टस	58,266/-
20.	बाल स्पंज	9,085/-
21.	अलार्म घड़ी	49,920/-
22.	रबर बाल	4,620/-
23.	डम्बल पेयर	29,025/-
24.	लेजम	23,625/-
25.	लोटे स्टील	10,416/-
26.	स्कीपिंग शेष सूती प्लाष्टिक हत्या	8,736/-

Page No.87

क्र.सं.	क्रय किया गया सामान	राशि
27.	स्कीपिंग नायलॅन लकड़ी हत्था	7,560
28.	साइन्स फिट	1,54,560/-
29.	ब्लेक बोर्ड	99,456/-
30.	स्कूल घन्टी	14,112/-
31.	रामझारा	18,446/-
32.	रिंगबाल	10,080/-
33.	हवा भरने का पंप	1,802/-
34.	बालीबाल	19,320/-
35.	फुटबाल	16,870/-
36.	स्टूल	63,000/-
37.	वजन करने की मशीन	11,250/-
38.	पेट्रोमेक्स	4,200/-
39.	स्टोव	3,150/-
40.	बालीबाल नैट	2,640/-
41.	बैड़मिन्टन	1,320/-
42.	शटल काक	1,089/-
43.	नाप फीते	4,320/-
44.	शट् फुट	2,040/-
45.	बालीबाल पोल्स	11,730/-
46.	बैडमिन्टन पोल्स	8,130/-
47.	डिस्कस थ्रो	2,223/-
48.	राकिटस	4,092/-
49.	एम.आर.रजिस्टर्स	8,400/-
50.	छात्र/अध्यापक रजिस्टर्स	2,573/-
51.	प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकें	3,91,144/-
52.	प्रवेशिका विद्यालय की पुस्तकें	95,520/-
	योग :-	27,60,646/-

वर्ष 90-91 में निम्नलिखित फर्मों से सामान क्रय किया गया था

क्र.सं.	नाम फर्म
1.	मै.सुप्रीम कारपोरेशन
2.	कास्ट अलाइन, जयपुर
3.	कास्ट वीर मेटल्स वर्क्स, जयपुर
4.	कास्ट खण्डेलवाल एन्टरप्राइजेज, जयपुर
5.	कास्ट स्काट डुप्लीकेटर्स प्रा. लि., जयपुर
6.	कास्ट वित्त सीएमपीसीओ विभाग, जयपुर
7.	कास्ट केन्द्रीय कारागृह विभाग, जयपुर
8.	कास्ट पूरणा, जयपुर
9.	कास्ट महेश एन्टरप्राईजेज, जयपुर
10.	कास्ट राजप्रकाशन, जयपुर
11.	कास्ट यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर
12.	कास्ट देवनागर प्रकाशन, जयपुर
13.	कास्ट साक्षरता प्रकाशन, जयपुर
14.	कास्ट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ राज., जयपुर
15.	कास्ट रचना प्रकाशन, जयपुर
16.	कास्ट जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
17.	कास्ट साहित्यागार, जयपुर
18.	कास्ट हिन्दी आयुर्वेद संस्कृत पुस्तक भण्डार, जयपुर
19.	कास्ट शिल्पी प्रकाशन, जयपुर
20.	कास्ट पंचशील प्रकाशन, जयपुर

उपरोक्त वर्णित में क्रम सं. 1 से 6 तक वर्णित फर्मों सी एम पी ओ द्वारा अनुमोदित फर्में हैं। सं. 7 में वर्णित राजकीय विभाग/ उपक्रम है, 8 एवं 9 में वर्णित फर्मों से नियमानुसार निविदा मन्त्रित की गयी थी। क्र.सं. 10 से 20 तक वर्णित फर्मों से पुस्तकें क्रय हेतु समिति गठित कर भिशंसा अनुसार पुस्तकें क्रय की गयी थी। एन बी. टी. की पुस्तकों पर 15% तथा अन्य पुस्तकों 35% कमीशन प्राप्त किया गया था।

Page No.89

वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित फर्मों से सामान क्रय किया गया था

क्र.सं.	नाम फर्म
1.	क्रेन्द्रीय कारागृह, जयपुर
2.	पाठयपुस्तक मण्डल, जयपुर
3.	राजकीय मुद्रणालय, जयपुर
4.	सीखो कमाओ योजना,महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर
5.	मै. स्टील लाइट इन्डिया, जयपुर
6.	मै. हाल मार्क, जयपुर
7.	मै. खण्डेलवाल एन्टरप्राइजेज, जयपुर
8.	मै. मार्क सन्स, जयपुर
9.	मै. वीर मेटल वर्क्स, जयपुर
10.	मै. एवन एजेन्सीज, जयपुर
11.	मै. आल इन्डिया एजुकेशन सप्लाई,कम्पनी, दिल्ली
12.	मै. कुमार बुक एण्ड स्टेशनर्स,जयपुर
13.	मै. राज स्पोर्टस एम्पोरियम, जयपुर
14.	मै. पूरना, जयपुर
15.	मै. एवन केमीकल्स, जयपुर
16.	मै. आदर्श टेडिंग कं., जयपुर
17.	मै. राज प्रकाशन, जयपुर
18.	मै. अजमेरा बुक कं.
19.	मै. देव नागर प्रकाशन, जयपुर
20.	मै. श्याम प्रकाशन, जयपुर
21.	मै. यूनिक ट्रेडर्स जयपुर
22.	मै. पंचशील प्रकाशन, जयपुर
23.	मै. जयपुर पब्लिशंग हाऊस, जयपुर
24.	मै. शिक्षा भारतीय, दिल्ली
25.	मै. राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
26.	मै. रवीन्द्र प्रेस, दिल्ली
27.	मै. समाज शिक्षा प्रकाशन, दिल्ली

क्र.स.	नाम फर्म
28.	मै. नया साहित्य दिल्ली
29.	मै. रचना प्रकाशन जयपुर
30.	मै. पूर्वोदय प्रकाशन, नई दिल्ली
31.	मै. माया प्रकाशन, जयपुर
32.	मै. अनुभा एजेन्सीज, जयपुर
33.	मै. पुनीत प्रकाशन, जयपुर
34.	मै. पीताम्बर पब्लिशिंग कं. जयपुर
35.	मै. आयुर्वेद संस्कृत हिन्दी पुस्तक भण्डार, जयपुर
36.	मै. भारतीय पत्रिका, जयपुर

क्र.सं.1 से 4 तक वर्णित राजकीय विभाग/उपक्रम है।

क्र.सं.5 से 9 तक वर्णित फर्में सीएसपीओ द्वारा अनुमोदित फर्में।

क्र.सं.10 से 36 तक वर्णित फर्मों से नियमानुसार निविदा आमंत्रित की गई थी।

वर्ष 1990-91 में क्रय किया गया सामान एवं राशि

क्रं सं.	नाम वस्तु/सामग्री	राशि
1.	छत के पंखे	64,559/-
2.	स्टील आलमारी	2,23,973/-
3.	स्टील नेस्टिंग चेयर	1,13,620/-
4.	स्कूल टेबिल	91,874/-
5.	आयरन शेफ	11,177/-
6.	स्टील आफिस पेयर	1,21,699/-
7.	आफिस टेबिल छोटी	1,10,061/-
8.	राउन्ड वेट	9,900/-
9.	आफिस टेबिल	3,606/-
10.	बालीबाल	3,300 /-
11.	रिंग बाल	2,178/-
12.	प्रयोगशाला सामग्री	77,580/-
13.	प्राथमिक विधालय की पुस्तकें	55,538/-

क्र. सं.	नाम वस्तु/सामग्री	राशि
14.	दरी पटिट्यां	25,214/-
15.	टंकण यन्त्र	37,810/-
16.	प्रयोगशाला फर्नीचर	1,37,894/-
17.	डुप्लीकेटिंग मशीन	23,188/-
18.	फुटवाल	4,400/-
	योग	11,25,571/-

जिला बूंदी में देवस्थान विभाग द्वारा दुकानें / भूमि किराये का प्रकरण

159. **श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में बूंदी नगर में देव स्थान विभाग द्वारा दुकानें व भूमि किराये पर दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 में बूंदी नगर में हनुमान धर्मशाला के पीछे की दुकान किसी प्रेस को अनियमित तरीके से दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रेस को दुकान देने के बावजूद भी उसने अतिक्रमण किया है ? यदि हां, तो विभाग एवं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि बूंदी जिले एवं बूंदी नगर में दूकानें देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दी हुई है। भूमि किराये पर नहीं दी हुई है।

(2) देवस्थान विभाग की सम्पदाओं को किराये पर देने हेतु मान दण्ड यह है कि व्यवसायिक (दुकानें, गोदाम आदि खुली नीलामी द्वारा किराये पर अधिकतम बोलीदाता को राज्य सरकार की स्वीकृति से देने का प्रावधान है) आवासीय सम्पदा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराये पर राज्य सरकार की स्वीकृति द्वारा आबंटित किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी, नहीं । वर्ष 1992-93 में बूंदी नगर में हनुमान धर्मशाला के पीछे भण्डार व तिबारी निरंजन कुमार गुप्ता को नियमानुसार किराये पर दी गयी है जिसमें वह प्रेस चला रहा है।

यह सही है कि उक्त भण्डार एवं तिबारी के आवंटन के बावजूद श्री निरंजन कुमार द्वारा दिनाकं 16-4-94 को भण्डार एवं तिबारी के आगे खुली भूमि पर बिना विभाग की स्वीकृति के 26 x 35 फुट 5 इंच भूमि पर अवैध रुप से ईंटों की दीवार बनाकर टीन शेड लगा लिया गया है। विभाग द्वारा श्री निरंजन कुमार गुप्ता के विरुद्ध एफ आई आर दिनाकं 20-4-94 को दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा निरंजन कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया।

विभाग द्वारा जिला कलक्टर महोदय बूंदी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी को भी अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया गया।

(देवस्थान मंत्री)

अतिक्रमी का बेदखल करने हेतु निरीक्षक देवस्थान विभाग बूंदी द्वारा राजस्थान सार्वजनिक भूग्राहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधि.1964 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी (सहायक आयुक्त) देवस्थान विभाग कोटा के न्यायालय में दिनांक 3-9-94 को वाद दायर कर दिया गया है। सम्पदा अधिकारी द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4(1)का नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनवाई की अग्रिम तिथि 30-9-94 नियत है।

सम्पादाधिकारी, जयपुर द्वारा दिये गये बेदखली आदेश

160. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाडा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :-

(1) सम्पदा अधिकारी (उपायुक्त), जयपुर ने गत 5 वर्षों में किन किन प्रकरणों में कब कब बेदखली का आदेश जारी किया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन प्रकरणों में बेदखली का आदेश हुआ है उनमें सम्पदा का कब्जा प्राप्त करने के लिए 5/2 का आदेश कब-कब जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्पदा का कब्जा प्राप्त करने के लिए 5/2 के आदेश के तहत किन किन सम्पदाओं का कब्जा प्राप्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किन किन प्रकरणों में सम्पदा का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जिला न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) किन किन प्रकरणों में अब तक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत होने से 5/2 के आदेश होने के बाद काफी समय तक कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है और विपक्षी पार्टी जिला न्यायालय से स्थगन आदेश ले आती है? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है?यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) सम्पदा अधिकारी, जयपुर द्वारा गत 5 वर्षों में 117 प्रकरणों में बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ए" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) कुल 45 प्रकरणों में धारा 5(2) के आदेश जारी हुए हैं। विवरण परिशिष्ट (बी) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कुल 16 प्रकरणों में सम्पदाओं का कब्जा प्राप्त किया गया। विवरण परिशिष्ट "सी" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) धारा 5(2) के आदेश होने के पश्चात 16 प्रकरणों में कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गयी जिसकी पत्रावलियां न्यायालाय को भेज दिये जाने से स्थगन आदेश जारी होने या न होने की सूचना उपलब्ध नहीं है। विवरण परिशिष्ट "डी" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) धारा 5(2) के आदेश होने वाले 29 प्रकरणों में कब्जा अभी तक नहीं लिया गया है। विवरण परिशिष्ट "ई" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(6) 5/2 के आदेश के बाद कब्जा लेने में विलम्ब करने में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं

(देवस्थान मंत्री)

है । ऐसी सम्पदा का शीघ्र कब्जा लेने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

करणीमाता, हाथीपोल (उदयपुर) के मन्दिर की सुपुर्दगी

161. **श्री रघुवीर सिंह** (सराडा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मन्दिरों को किन परिस्थितियों में सुपुर्दगी पर दिया जा सकता है ? सरकार के पत्र क्रमांक प. 15/5/राज/3/85, दिनांक 11/11/1991 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हाथीपोल, उदयपुर में स्थित मंदिर श्री करणी माता जी को सुपुर्दगी में लेने हेतु सम्प्रदाय विशेष के श्रद्धालुओं ने मांग की थी ? यदि हां, तो उनके प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त मंदिर को व्यक्ति विशेष को सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये हैं ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मंदिर उसी व्यक्ति को सुपुर्द किया गया है, जिसके नाम सरकार ने आदेश दिया है ? यदि नहीं, तो दूसरे व्यक्ति को किस आधार पर सुपुर्द किया गया है. ?

(5) क्या सरकार इस मंदिर की व्यक्ति विशेष को सुपुर्द करने में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार व्यक्ति विशेष को सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्र सं.प.1/5/(5) राज/3/85 दिनांक 11-11-91 के अनुसार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मन्दिर को निम्न परिस्थति में सुपुर्दगी पर दिया जाने का आदेश है :-

1. ऐसे मंदिर जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज पर स्थित है और जिन पर विभाग का प्रभावी नियंत्रण सम्भव नहीं रहता है।

2. ऐसे मंदिर जिनकी अवस्था जीण शीर्ण हो चुकी है और जिनके रख-रखाव पर भारी व्यय की सम्भावना है।

3. ऐसे मंदिर जिन्हें सुपुर्दगी में लेने हेतु उनके सम्प्रदाय विशेष श्रद्धालूओं की मांग हो और मंदिर के प्रबन्ध एवं व्यवस्था में सुधार लाने हेतु तत्पर हो।

राज्य सरकार के पत्र सं.प. 15(5)राज-3/85 दिनांक 11-12-93 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। आदेश क्रमांक प. 9(2)देव/92 दिनांक 10/9/93 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार ने मंदिर श्री केसरीमल लोढा को सुपुर्दगी पर देने के आदेश दिये थे। किन्तु श्री लोढा का दिनांक 11/12/93 को स्वर्गवास हो जाने से उनके पुत्र श्री राजकुमार लोढा को सुपुर्द किया गया ।

(5) जी, नहीं। मंदिर व्यक्ति विशेष को सुपुर्द किये जाने में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है।

(6) जी, नहीं। मंदिर सुपुर्दगी में देने के आदेश को निरस्त किये जाने का अभी कोई औचित्य नहीं है।

राजस्थान सरकार

देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प. 15(5) राज /3/85 दिनांक 11.11.91

आदेश

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों को समबन्धित एवं पंजीकृत निजी संस्थाओं को सुपुर्दगी पर दिये जाने से सम्बन्धित मामलों में समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार निम्न लिखित आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रसारित करती है :-

(1) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों को निम्न परिस्थितियों में सुपुर्दगी पर दिया जा सकता है ।

1. ऐसे मंदिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज पर स्थित हों और जिन पर विभाग का प्रभावी नियंत्रण सम्भव नहीं रहता है।

2. ऐसे मंदिर जिनकी अवस्था जीर्ण - शीर्ण हो चुकी है और जिनके रखरखाव पर भारी व्यय की सम्भावना है।

3. ऐसे मंदिर जिन्हें सुपुर्दगी में लेने हेतु उनके सम्प्रदाय विशेष श्रद्धालुओं की मांग हो और मंदिर के प्रबन्ध एवं व्यवस्था में सुधार लाने हेतु तत्पर हो।

(2) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों को सुपुर्दगी पर निम्न शर्तों पर दिया जा सकता है :—

1. कोई भी मंदिर केवल उसी सम्प्रदाय विशेष की प्रन्यास/समिति को सुपुर्द किया जाएगा जिस सम्प्रदाय विशेष का यह मंदिर है। सुपुर्दगी हेतु उक्त प्रन्यास/समिति का राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम अथवा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के अन्तर्गत बनाये गये नियम राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

2. जब तक मंदिर सुपुर्दगी पर रहे उसके प्रबंध एवं रख- रखाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रबंध समिति की होगी और उसके लिए वित्तीय भार भी पूर्णत: समिति को ही वहन करना पडेगा।

3. मंदिर के स्वरुप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन, जिससे मंदिर का स्वरुप बदलता हो, देवस्थान विभाग को पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

4. मंदिर की संपदा का स्वामित्व देवस्थान विभाग में निहित रहेगा और सुपुर्दभार द्वारा सम्पदा को किसी भी स्वरुप में हस्तानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

5. मंदिर के अधीन मंदिर परिसर के बाहर यदि कोई अन्य भूमि एवं भवन होगा तो वह सुपुर्दगी पर नहीं दिया जाएगा। बल्कि उसका प्रबंध नियंत्रण तथा निस्तारण देवस्थान विभाग स्वयं करेगा और उसको होने वाली आय का उपयोग देवस्थान ही करेगा। परिसर के बाहर स्थित संपदा के विक्रय आदि का अधिकार भी देवस्थान विभाग को होगा।

6. मंदिर के आभूषण भी हस्तांतरित नहीं किये जाएंगे। यदि रोजमर्रा के काम में आने वाले आभूषणों को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा तो ऐसे आभूषणों की कीमत, जो कि देवस्थान विभाग द्वारा तय की जावेगी, के बराबर की जमानत देवस्थान विभाग को भुगतान करने पर ही ऐसे आभूषण सुपुर्दगी पर दिये जा सकेंगे।

7. मंदिर को सुरक्षा की दृष्टि से एवं उचित व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से देवस्थान विभाग के अधिकारियों को समय समय पर मंदिर से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं किसी शर्त के उल्लंघन होने पर सुपुर्दगी निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

8. मंदिरों को आय/व्यय का लेखा जोखा रखा जायेगा।

9. प्रारंभ में मंदिर सुपुर्दगी पर 5 वर्षों की अवधि के लिये ही दिया जायेगा इस काल में सुपुर्दगार को आचार विचार व्यवहार को ध्यान में रख जनहित में वांछनीय होने पर सेवाकाल बढाने पर विचार किया जायेगा। मंदिर में कुप्रबन्ध एवं कुव्यवस्था पाये जाने पर या अन्य बेहतर प्रबंध का विकल्प उपलब्ध होने पर सुपुर्दगी की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्य सरकार को सुपुर्दगी से वापस लेने का अधिकार होगा।

10. जिन मंदिरों की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गयी है उन्हें सुपुर्दगार द्वारा एक नियत अवधि में मंदिर की टूट फूट की मरम्मत आदि करवानी होगी।

11. मंदिर संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसका निपटारा देवस्थान विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. मंदिरों में दर्शनों के लिये समस्त धर्मावलम्बियों को आने दिया जायेगा।

13. मंदिर की पवित्रता, सफाई एवं परम्परा का सुपुर्दगार को पूर्ण ध्यान में रखना होगा।

14. सुपुर्दगार को देवस्थान विभाग के साथ निर्धारित किये जाने वाले परिपत्र में अनुबन्ध करना होगा।

उक्त परिस्थितियों एवं शर्तों के अनुसार पूर्ण रुपेण कार्यवाही उपरान्त आयुक्त, देवस्थान की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा वांछित स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

आज्ञा से,

विशिष्ट शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प. 2 देव /92 **जयपुर, दिनांक 10.9.93**

आयुक्त,

देवस्थान विभाग,

उदयपुर।

विषय : मंदिर श्री करणी जी हाथीपोल, उदयपुर को सुपुर्दगी पर देने बाबत् ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि इस मंदिर के स्वामित्व के बारे में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। एक तरफ देवस्थान विभाग की यह मान्यता है कि यह मंदिर राजकीय सम्पत्ति है दूसरी ओर श्री केसरीमल लोढा का कथन है कि यह सम्पत्ति श्री शक्तिदान सिंह को बख्शीश में दी थी और उन्होंने श्री शक्तिदान से रजिस्ट्री से खरीद की है। स्वामित्व के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक इस मंदिर को श्री लोढा की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। वैसे इस मंदिर से विभाग को कोई आय भी नहीं होती है।

भवदीय,

ह.

बी.एल.गुप्ता,

शासन उपसचिव।

अतारांकित प्रश्न संख्या 162

(स्थगित)

माण्डल (भीलवाड़ा) निर्वाचन क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों का पदस्थापन

163. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माण्डल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम निम्बाहेड़ा जाटान, ज्ञानगढ़ एवं ग्राम गुरला जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई भी चिकित्सक पदस्थापित नहीं है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? राज्य सरकार अब उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कब तक चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा जाटान पर डॉ. गणपत लाल जैन को पदस्थापित किया हुआ है, जो वहां दिनांक 10.9.94 से कार्यरत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्ञानगढ़ पर डॉ. मुरलीधर सेठी को पदस्थापित किया जा चुका है, किन्तु चिकित्सक उपस्थिति के बाद दिनांक 8.7.94 से अनुपस्थित है। निदेशालय द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरला पर डॉ. गीता पुनमियां का पदस्थापन है, किन्तु वे दिनांक 29.5.94 से अनुपस्थित है। निदेशालय द्वारा चिकित्सक को कार्य पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है।

जिला बूंदी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

164. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र बम्बोरी मोतीपुरा, जांवरा एवं खजूरी के लिए भवन व्यवस्था नहीं है? यदि हां तो अब कब तक भवन निर्माण करवा दिये जायेंगे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानों पर राजकीय भवन नहीं होने से विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों को असुविधा उठानी पड़ती है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर भी भवन निर्माण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, उप केन्द्र बम्बोरी मोतीपुरा, जांवरा एवं खजूरी हेतु वैकल्पिक भवन व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई है।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा भवन की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के कारण उक्त स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों को कोई असुविधा नहीं है, फिर भी जांवरा में राजकीय भवन निर्माणाधीन है। अन्य ग्रामों में भवन निर्माण वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर कराया जाना संभव हो सकेगा

जवाहर रोजगार योजना निर्बन्ध योजना में भवन बनवाने हेतु कलक्टर को लिखा जा रहा है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पद

165. **श्री भगवान दास** (चौहटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ व सेड़वा पर कितने समय से डाक्टर के पद रिक्त हैं?

(2) इन रिक्त पदों पर सरकार कब तक डाक्टरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार स्वास्थ्य सेवा को अत्यन्त आवश्यक मानती है? यदि हां, तो इतने समय से रिक्त पदों को नहीं भरने का क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ पर दिनांक 29.6.94 से डॉक्टर का पद रिक्त है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेड़वा पर दिनांक 20.6.94 से डॉक्टर का पद रिक्त है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों

Page No.98

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी हां, ।

(3) चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। परन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कुछ चिकित्सकों द्वारा पदभार नहीं संभालने अथवा पदग्रहण कर अनुपस्थित होने की वजह से चिकित्सकों के कुछ पद रिक्त हैं? ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा नये चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ड्रग इन्सपेक्टर की नियुक्ति हेतु जारी निर्देश

166. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने ड्रग इन्सपेक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना की जा रही है?

(2) ड्रग इन्सपेक्टर्स द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में किन-किन दवाइयों के नमूने लिये गये?

(3) ड्रग इन्सपेक्टर्स द्वारा लिये गये नमूनों का परीक्षण परिणाम क्या रहा और परीक्षण परिणाम के आधार पर किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) औषधि निरीक्षकों द्वारा वर्ष 1991-92 में कुल 875 औषधियों के नमूने लिये। वर्ष 1992-93 में 682 के नमूने लिये। वर्ष 1993-94 में 889 नमूने लिये गये। दवाईयों के नामों की सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) प्रश्न के भाग दो में संलग्न अनुसूची में लिए नमूनों के परीक्षण परिणाम के आधार पर की गयी कार्यवाही प्रत्येक के समक्ष अंकित कर दी गयी है, जहां तक राज्य से बाहर के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही का संबंध है, संबंधित राज्य के लाईसेंसिंग आथोरिटी को प्रकरण समय-समय पर कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं। परिणाम के आधार पर लिये गये कुल नमूनों में से वर्ष 1991-92 में 225, 1992-93 में 165 एवं 1993-94 में 166 नमूनें अवमानक कोटि के पाये गये।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति लालसोट के चिकित्सालयों हेतु भवन व्यवस्था

167. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा एवं बगड़ी में चिकित्सालय के लिए सरकार द्वारा भवन की व्यवस्था नहीं करने के कारण लोगों को चिकित्सा सुविधा में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त भवनों को बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा व बगड़ी वर्तमान में पंचायत भवन में संचालित है अतः लोगों को चिकित्सा सुविधा

Page No.99

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

मिलने में कोई कठिनाई नहीं है।

(2) योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ उपादेयता के आधार पर इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण पर विचार करना संभव हो सकेगा।

भीलवाड़ा में संक्रामक रोगों की रोकथाम

168. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इस वर्षा ऋतु में भीलवाड़ा जिले के लगभग सभी भागों में उल्टी, दस्त, बुखार आदि का भारी प्रकोप चल रहा है? यदि हां, तो उसका विवरण व भविष्य में उसकी मुक्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रोगों के प्रकोप से जिले में मौतें भी हुई? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी हां। वर्षा ऋतु में भीलवाड़ा जिले के 37 ग्रामों में उल्टी दस्त एवं बुखार का प्रकोप रहा है। प्रकोप की सूचना प्राप्त होते ही मेडिकल टीमें प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, उपचार एवं रोकथाम हेतु भेजी जाती रही है। नियमित रुप से पीने के पानी के स्रोतों से जल शुद्धीकरण किया जाता रहा है और बीमारियों से बचाव के तरीकों का प्रचार-प्रसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। आवश्यक दवाओं का प्रबन्ध किया गया। जिला स्तर पर कन्ट्रोल रुम की व्यवस्था सुदृढ की गई। यदि समय-समय पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई होती तो निश्चित रुप से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक होती और अनेक व्यक्तियों को बचाया जाना संभव नहीं होता।

(2) रोगियों का विवरण :-

उल्टी दस्त और बुखार से रोगी : 1142

प्राथमिक स्वा.केन्द्रों पर भर्ती रोगी : 59

रेफर किये गये रोगी : 9

भीलवाड़ा जिले में उल्टी- दस्त से मौतें हुई उनकी सूची

क्र. सं.	प्रभावित गांव का नाम		मृतकों की संख्या	
			अस्पताल में	फील्ड में
1.	बैमाली	(करेडा)	-	2
2.	बिजोलिया		-	1
3.	सालेरा	(कोशिथल)	-	1
4.	साकडा	(कोटडी)	-	1
5.	भीलड़ी	(जहाजपुर)	-	2
6.	जाटान का निम्बाहेड़ा	(करेड़ा)	-	2
7.	कंजर कोलोनी	(पन्डेर)	-	3
8.	महेन्द्रगढ़	(सहाड़ा)	-	2

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

क्र. सं.	प्रभावित गांव का नाम		मृतकों की संख्या	
			अस्पताल में	फील्ड में
9.	ब्राम्हणों की सरेरी	(आसिन्द)	-	3
10.	सरथला	(काछोला)	-	1
11.	पनोतिया	(रामपुर)	-	1
12.	कंगनी का लाडिया	(बागोर)	-	1
13.	फुलियाकला	(शाहपुरा)	1	-
14.	पालरा	(रायपुर)	-	1
15.	दांतडा कोलियास	(कोटडी)	-	2
16.	कांदा	(मंगरोप)	1	4
17.	चांदगढ़	(बडलिवास)	-	2
18.	सांकडी	(कोटडी)	-	3
	योग :		2	32

प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त रोगों से जिले में कुल 34 रोगियों की मृत्यु हुई है। जिनमें से 2 रोगियों की अस्पताल में व 32 रोगियों की प्रभावित क्षेत्रों में मृत्यु हुई है, जिनका विवरण संलग्न है।

चिकित्सा एवं परिवार नियोजन हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि

169. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं परिवार नियोजन आदि के लिए भारत सरकार द्वारा राशि आबंटित की जाती है ? यदि हां, तो 1 अप्रेल, 1990 को किस- किस मद में कितनी-कितनी राशि सरकार तथा विभिन्न एजेन्सियों के पास उक्त राशि में से अवशेष थी ?

(2) 31 मार्च, 1990 के पश्चात भारत सरकार द्वारा किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित की गई है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 अप्रेल, 1990 से अब तक राज्य को आबंटित राशि का उपयोग कब-कब तथा किस-किस कार्य में किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, एक अप्रेल, 1990 को निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक के सामने अंकित राशि अवशेष थी :-

1. परिवार कल्याण मद में राशि अवशेष न होकर 656.33 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा रिलीज होने बाकी थे।

2.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	8.37
3.	राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम	1.62
4.	राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा	0.22
5.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना	87.81
6.	राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम	12.98

(2) 31 मार्च, 1990 के पश्चात निम्न प्रकार राशि प्रत्येक के सामने अंकित राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु आवंटित की गई :- (राशि लाख रुपयों में)

कार्यक्रम का नाम	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं :					
परिवार कल्याण	3180.48	4255.06	5619.50	6549.94	3716.58
कुष्ठ नियंत्रण	29.00	33.39	57.96	29.00	-
अन्धता नियंत्रण	16.37	51.89	100.66	96.90	21.10
एपीडी मिलोजीलेब	-	-	5.00	-	-
स्कूल हैल्थ	0.80	0.40	-	-	-
एड्स नियंत्रण	-	-	54.40	47.64	29.80
ड्रग टेस्टिंग लेब	-	-	10.00	20.00	-
गोइटर(गलघुट)	-	-	-	2.30	-

कार्यक्रम का नाम	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना :					
मलेरिया उन्मूलन (ग्रामीण)	418.89	580.57	544.37	766.18	-
मलेरिया उन्मूलन (शहरी)	10.00	17.46	27.11	-	-
क्षय नियंत्रण	42.01	36.54	2.62	85.69	-
नारु उन्मूलन	1.68	1.65	24.01	4.15	-

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) एक अप्रेल, 1990 के बाद आबंटित राशि का उपयोग प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु वर्षवार निम्न प्रकार किया गया : (राशि लाख रुपयों में)

कार्यक्रम का नाम	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
100 % केन्द्रीय प्रवर्तित					
परिवार कल्याण	4538.03	5362.66	5916.56	7228.01	-
कुष्ठ निवारण	16.25	38.24	55.95	27.06	-
अन्धता निवारण	28.24	40.56	66.71	80.49	-
ऐपेडिमीलोजी लेब	-	-	4.84	-	-
स्कूल हैल्थ	-	-	-	-	-
एड्स नियंत्रण	-	-	37.86	51.11	-
ड्रग टेस्टिंग	-	-	10.00	12.73	-
गलघुट नियंत्रण	-	-	-	0.58	-
50% केन्द्रीय प्रवर्तित					
मलेरिया उन्मूलन (ग्रामीण)	218.62	297.54	335.07	766.18	-
मलेरिया उन्मूलन (शहरी)	0.14	-	17.37	-	5
क्षय निवारण	43.71	39.30	10.46	85.69	-
नारु उन्मूलन	02.14	01.71	27.33	3.25	-

पत्रकारों के अधिस्वीकरण के नियम

170. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा पत्रकारों के अधिस्वाकरण के कोई नियम स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने पत्रकारों का अधिस्वीकरण है ? उनके नाम, पते, अनुभव, जन्मतिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में स्वतंत्र पत्रकारों के नाम पर कितने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को अधिस्वीकरण किया गया है ? उनमें अधिस्वीकरण आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्रकारिता अनुभव के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) सेवानिवृत्त आई. ए. एस. तथा जन सम्पर्क विभाग के पूर्व अधिकारियों को किस आधार पर अधिस्वीकरण दिया गया ?

(5) अधिस्वीकृत पत्रकारों के नाम पर ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या ऐसे अधिस्वीकृत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र पत्रकार की कई समितियों के सदस्यों के रुप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम, समितियों के नाम, वहां से प्राप्त सुविधाऐं, उठाये गये भत्ते आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, नियमों की प्रति परिशिष्ट - क पर संलग्न है।

(2) राज्य में 988 पत्रकार अधिस्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट - ख पर संलग्न है।

(3) राज्य में स्वतंत्र पत्रकार के नाम पर 32 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों का अधिस्वीकरण किया हुआ है। उपलब्ध आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।(परिशिष्ट - ग)

(4) लम्बे समय तक पत्रकारिता एवं लेखन कार्य से जुडे होने के कारण विभिन्न सेवानिवृत्त अधिकारियों का अधिस्वीकरण किया गया है।

(5) अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(6) ऐसे अधिस्वीकृत सेवा निवृत्त कर्मचारी, स्वतंत्र पत्रकार, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की किसी भी समिति में सदस्य के रुप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

(सूची प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ऐतिहासिक गढ़, भरतपुर

171. श्री हरि सिंह (कुम्हेर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर शहर के चारों तरफ स्थित कच्चा ऐतिहासिक गढ़ संरक्षित इमारत घोषित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या इस गढ़ को तोड़कर इस पर भवन निर्माण करने की इजाजत है ? यदि नहीं, तो बिना इजाजत उक्त गढ़ पर कितनी इमारतें बनी हुई हैं ? इस पर काबिज सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम, पता, इमारत का क्षेत्रफल वर्णित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार का इन इमारतों का गढ़ से हटाकर गढ़ को पूर्व रुप देने का इरादा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित कच्चागढ़ राज्य सरकार द्वारा स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम (अधिनियम सं. 19) 1961 के तहत धारा-3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1968 में संरक्षित घोषित किया गया था।

(2) भरतपुर स्थित कच्चे डंडे पर भवन निर्माण को इजाजत पुरातत्व विभाग के स्तर से नहीं दी गई है। अतिक्रमण कच्चे डंडे को काटकर व समतल करके किये गये हैं। वर्ष 1981-82 में पुरातत्व विभाग द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार 590 अतिक्रमियों के अनाधिकृत कब्जे व मकान बने हुए थे।

जिनकी सूची मय क्षेत्रफल संलग्न है। वर्तमान में वर्ष 1994 में भरतपुर नगर परिषद द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार जघोना गेट से सूरजपोल गेट तक कच्चे डंडे पर अतिक्रमियों के 89 मकान पाये गये जिसकी सूची संलग्न है एवं नीमदरवाजा से अटलबंद दरवाजे के बीच 48 मकान और स्थित है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) कच्चे डंडे पर जो अनाधिकृत भवन निर्माण अतिक्रमियों द्वारा कराये गये हैं उन्हें नियमित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गयी।)

साहित्य अकादमियां

172. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में साहित्यिक विकास के लिए विभिन्न अकादमियां कार्यरत है और उन्हें लाखों रु. का वार्षिक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है? सत्र 1993-94 में देय अनुदान और सभी अकादमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार देय अनुदान का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग अथवा महालेखाकार से ऑडिट कराती है? यदि नहीं, तो इस राशि के उचित उपयोग और दुरुपयोग की सम्भावनाओं को रोकने के लिए ऑडिट की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अलावा क्या व्यवस्था है?

(3) क्या यह सही है कि पिछले अधिवेशनों में सरकार ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से ऑडिट कराने की बात स्वीकार की थी? यदि हां, तो अभी तक ऑडिट किन-किन अकादमियों का नहीं हुआ है और यदि ऑडिट शुल्क की बात है, तो अकादमी अनुदान समायोजन कर ऑडिट करवाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है?

(4) अकादमियों में संवैतनिक प्रशासनिक अधिकारी और अवैतनिक प्रशासनिक अधिकारी किन-किन अकादमियों में कौन-कौन है? क्या यह सही है कि कुछ अकादमियों में सिर्फ मानद पद अधिकारी ही हैं और ऐसी स्थिति में राशि के उचित उपयोग के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किस तरह किया जा सकता है और दुरुपयोग हुई राशि को वसूल करने के सरकार के पास क्या उपाय हैं?

(5) राज्य की भाषायी अकादमियों के प्रशासनिक अधिकारियों (निदेशक एवं सचिव) की योग्यताएं व वेतनमान क्या हैं? क्या इसमें एकरुपता की दृष्टि से समान वेतनमान, समान योग्यता और कर्तव्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं है? यदि हां, तो सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान में साहित्यिक विकास के लिये जो अकादमियां कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

		आयोजना मद	आयोजना भिन्न मद		(योग लाखों में)
1.	राज. सा. अकादमी, उदयपुर	6.00	13.60	=	19.60
2.	राज. सा. अकादमी, जयपुर	2.50	1.10	=	3.60
3.	राज. सा. एवं संस्कृत अकादमी, बीकानेर	4.00	3.50	=	7.50
4.	राज. ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर	4.00	1.40	=	5.40
5.	राज. संस्कृत अकादमी, जयपुर	4.00	2.12	=	6.12
6.	राज. उर्दू अकादमी, जयपुर	5.00	4.85	=	9.85

(राज्य मंत्री, कला संस्कृति एवं पुरातत्व)

(2) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का अंकेक्षण महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं चार्टेड अकाउन्टेन्ट से कराया जाता है। अन्य अकादमियों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नहीं कराया जाता, केवल चार्टेड अकाउन्टेन्ट के द्वारा ही अंकेक्षण कराया जाता है।

(3) जी हां। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का आडिट स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा कराया जाता है अन्य का नहीं। अन्य अकादमियों को राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की अपेक्षा में अनुदान कम दिया जाता है। आडिट शुल्क के लिये बी. एफ. सी. द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होने पर अन्य अकादिमयों की आडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा करवाया जावेगा।

(4) अकादमियों में निम्नानुसार सवैतनिक व अवैतनिक अधिकारी नियुक्त/प्रतिनियुक्त हैं :—

	अकादमी का नाम सचिव/निदेशकों के नाम	सवैतनिक	अवैतनिक
1.	राज. सा. अकादमी, उदयपुर श्री लक्ष्मी नारायण नंदवाना	वैतनिक	
2.	राज. उर्दू अकादमी, जयपुर श्री अब्दुल हई	वैतनिक (प्रतिनियुक्ति पर)	
3.	राज. ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर श्री गोपाल प्रसाद मुदगल		अवैतनिक
4.	राज. सिन्धी अकादमी, जयपुर श्री एन. वैलानी		अवैतनिक
5.	राज. भा. सा. एवं सं. अकादमी श्री सत्य प्रकाश आचार्य	वैतनिक (प्रतिनियुक्ति पर)	
6.	राज. संस्कृत अकादमी, जयपुर डॉ. प्रभाकर शास्त्री		अवैतनिक

राशि के दुरुपयोग का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री,कला संस्कृति एवं पुरातत्व)

(5) अकादमी का नाम	
1. राज. सा. अकादमी, उदयपुर	डॉ. लक्ष्मीनारायण नंदवाना प्रशासनिक पद सचिव के पद पर कार्यरत हैं। श्री नंदवाना का वेतनमान । 2500-75-2600-100-4000-125-4250 है। श्री नंदवाना की योग्यता एम. ए. हिन्दी पी. एच. डी. आदि।
2. राज. उर्दू अकादमी, जयपुर-	श्री अब्दुल हई उप सचिव (सेवा निवृत्त) हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।
3. राज. ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर-	अवैतनिक श्री गोपाल प्रसाद मुदगल जो कि कार्यकारी सदस्य भी हैं।
4. राज. सिन्धी अकादमी, जयपुर-	श्री एन. बैलानी, अवैतनिक(सेवानिवृत्त उप सचिव)
5. राज. भा. सा. एवं संस्कृत अकादमी, बीकानेर-	श्री सत्यप्रकाश आचार्य, प्रतिनियुक्ति
6. राज. संस्कृत अकादमी, जयपुर-	डॉ. प्रभाकर शास्त्री, अवैतनिक (प्रो. संस्कृत विभाग, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर)

घग्घर नदी की बाढ़ से प्रभावितों को सहायता

173. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विगत वर्ष घग्घर नदी की बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्यपाल महोदय ने बिजली के बिलों में राहत देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कुल कितने ट्यूब वैल्स बाढ़ के क्षतिग्रस्त हुए तथा कितनी राहत किसानों को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, 1242 ट्यूब वैल्स बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए। दो प्रार्थियों को 2482 रुपये की राहत दी गयी है।

कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में नदी नालों में बहे व्यक्तियों को सहायता

174. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्षा ऋतु में नदी व नालों में वाहनों के तथा व्यक्तियों के बह जाने के कारण कोटा, बारां व झालावाड़ जिले में कितने लोगों की इस वर्ष मृत्यु हुई ? क्या सरकार द्वारा मृतकों के परिवारजनों को किसी प्रकार की सहायता राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 साल में उपरोक्त कारण से इन दिनों में कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

(3) क्या यह सही है कि इन जिलों में पुलियाओं का अभाव होने के कारण प्रतिवर्ष

(श्री भरत सिंह)

ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) वर्षा ऋतु में नदी नालों में व्यक्तियों के बह जाने के कारण कोटा, बारां व झालावाड़ जिले में कुल 17 व्यक्तियों की इस वर्ष मृत्यु हुई है। इनमें से 6 व्यक्तियों को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट- "क")

(2) गत 5 वर्षों में उपरोक्त कारण से जिला कोटा में 6, बारां में 10 एवं जिला झालावाड़ में 11 कुल 27 लोगों की मृत्यु हुई है।

(3) जी हां। इस संबंध में सहायता विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

वर्ष 1994 में नदी व नालों में बह जाने के कारण मृतक व्यक्तियों को दी गयी सहायता का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	नाम मृतक	दी गयी सहायता राशि
1	2	3	4
1.	कोटा	1. अमर लाल पुत्र पांचूलाल माली	10,000/-
		2. रमेश पुत्र प्रभुलाल माली	10,000/-
		3. रामकन्या बेवा हीरालाल माली	10,000/-
		4. जुम्मा पुत्र कालू खां	10,000/-
2.	बारां	5. देव बाई पत्नी अमरलाल	10,000/-
3.	झालावाड़	6. भूरीबाई पत्नी बिन्द	5,000/- मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया गया है।

अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र

175. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :** क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जिले में अतिवृष्टि का प्रकोप इस वर्ष हुआ है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति के किन क्षेत्रों में तथा कितना-कितना नुकसान हुआ है? सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लिये क्या-क्या कार्य किये तथा कितना-कितना मुआवजा दिया? विवरण सदन की मेज पर

उत्तर

उदयपुर जिले की पंचायत समितियों कोटड़ा, झाड़ोल, खैरवाड़ा, सराड़ा, सलुम्बर, गिर्वा के कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि होने से फसलें खराब हो गई हैं जिसकी गिरदावरी कराई जा रही है। इसी अतिवृष्टि से दिनांक 20.8.94 को टिडी नदी में बाढ़ आ जाने से पंचायत समिति गिर्वा के 5 ग्राम एवं सराड़ा के 23 ग्रामों में जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। इस

(राज्य मंत्री, सहायता)

बाढ़ से खड़ी फसलों के बह जाने से पानी के बहाव से खेतों में खड्डे पड़ जाने, कुओं के क्षतिग्रस्त हो जाने, मकानों, दुकानों में पानी भरने एवं पशुधन की हानि हुई है। इसका विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है। जिन व्यक्तियों के इस बाढ़ से पूर्ण सामान बह जाने एवं मकान क्षतिग्रस्त होने से 8 व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवाई गई है। (परिशिष्ट-3) अतिवृष्टि से जनहित के कार्यों में नुकसान हुआ है इसका पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), उदयपुर

टिडी नदी को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का विवरण

पंचायत समिति गिर्वा

1. टिडी
2. जावर
3. वारापाल
4. गोज्या
5. बोरीकुआ

पंचायत समिति सराडा

1.	सल्लाडा	2.	बडगांव
3.	वाणाखुर्द	4.	बडवली
5.	इन्टाली	6.	नालाखुर्द
7.	गुडियापाडा	8.	उदयपुरिया
9.	झाडोल	10.	पाडला
11.	खाखरदरा	12.	सिंगटवाडा
13.	पोलादर	14.	चन्दाजी का गुडा
15.	जडियावास	16.	अमरपुरा
17.	देवपुरा	18.	महुवाडा
19.	धावडिया	20.	डांगोखेडा
21.	श्यामपुरा	22.	महुडा
23.	चिला गुडा		

जिला कलक्टर (सहायता), उदयपुर

बाढ़ से एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान का विवरण

क्रं. सं.	विवरण	पंचायत समिति गिर्वा		पंचायत समिति सराडा		योग (लाखों में)	
		क्षेत्रफल	नुकसान	क्षेत्रफल	नुकसान	क्षेत्रफल	नुकसान
1.	बाढ़ से जो फसल बह गई	30.95	2.05	74.95	3.69	105.91	5.74
2.	खेत जो खराब हो गये	12.45	2.75	5.73	1.70	10.70	4.51
3.	कुए जो क्षतिग्रस्त हो गये	21.00	2.10	48.00	1.85	69.00	3.75
4.	परिवार को संख्या प्रभावित हुई है	187	-	326	-	513	-
5.	दुकान/मकान की संख्या जिसमें नुकसान हुआ	7	0.60	82	24.67	89	25.27
6.	मवेशी जो बह गई/मर गई	-	-	9	0.15	9	0.15
7.	जनहित के कार्य पर हुए नुकसान का विवरण						

तालाब/सडकें क्षतिग्रस्त होने से

1.	खैरवाडा	20.0 लाख
2.	सलुम्बर	30.0 "
3.	सराडा	60.0 "
4.	गिर्वा	30.0 "
5.	झाडोल	22.0 "
	योग	162..00 लाख

जिला कलक्टर (सहायता),

उदयपुर।

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), उदयपुर

बाढ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराई गई उनकी सूची

क्र.सं.	नाम व्यक्ति	राशि
1.	श्री रुपलाल पिता लाला मीणा, नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	1000
2.	श्री डालुबा खटोकपिता धुला जो नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	1000
3.	श्री प्रकाश पिता रतनलाल नाई नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	1000
4.	श्री मोटू मोची पिता धुलजी नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	500
5.	श्री रामचन्द्र पिता हिरालाल मेहता नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	500
6.	श्रीमती हमीरबेन पत्नी नूर मोहम्मद मुसलमान नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	500
7.	श्री कालू पिता वेला मेघवाल नि. सिंगटवाडा तह. सराडा	500
	योग	5000

जिला कलक्टर (सहायता),
उदयपुर ।

उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

176. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

उदयपुर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 1994-95 में किन-किन विभागों के अधीन क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किये गये राहत कार्यों का पंचायतवार, विभागवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

छबड़ा व छीपा बडोद (बारां) तहसीलों में अतिवृष्टि से नुकसान

177. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबडा), **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) एवं **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की छबड़ा व छीपा बड़ोद तहसीलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से फसलों को कहां-कहां भारी नुकसान हुआ है ?

(2) क्या सरकार बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान का वहां के किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना-कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बारां जिले की छबडा तहसील में ग्राम कडैयाचोर, हास्याखेड़ी, मुकुन्दखेड़ी, खेजड़ा, बडोदिया, नूरपुरा, इस्माइलपुर, पटपडी, खालाकपुरा, विशनखेड़ा चेना, बापया, पीपलखेड़ी, रुपारेल, नियामतपुर, मानपुरा, भूलोन ग्रामों में फसलों का नुकसान हुआ है एवं छीपाबड़ोद तहसील में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से अनुमानित 30-40 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है। पूर्ण सूचना गिरदावरी के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

(2) जिले से गिरदावरी रिपोर्ट की सूचना प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बूंदी तहसील में माडा योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण

178. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी तहसील के चान्दनहेली, सेदड़ी, साथेली, आगली, सवंर, जलौवी (डोरा) कंवरपुरा (सूतड़ा) आदि गांव माडा योजना के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को मांडा योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने की सरकार ने योजना बनाई है और वर्ष 1994-95 में किस-किस गांव को सड़क से जोड़ दिया जावेगा ?

(2) क्या माडा योजना के अन्तर्गत आदिवासियों के लिए बूंदी तहसील में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, इन ग्रामों को रोड़ से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां, विवरण संलग्न है।

माडा योजना अन्तर्गत लक्ष्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	जिला बून्दी के कुल लक्ष्य	बून्दी तहसील के लक्ष्य वर्ष 94-95
(1)	कृषि		
1.	कृषि प्रदर्शन	50	10
2.	सब्जी बीज पैकेट	250	70
3.	पशु चिकित्सा शिविर	4	1

क्र. सं.	कार्यक्रम	जिला बून्दी के कुल लक्ष्य	बून्दी तहसील के लक्ष्य वर्ष 94-95
4.	बैफ सेन्टर	3	-
5.	अंशपूंजी अनुदान	150	40
(2)	लघु सिंचाई-		
1.	विस्फोटन द्वारा कुए गहरा कराना	50	10
2.	जलोत्थान सिंचाई योजना	1	1
3.	पी. वी. सी. पाइप लाइन अनुदान	10	2
(3)	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं-		
1.	आश्रम छात्रावास संचालन	1	
2.	आश्रम छात्रावास हेतु निःशुल्क पुस्तकें	50	-
3.	निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी	2173	673
4.	प्रा. शा. भवन निर्माण	1	1
5.	आ. छा. में चि. सुविधा	1	-
6.	मिनी आई. टी. आई.	120	120
7.	शल्य चिकित्सा शिविर	2	1
8.	आयुर्वेद शिविर	1	1
9.	ग्रामीण आवास	4	1
10.	दुकान हेतु अनुदान	5	1
11.	ज. जा. व्यक्तियों को कानूनी सहायता	2	-
		2878	931

पंचायत समिति रायपुर (पाली) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

179. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका तकमीना पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाता है और भुगतान भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण करने व रिपोर्ट करने के पश्चात किया जाता है और कार्य पूरा होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है ? यदि हां, तो पंचायत समिति रायपुर (पाली) में कार्यरत वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता के समय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने कार्यों की स्वीकृति जिला विकास अभिकरण पाली द्वारा की गई, कितने तकमीने कनिष्ठ अभियन्ता ने तैयार किये और निर्माण कार्यों का किस-किस तारीख को कनिष्ठ अभियन्ता ने निरीक्षण किया व इन निर्माण कार्यों के पूरे होने पर कितनी धनराशि व्यय हुई और कितने उपयोगिता प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिये गये ? प्रत्येक ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत कोटकीराना, बगडीकलालिया, रेलडा, गिरी, बूंटीवास, कानूजा एवं सेनडा पंचायत समिति रायपुर में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है ?

(3) क्या वर्ष 1988 के बाद जितने निर्माण कार्य हुए वह स्वीकृत योजना के तहत मस्टरोल पर न होकर ठेकेदारों से करवाये गये जिसमें बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री काम में ली गई और उसमें कम धनराशि व्यय की गई जबकि कनिष्ठ अभियन्ता ने उपयोगिता प्रमाण अधिक धनराशि का दे दिया है ?

(4) क्या सरकार सम्पूर्ण मामलों की विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मौके पर भेजकर जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में 50,000/- रु. राशि से अधिक के निर्माण कार्यों का तकमीना पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किये जाने का प्रावधान है तथा कनिष्ठ अभियन्ता के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत कार्यों पर राशि का भुगतान निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

(2) पंचायत समिति रायपुर जिला पाली में कार्यरत वर्तमान कनिष्ठ अभियंता द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत कार्यों, तैयार किये गये तकमीने एवं निरीक्षण किये गये कार्यों व निर्माण कार्यों पर व्यय की गई धन राशि तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का पंचायतवार विवरण संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं, ग्रा. पंचायत कोटकीराना, बगडीकलालिया, रेलडा, गिरी, बूंटीवास, कानूजा एवं सेनडा पंचायत समिति रायपुर में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिकरण को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं, जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1948 के बाद से कोई भी कार्य ठेकेदारों से नहीं करवाया गया है।

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

(4) इन कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कार्यवाही की जावेगी तथा जांच रिपोर्ट पर ही आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(सूची विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला बांसवाड़ा में विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत जलोत्थान सिंचाई योजनाएं

180. **श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में विश्व बैंक की सहायता से जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कहां-कहां यह योजनाएं संचालित एवं निर्माणाधीन हैं? इस कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई उसमें से कितनी धन राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि जलोत्थान योजना में काम आने वाली सामग्री पाइप इत्यादि क्रय की गई है? यदि हां, तो किन-किन लिफ्ट योजनाओं के लिये कितनी व कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास उक्त योजना में और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस स्थान एवं गांवों के?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में विश्व बैंक द्वारा 80% राशि दी जाती है एवं 20% स्वयं काश्तकार को वहन करना होता है? यदि हां, तो क्या बांसवाड़ा के काश्तकार उक्त 20% राशि वहन करने में समर्थ हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वयं या जनजाति विकास मद से 20% राशि वहन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा जिले में विश्व बैंक की सहायता से कृषि विकास परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाऐं वर्ष 93-94 से लागू की गयी है। वर्ष 93-94 के लक्ष्य 8 योजनाओं एवं वर्ष 94-95 में 14 योजनाओं के सृजन एवं क्रियान्वयन के लक्ष्य है जिसके विरुद्ध 7 योजना वर्ष 94-95 में स्वीकृत की गयी है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है। इन योजनाओं हेतु रु. 19.00 लाख की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा को आवंटित की गयी, जिसके विरुद्ध व्यय शून्य है क्योंकि अभी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(2) जी हां। जिला बांसवाड़ा के लिए पाइप्स एवं फिटिंग वर्ष 93-94 की पूर्व निर्धारित लक्ष्य 8 योजनाओं हेतु क्रय किये गये हैं। 8 योजनाओं हेतु क्रय की जा रही सामग्री का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) बांसवाड़ा जिले में लक्ष्यानुसार योजनाएं जिला स्तर पर तैयार की जा रही है।

(4) जी हां। विश्व बैंक से सहायतार्थ कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की लागत की 80% राशि अनुदान के रुप में तथा 20% राशि कृषकों को स्वयं वहन करनी होती है। इन योजनाओं में जनजाति के कृषकों को 10% राशि अतिरिक्त अनुदान के रुप में जनजाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, कृषकों को शेष 10% राशि ही वहन करनी होती है, बशर्ते योजना में 50% कृषक जन जाति के हों। इस सम्बन्ध में जनजाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

जिला बांसवाड़ा को विश्व बैंक सहायतार्थ कृषि विकास परियोजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण जो कि जि. ग्रा. वि. अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा क्रियान्वित की जानी है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	पं. स.	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (रुपये में)
1.	सल्लोपाट	बागीदौरा	60	4,82,200/-
2.	शक्करवाड़ा	सज्जनगढ़	66	8,47,450/-
3.	चोरपर नाला	-	86	12,15,500/-
4.	मुन्नी पाड़ा	कुशलगढ़	88	7,08,400/-
5.	वागपुरा ii	पीपलखूंट	47.28	6,12,200/-
6.	घोडी तेजपुर iii	-	28	3,97,800/-
7.	गराड़िया	सज्जनगढ़	32	5,98,200/-
				48,61,750/-

विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले हेतु 8 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के लिए क्रय की जा रही सामग्री का विवरण:-

क्र. सं.	नाम सामग्री	साईज	संख्या
(अ)	पी.वी.सी. पाइप्स 2.5 किलो/सेमी2	110 एम.एम.	2200 मी.
		140 "	2600 मी.
		160 "	1600 मी.
		200 "	1600 मी.
(ब)	पी.वी.सी. पाइप्स 4 किलो/सेमी2	200 "	1000 मी.
		250 "	500 मी.
			9500 मी.
(स)	पी.वी.सी. फिटिंग्स		
	1. टी.पी.एफ.		51 "
	2. टी		60 "
	3. रिड्सर		[illegible] "
	4. बैन्ड		70 "
	5. कप्लर		63 "
	6. फेस प्लेट		20 "
	7. सर्विस सेडल		39 "
			345

राजस्थान विधान सभा
पुस्तकालय, जयपुर

राज. सरकार

जनजाति क्षे. वि. विभाग, उदयपुर

क्र. अभि. (1) (7) (2) सीटीएडी/93-94/ 8124-73 दि.-31-3-94

आदेश

विषय:-जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा अनुदानित जलोत्थान योजना निर्माण हेतु 10% राशि टीएडी मद से दिये जाने बाबत।

विश्व बैंक द्वारा अनुदानित जलोत्थान योजना निर्माण के लिए 20% राशि कृषकों द्वारा देय है, किन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होने से जनजाति कृषक इतनी राशि दिये जाने में सक्षम नहीं होते हैं।

अतः जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली विश्व बैंक द्वारा अनुदानित जलोत्थान योजनाओं के लिए जनजाति व्यक्तियों के विश्व अंशदान की दस प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त राशि केवल उन्हीं योजनाओं के लिए देय होगी जिसमें 50% से अधिक लाभान्वित कृषक जनजाति के होंगे।

ह.

आयुक्त

क्र. अभि. (1) (7) (2) सीटीएडी/93-94/ 8124-73 दि. 31-3-94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, विशिष्ठ योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।

सूची के संलग्न

2. उपशासन स. . . . . . विकास विभाग, जयपुर को उक्त आदेश के अनुमोदन हेतु।

3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा/ चित्तौड़गढ़/ डूंगरपुर।

4. अति. आयुक्त माडा, कार्यालय हंजा।

5. अति. कलक्टर (वि) जि. ग्रा. वि. अभि., बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर।

6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।

7. परियोजना अधिकारी/उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़।

ह.

अति. आयुक्त

रामानाडिया (नागौर) में पशुओं हेतु पेयजल हौज निर्माण

181. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मंडी) एवं **श्री हरेन्द्र मिर्धा** (नागौर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दुगोली, पंचायत समिति जायल जिला नागौर के रामानाडिया नामक स्थान पर एक पशु पेयजल (कुण्ड) हौज बनाने की सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त हौज (कुण्ड) बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक बना दिया जायेगा एवं अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत रोटू तहसील जायल जिला नागौर के टोकी धोरा नामक स्थान पर

...कृशन वर्मा)

स्वीकृत पेयजल कुण्ड का क्या पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(3) उक्त भुगतान समय पर नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पशु पेयजल कुण्ड निर्माण की स्वीकृति दी गयी। सार्वजनिक उपयोग एवं निर्माण सामग्री पहुंचाने का रास्ता न होने के कारण से निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

(2) पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। अब तक 10 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मूल्यांकन के आधार पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) ग्राम पंचायत रोदू का प्रशासक (ग्राम सेवक) अस्वस्थ होने के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। कार्य पूर्ण होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 182

(स्थगित)

सांचोर (जालौर) के छात्रावास

183. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले के सांचौर कस्बे में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में कुल कितने छात्र रहते हैं ?

(2) उक्त छात्रावास जिस भवन में चल रहा है, वह किसकी सम्पत्ति है तथा उसके रख-रखाव का जिम्मा किस पर है ?

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त भवन को उसकी जर्जरता के कारण रहने योग्य नहीं माना है ?

(4) क्या सरकार सांचौर में नए भवन के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं है।

(2) छात्रावास राजकीय भवन में स्थित है जो विभागीय सम्पत्ति है जिसके रख-रखाव का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

(3) जी हां।

(4) जी हां, संसाधन उपलब्ध होने पर।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के पशु चिकित्सालय

184. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पशुपालन विभाग के विभिन्न स्तर के कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं एवं यह कब तक स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत औषधालयों में मय स्टाफ के क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(3) स्वीकृत औषधालयों में कौन-कौन से औषधालय कार्यरत हैं तथा उनमें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्य किन-किन स्थानों पर औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं ये कब तक खोल दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 4 पशु चिकित्सालय एवं 4 पशु औषधालय कार्यरत हैं। संस्थाओं का
है।

(2) पशु औषधालयों में एक वी. ए., एक पशुधन सहायक, एक सईस, एक सफाईकर्ता के पद स्वीकृत हैं जिनके द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(3) इस क्षेत्र में 4 पशु औषधालय स्वीकृत हैं व कार्यशील हैं। पशु चिकित्सा सुविधाऐं इन औषधालयों में उपलब्ध हैं।

(4) वर्तमान में नयी चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में सृजित पदों का विवरण:

क्र.	संस्था का नाम	खोले जाने का वर्ष	सृजित पद					
			वी.ए. एस.	वी.ए. सहायक	पशुधन	सईस	जलधारी	सफाईकर्ता
1.	पशु चिकित्सालय, रामगढ़	पूर्व से	1	1	1	1	1	1
2.	पशु चिकित्सालय, नौगांवा	84-85	1	1	1	1	-	1
3.	पशु चिकित्सालय, बहाला	83-84	1	1	1	1	1	1
4.	पशु चिकित्सालय, बहादुरपुर	79-80	1	-	2	1	-	-
1.	पशु औषधालय, ऊंटवाल	84-85	-	1	1	1	-	1
2.	पशु औषधालय, कांरोली	89-90	-	1	1	1	-	1
3.	पशु औषधालय, सहट	89-90	-	1	1	1	-	1
4.	पशु औषधालय, बलदेवगढ	89-90	-	1	1	1	-	1